पकाया हुआ मध्या भोजन (सी.एम.डी.एम)

कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन

सामाजिक विकास हस्तक्षेप

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन
योजना आयोग
भारत सरकार
नई दिल्ली – 110001

मई 2010

विषय-सूची

	विषय	
	i परिचय	
	ii सारांश और निष्कर्ष	
	iii झलकियां **पकाया हुआ मध्याह्न भोजन (सीएमडीएम) का मूल्यांकन अध्ययन** **अध्याय योजना**	
क्रम संख्या	**अध्याय**	**पृष्ठ संख्या**
1	**परिचय**	**1-8**
	- प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम	
	- योजना के उद्देश्य	
	- दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन तंत्र	
	- दिशानिर्देशों के अनुसार निधि और खाद्यान्न आबंटन के लिए मानदंड	
	- मूल्यांकन अध्ययन की आवश्यकता	
2	**उद्देश्य और क्रियाविधि**	**9-14**
	- अध्ययन के उद्देश्य	
	- नमूने की रूपरेखा	
	- राज्यों का चयन	
	- जिलों का चयन	
	- ब्लॉक का चयन	
	- स्कूलों का चयन	
	- गांवों का चयन	
	- लाभार्थी छात्रों का चयन	
	- नमूना छात्रों के अभिभावकों/संरक्षकों का चयन	
	- पढ़ाई छोढ़ने वाले बच्चों का चयन	
	- पढ़ाई छोढ़ने वाले स्कूली बच्चों का चयन	
	- फोकस समूहों का चयन	
	- गुणात्मक नोट्स	
	- संदर्भ अवधि	

	डाटा संग्रहण	
	डाटा प्रोसेसिंग	
3	**लाभार्थी, पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों और स्कूल न जाने वाले बच्चे**	**15-24**
	- लाभार्थी बच्चे	
	- पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे	
	- स्कूल न जाने वाले बच्चे	
4	**कवरेज, कार्यान्वयन तंत्र और बुनियादी सुविधा**	**25-54**
	- पकाया हुआ मध्याह्न भोजन योजना का दायरा	
	- धन और खाद्यान्न की आपूर्ति	
	- राज्यों में कार्यान्वयन तंत्र	
	- संचालन-सह-निगरानी समितियां	
	- निधियों का उपयोग	
	- खाद्यान्न का उपयोग	
	- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निभाई गई भूमिका	
	- अन्य विभागों के साथ सम्पर्क	
	आधारभूत सुविधाएं	
	- जनशक्ति	
5	**पकाये हुए मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव**	**55-67**
	- कक्षा की भूख	
	- ताजा दाखिले	
	- सामाजिक समानता	
	- हाजिरी	
	- मौजूदा संख्या	
	- शिक्षकों का अध्यापन समय से विमुख होना	
	- छात्रों का अध्ययन समय से विमुख होना	
6	**सुझाव और सिफारिशें**	**68-73**
	ग्रंथ-सूची	**74-75**
	अनुबंध 1, 2	**76-84**

प्राक्कथन

प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम, जो मध्याह्न भोजन योजना के नाम से लोकप्रिय है, भारत सरकार द्वारा 1995 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों की भर्ती, हाजिरी तथा संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ उनके पोषण की स्थिति में सुधार करना था। तदनुसार, कई राज्यों ने प्रति बच्चा/प्रति माह 3 रूपए किलो (सूखा राशन) वितरित करना शुरू कर दिया है जिसके फलस्वरूप कक्षाओं में हाजिरी 80 प्रतिशत तक पहुंच गई है। पकाया हुआ मध्या भोजन (सीएमडीएम) योजना का शुभारंभ उच्चतम न्यायालय के एक महत्वपूर्ण आदेश द्वारा "मध्याह्न भोजन पर कार्रवाई दिवस" के रूप में देश भर के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में अप्रैल 2002 में किया गया है। 2004 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए ने 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन की आपूर्ति करने के आदेश दिए। मंत्रालय सितंबर 2006 में योजना में पुन:संशोधन करके प्राथमिक कक्षाओं (1 से 4) के सभी बच्चों को 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन सामग्री युक्त पकाया हुआ मध्याह्न भोजन मुहैया कराने का प्रावधान किया गया था।

मूल्यांकन अध्ययन का मुख्य उद्देश्य सी.एम.डी.एम के तहत बच्चों के कवरेज का आकलन करना, सी.एम.डी.एम के कार्यान्वयन की उपस्थिति के लिए बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, प्रतिधारण और बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करना यह आकलन करना कि सी.एम.डी.एम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में किस हद तक सफल रही है। अध्ययन में स्कूलों में अध्ययन अध्यापन कार्यकलापों पर सी.एम.डी.एम के प्रभाव और विभिन्न स्तरों पर विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी और योजना के कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं को जानने की कोशिश की गई थी। हालांकि, उपलब्ध आंकड़ों से पोषण की स्थिति का पता नहीं चल सका।

अध्ययन के उद्देश्यों में निहित प्रक्रिया और परिणाम संकेतकों का आकलन करने के लिए 9 विभिन्न स्तरों (राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम, स्कूल, अभिभावक, लाभार्थी, स्कूल न जाने वाले बच्चों तथा पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाले बच्चों) के लिए संचालित कार्यक्रम के माध्यम से प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा एकत्र किए गए थे। 17 राज्यों के 48 जिलों में कुल 480 स्कूलों को योजना में शामिल किया गया था। विभिन्न स्तरों पर प्राथमिक डेटा एकत्रित करने के अलावा, प्रारंभिक स्तर पर योजना के गुणात्मक पहलुओं का विश्लेषण करने लिए फोकस समूह परिचर्चा का आयोजन किया गया तथा गुणात्मक नोट्स भी तैयार किए गए थे।

अध्ययन की संदर्भ अवधि 2000-2006 से थी। यह अध्ययन नवम्बर 2006 में शुरू किया गया था और फील्ड यूनिटों (क्षेत्रीय/परियोजना मूल्यांकन कार्यालय) ने मार्च 2007 में अपने सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया था। डेटा प्रविष्टि का कार्य एनआईसी को सौंपा गया था और सितम्बर 2008 तक 11000 से अधिक सारणियां पूरी कर ली गयी थीं, जिसके आधार पर अंतिम रिपोर्ट की गई है।

यह रिपोर्ट छह अध्यायों में विभाजित है। पहले अध्याय में योजना की उत्पत्ति का परिचय और कार्यान्वयन तंत्र का उल्लेख है। द्वितीय अध्याय में अध्ययन के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली विवरण है। लाभार्थी बच्चों और उनके अभिभावकोंके सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल का तृतीय अध्याय में सविस्तार वर्णन किया गया है। अध्याय चतुर्थ में धन और अनाज का प्रवाह और उपयोग तथा पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका समेत {1) बुनियादी ढांचे और जनशक्तिकी उपलब्धता पर विचार किया गया है। छात्रों के दाखिले उपस्थिति, सामाजिक समता, दाखिले, सामाजिक और मोड़ से छात्रों/शिक्षकों अध्यापन/अध्ययन से विमुख पर पकाये हुए मध्याह्न भोजन के प्रभाव का अध्याय V में उल्लेख किया गया है। योजना में सुधार के लिए कुछ सुझावों का अध्याय VI में उल्लेख किया गया है।

इस अध्ययन को माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग एवं सचिव, योजना आयोग से निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। यह अध्ययन श्री अमर सिंह, तत्कालीन निदेशक के निदेशन में बनाया और संचालित किया गया था। श्रीमती रंजना आर काले, तत्कालीन निदेशक पीईओ, तथा श्री वी.के. शर्मा, अनुसंधान अधिकारी ने रिपोर्ट का प्रथम मसौदा तैयार किया था।इस रिपोर्ट में कंसल्टेंसी मूल्यांकन एवं निगरानी समिति (सीईएमसी) के सदस्यों से प्राप्त सुझावों का लाभ प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट के वर्तमान स्वरूप के साथ-साथ विश्लेषणात्मक रूपरेखा का श्रेय सुश्री नंदिता मिश्र, निदेशक तथा श्रीमती आर.ए.जेना, सलाहकार (पीईओ) तथा श्रीमती एस. भवानी, पूर्व वरिष्ठ सलाहकार (पीईओ) के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण मेंश्री घनश्याम शर्मा, सलाहकार को जाता है। मुख्यालय और क्षेत्रीय / परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों में सभी पी.ई.ओ अधिकारियों और श्री ए.के.चानना, वरीष्ठ तकनीकी निदेशक और एनआईसी (योजना आयोग) से उनकी टीम के सहयोग को कृतज्ञता से स्वीकार किया जाता है।

(आर सी श्रीनिवासन)
प्रधान सलाहकार (पीईओ)

नई दिल्ली
दिनांक: 28-05-2010

सारांश और निष्कर्ष

प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम (NP-NSPE) का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 को केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में किया गया था और वर्ष 1997-98 तक इसे देश के सभी ब्लॉक तक लागू किया गया था। पकाया हुआ मध्याह्न भोजन (सीएमडीएम) योजना सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में अप्रैल 2002 में शुरू की गई थी। पकाया हुआ मध्याह्न भोजन (सीएमडीएम) योजना में से प्रभावी प्रस्तावित ईजीएस (योजना सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस)/वैकल्पिक तथा अभिनव शिक्षा (ए.आई.ई) केंद्रों में कक्षा 1 से 5 में पढ़ने वाले सभी बच्चों को सितम्बर, 2004 से 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन की आपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव था (जिसे जून 2006 में संशोधित करके आयरन, फोलिक एसिड तथा विटामिन ए जैसे माइक्रोन्युट्रिएंट्स की पर्याप्त मात्रा के साथ 450 कलौरी और 12 ग्राम प्रोटीन कर दिया गया था)। इसमें नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के सार्वभौमीकरण और साथ ही प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों के पोषण की स्थिति को ज्ञात करने का लक्ष्य रखा गया है।

मूल्यांकन मुद्दे

मूल्यांकन अध्ययन को निम्नलिखित मुद्दों पर विचार करने के लिए डिजाइन किया गया था:

- सी.एम.डी.एम कवरेज की सीमा का आकलन करना;
- सी.एम.डी.एम के कार्यान्वयन से जुड़ी जांच आपूर्ति श्रृंखला और प्रक्रियाओं को समझना तथा जांच करना;
- पकाया हुआ मध्या भोजन योजना के कार्यान्वयन के लिए जनशक्ति सहित अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता और समुचितता का पता लगाने के साथ-साथ प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना बनाना और;
- प्रतिधारण, नामांकन, उपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालने और प्राथमिक स्तर के बच्चों के पोष्टिक आहार स्तर को जाननें लिए सी.एम.डी.एम किस हद सफल रहा है;
- यह आकलन करना कि क्या सीएमडीएम का स्कूलों में अध्ययन/अध्यापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या नहीं;

- यह पता लगाना कि सी.एम.डी.एम किस हद तक लक्ष्य समूह के लिए प्रासंगिक है;
- यह आकलन करना कि समुदाय की भागीदारी और सामाजिक समता किस हद तक हासिल हुई है;
- सी.एम.डी.एम के कार्यान्वयन के लिए हस्तक्षेप साधनों तथा अपनाई गई रणनीति का अध्ययन करना;
- योजना के कार्यान्वयन में आई बाधाओं को समझना और उन बाधाओं पर काबू पाने के लिए सुधारात्मक सुझाव देना।

अध्ययन डिजाइन

अध्ययन में 17 राज्यों और 48 जिलों को कवर किया गया था। प्रत्येक जिले से दो ब्लॉकों का चयन किया गया था। प्रत्येक ब्लॉक से पांच स्कूलों का चयन किया गया। एक गांव जहां नमूना विद्यालय स्थित था नमूना गांव के रूप में कार्यक्रम के प्रचार के लिए चुना गया था। प्रत्येक स्कूल /केन्द्र से 10 लाभार्थी छात्रों (5 लड़कों और 5 लड़कियों) और उनके संबंधित अभिभावकोंको चुना गया। इसके अलावा, गांव से स्कूल छोड़ने वाले एक तथा स्कूल न जाने वाले तीन बच्चों का भी औचक ढ़ंग से चयन किया गया था। एक ब्लॉक से न्यूनतम दो तथा अधिकतम तीन मुख्य फोकस समूहों का चयन किया गया था। गुणात्मक नोट्स को निश्चित अंतराल में भरा गया।

निष्कर्ष

- अध्ययन में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में योजना की लगभग सार्वभौमिक कवरेज दर्शायी गई है (तालिका 4.1) ।
- लगभग 40 प्रतिशत लाभार्थी बच्चों के अभिभावकों ओबीसी वर्ग से, 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग, 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग और 24 *प्रतिशत अन्य श्रेणी से संबंधित थे जो सामाजिक समता की प्राप्ति की ओर इंगित करता है* (पैरा 3.1.2) ।
- 33 प्रतिशत अभिभावकों के लाभार्थी बच्चे निरक्षर हैं और 17 प्रतिशत मैट्रिक और ऊपर तक पढ़े लिखे हैं (पैरा 3.1.3) ।

- बिहार, झारखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश नमूना स्कूलों में योजना में ग्राम पंचायतों को भागीदारी से वंचित किया गया है (पैरा 4.7.2) ।

- कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को छोड़कर सभी नमूना राज्यों में है, स्वास्थ्य विभाग के साथ कोई संबंध नहीं पाया गया था (पैरा 4.8) ।

- हालांकि सभी स्तरों पर संचालन-सह-निगरानी समितियों का गठन किया गया है, लेकिन ब्लॉक/गांव स्तर पर कार्यक्रम के साथ तालमेल तथा निगरानी करने के लिए उनकी नियमित बैठकें नहीं हो रही हैं (पैरा 4.4) ।

- मेघालय और तमिलनाडु केरल, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा राज्यों में सभी नमूना विद्यालयों की अपनी स्वयं की इमारतें हैं (पैरा 4.9.1) ।

- बंगाल और पश्चिम बिहार को छोड़कर अधिकांश नमूना राज्यों में 80 प्रतिशत से नमूना स्कूलों में पक्के भवन हैं (पैरा 4.9.1) ।

- औसतन 72 प्रतिशत नमूना स्कूलों में शौचालय सुविधा उपलब्ध होने की रिपोर्ट है (पैरा 4.9.1) ।

- तमिलनाडु और केरल को छोड़कर, औसतन अधिकांश नमूना स्कूलों में रसोईघर शेड या तो उपलब्ध नहीं है या घटिया हालत में है (पैरा 4.9.2)।

- सभी राज्यों में स्टोर रूम या उपलब्ध नहीं है या उनकी हालत घटिया है। तमिलनाडु में हालत थोड़ी-सी बेहतर है (पैरा 4.9.3) ।

- बिहार और राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों में बर्तनों उपलब्धता की स्थिति खराब बतायी गई है। राजस्थान के अलावा, सभी राज्यों में प्लेटों की स्थिति खराब बताई गई है (पैरा 4.9.4) ।

- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय और पश्चिम बंगाल के 75 प्रतिशत से भी कम नमूना स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा है (पैरा 4.9.5) ।

- आंध्र प्रदेश और केरल को छोड़कर देश भर के नमूना स्कूलों के लिए सी.एम.डी.एम कुक की अत्यंत कमी है (पैरा 4.10) ।

- यह देखा गया है कि राज्य पीडीएस डीलर द्वारा स्कूल स्थल पर खाद्यान्न वितरित करने संबंधी भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न आपूर्ति में कमी हो रही है (पैरा 4.2)।

- उत्तर प्रदेश, मेघालय और तमिलनाडु के चयनित जिलों उन्हें आवंटित समस्त धनराशि का उपयोग कर लिया है।इसके विपरीत, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और हरियाणा में कुछ नमूना जिलों ने आवंटित धनराशि से कम धनराशि का इस्तेमाल किया है (पैरा 4.5.1)।

- यह योजना कक्षा की भूख को नष्ट करने में सफल रही है क्योंकि अधिकांश नमूना लाभार्थियों ने बताया है कि स्कूल में उपलब्ध भोजन पर्याप्त है (पैरा 5.1) ।

- आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश महाराष्ट्र प्रदेश और तमिलनाडु (नमूना स्कूलों) में अधिकांश बच्चों की राय थी कि उपलब्ध कराए गए भोजन की गुणवत्ता अच्छी थी। कर्नाटक और बिहार (नमूना स्कूलों में) बच्चों के बड़े हिस्से की राय है कि परोसा गया भोजन औसत गुणवत्ता का था (पैरा 5.1.1) ।

- यह देखा गया है कि पकाया हुआ मध्या भोजन की योजना लगभग सभी राज्यों में अलग-अलग समुदायों में एकता स्थापित करने में कामयाब रही है और इस प्रकार एक हद तक सामाजिक समता के उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रही है (पैरा 5.2) ।

- अधिकांश राज्यों में शिक्षक प्रतिदिन लगभग दो घंटे का समय सी.एम.डी.एम से संबंधित गतिविधियों पर लगाते हैं जिसके फलस्वरूप कीमती अध्यापन समय में कमी आती है (पैरा 5.6.2)।

- 17 राज्यों, जहां से नमूना डेटा एकत्र किए गए थे, में से 9 राज्यों में छात्रों ने बताया कि वे बर्तन धोने के कार्य में शामिल थे (पैरा 5.5.1) ।

झलकियां

- पकाया हुआ मध्या भोजन कार्यक्रम नमूना स्कूलों में कक्षा की भूख को समाप्त करने में सफल रहा है।

- पकाया हुआ मध्याह्न भोजन योजना ने सभी सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए एक ऐसा मंच तैयार किया है जहां सभी मिलजुल कर भोजन कर सकें और सामाजिक समता के उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।

- यह भी देखा गया है कि इस कार्यक्रम के कारण अध्ययन-अध्यापन कार्यों की बजाय शिक्षकों का ध्यान योजना से संबंधित कार्यों में लगा रहता है जिसके परिणामस्वरूप पढ़ाई का नुकसान हुआ है।

- सामान्यत: पकाये हुए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की सफलता में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं और जनशक्ति की कमी पाई गई थी।

- यह देखा गया है कि राज्य पीडीएस डीलर द्वारा स्कूल स्थल पर खाद्यान्न वितरित करने संबंधी भारत सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप खाद्यान्न आपूर्ति में कमी हो रही है। ऐसे उदाहरण पाए गए हैं जहां लम्बी आपूर्ति श्रृंखला के कारण खाद्यान्न की आपूर्ति की श्रृंखला में मिलावट और बर्बादी हुई है।

- हालांकि पकाया हुआ मध्याह्न भोजन योजना के कारण देश भर के स्कूलों उपस्थिति में वृद्धि करने के लिए योगदान मिला है, लेकिन नमूना स्कूलों में ताजा दाखिलों पर इसका कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता।

***

अध्याय 1

परिचय

प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम[1]

1.1.1 प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (एनपी एनएसपीई) का शुभारंभ केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 15 अगस्त 1995 शुरू में देश के 2408 ब्लॉक में किया गया था। 1997-98 तक यह देश के सभी ब्लॉकों में शुरू की गई थी। इसे 2002 में आगे बढ़ाते हुए ईजीएस और एआईई केंद्रों में अध्ययन करने वाले बच्चों को कवर किया। इस योजना के तहत केंद्रीय सहायता के तहत प्रति स्कूल दिवस प्रति बच्चा 100 ग्राम नि:शुल्क खाद्यान्न तथा प्रति क्विंटल खाद्यान की ढुलाई के लिए 50 रूपये की अधिकतम सब्सिडी शामिल थी।

1.1.2 सितम्बर 2004 में इस योजना में संशोनिधि करके सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों तथा ईजीएस/एआईई केंद्रों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए 300 कैलोरी और 8-12 ग्राम प्रोटीन युक्त मध्या भोजन का प्रावधान किया गया था। खाद्यान्न की मुफ्त आपूर्ति के अलावा, संशोधित योजना में (क) प्रति स्कूल दिन प्रति बच्चा @ 1 रूपये लागत पाक कला (ख) परिवहन सब्सिडी रुपये की अधिकतम पहले से उठाया गया था, के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की है। विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 50 रुपये प्रति क्विंटल को 100 रुपये प्रति क्विंटल और अन्य राज्यों के लिए 75 रुपये प्रति क्विंटल, (ग) प्रबंध, निगरानी और मूल्यांकन खाद्यान्न, परिवहन सब्सिडी और खाना पकाने की सहायता की लागत के 2% @, लागत (घ) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्म अवकाश के दौरान मध्याह्न भोजन का प्रावधान।

1.1.3 जुलाई 2006 में इस योजना में आगे संशोनिधि करके पूर्वोत्तर प्रदेश के राज्यों में (क) स्कूल दिवस प्रति बच्चा 1.80 रूपए की दर पर कुकिंग लागत का प्रावधान किया गया बशर्ते कि पूर्वोत्तर राज्य 0.20 रुपये प्रति बच्चे स्कूल दिवस का योगदान करें और (ख) अन्य राज्यों और संघ प्रदेशों के लिए प्रति दिन 1.50 रूपये बच्चे / स्कूल बच्चे / स्कूल दिवस के हिसाब से प्रदान किए जाते हैं बशर्ते कि ये राज्य तथा संघ प्रदेश 0.50 रुपये प्रति बच्चा/स्कूल दिवस का योगदान करें।

1.1.4 अक्तूबर 2007 में शुरू में शैक्षिक रूप से पिछड़े 3479 ब्लॉक में उच्चतर प्राथमिक कक्षाओं (कक्षा 5 से 8) में पढ़ने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए योजना में संशोनिधि किया गया था। करीब 1.7 करोड़ बच्चों को उच्च प्राथमिक योजना के इस विस्तार में शामिल किया गया।

[1] मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

योजना के उद्देश्य [2]

1.2 पकाया हुआ मध्याह्न भोजन स्कूली भोजन कार्यक्रम का लोकप्रिय नाम है जिसमें स्कूली बच्चों के लिए सभी स्कूल दिवसो के लिए मुफ्त मध्याह्न भोजन का प्रावधान शामिल है।यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी:

- पकाया हुआ गर्मागरम भोजन परोसकर स्कूलों में भूख का समाधान करना।
- बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार करना।
- बच्चों को प्रोत्साहित गरीब, वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों को नियमित रूप से कक्षा मे भाग लेने के लिए प्रेरित करना और उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान करने में मदद करना ताकि दाखिले, प्रतिधारणा और हाजिरी दरों में वृद्धि हो सके।

राज्यों में मध्याह्न भोजन योजना का शुभारंभ

1.3 पकाया हुआ मध्याह्न भोजन योजना के औपचारिक शुभारंभ से पहले कई राज्यों में स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने की प्रथा प्रचलित थी। निम्नलिखित तालिका संख्या 1.1 में विभिन्न राज्यों में मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने का कालानुक्रम दर्शाया गया है :

तालिका संख्या 1.1

राज्यों का नाम	मध्याह्न भोजन की शुरूआत का वर्ष	झलक
तमिल नाडु	1923	मद्रास नगर निगम द्वारा मद्रास शहर में शुरू किया और 1982 में पूर्ण राज्य में लागू किया गया.
पश्चिम बंगाल	1928	अनिवार्य मध्याह्न टिफिन के रूप में कलकत्ता के केशव अकादमी द्वारा कलकत्ता शहर में प्रति माह प्रति बच्चा चार आने की दर से भुगतान के आधार पर शुरू कर दिया।
महाराष्ट्र	1942	बॉम्बे मध्याह्न भोजन में मुफ्त शुरू कर दिया। यह 1995-96 में एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था।
कर्नाटक	1946	बंगलौर शहर में प्रारंभ दही और पकाया हुआ चावल प्रदान करने के लिए प्रति माह/बच्चा जिसकी 1995 में 80% या अधिक उपस्थिति थी को 3 किलो गेहूं/चावल देने का प्रावधान था। खाना पकाया 7 पूर्वोत्तर जिलों में पकाये हुए भोजन की शुरूआत वर्ष 2002-03 के दौरान हुई थी।
उत्तर प्रदेश	1953	स्वैच्छिक आधार पर उबला हुआ चना, जमीन अखरोट, ख़ुदपसंद चावल और मौसमी फल देना शुरू किया गया।
केरल	1960	योजना अमेरिकी सहायता के तहत किया गया था केअर (सहयोग अमेरिकी राहत हर जगह) द्वारा 1960-1983 की अवधि (एक पायलट ढंग से) के दौरान वित्त पोषित।

[2] मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार

बिहार	1995	प्रति छात्र / प्रति माह प्रति 3 किलो सूखा राशन के साथ शुरू किया और 2003-04 में 10 जिलों के 30 ब्लॉकों में पकाया भोजन उपलब्ध कराने शुरू कर दिया
आंध्र प्रदेश	1995	वहाँ स्कूल में 80% या अधिक उपस्थिति के साथ बच्चे के प्रति / प्रति माह गेहूं, चावल की 3 किलो देने का प्रावधान किया गया था।
मध्यप्रदेश	1995	शुरू में सूखा राशन या दलिया प्रदान किया गया।
राजस्थान	1995	सरकार प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को प्रति छात्र/प्रति माह 3 किलो की दर से गेहूं प्रदान किया गया
अरुणाचल प्रदेश	1995	शुरू में राज्य के पांच जिलों में ही सूखा राशन प्रदान किया गया था, 2004 के बाद से सभी स्कूलों में लागू।
पंजाब	1995	सरकार प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों को प्रति छात्र 3 किलो/प्रति माह की दर से गेहूं प्रदान किया गया और वर्ष 2002-03 में प्रत्येक जिले के एक ब्लॉक में पकाया हुआ भोजन प्रदान करना शुरू किया गया।
हरियाणा	1995	शुरू में 6 जिलों के 17 ब्लॉकों में लागू किया और उन 44 ब्लॉकों तक विस्तार किया जहां महिला साक्षरता दर 1996-97 में राष्ट्रीय स्तर से कम थी।
हिमाचल प्रदेश	1995	शुरू में सूखा राशन प्रदान किया गया
जम्मू व कश्मीर	1995	शुरू में सूखा राशन प्रदान किया गया
मेघालय	1995	प्रति छात्र 3 किलो की सूखी राशन के साथ प्रारंभ / प्रति माह।
झारखंड	2003	यह 3140 से अधिक सरकारी प्राथमिक स्कूलों में एक प्रायोगिक आधार पर 19 जिलों में शुरू में लिया गया था।

दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन तंत्र

1.4 कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में निम्नलिखित कार्यान्वयन तंत्र का उल्लेख है: -

i. कार्यक्रम की निगरानी रखने, उसके प्रभाव का आकलन करने, संबंधित विभागों और एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने और केन्द्र और राज्य सरकारों को नीतिगत सलाह प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय संचालन व निगरानी समिति (एसएमसी) स्थापित की जायेगी। राज्यों / संघ राज्यों द्वारा अपनी वार्षिक कार्य योजनाएं प्रस्तुत करने के बाद कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड द्विवार्षिक आधार पर केन्द्रीय सहायता जारी करता है।

ii. कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर संचालन व निगरानी समितियों (एसएमसी) की भी स्थापना करनी होगी। प्रत्येक राज्य सरकार/संघ प्रदेशों को अपने एक विभाग को कार्यक्रम के कार्यान्वयन का सम्पूर्ण दायित्व वहन करने के लिए नोडल विभाग के रूप में अधिकृत करना होगा तथा नोडल विभाग द्वारा स्कूल स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए कार्यान्वयन प्रकोष्ठों का गठन किया जायेगा।

iii. जिला तथा ब्लॉक स्तर पर नियुक्त किये जाने वाले एक नोडल अधिकारी को जिला / ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जायेगी।

iv. जिन राज्यों में प्राथमिक शिक्षा का दायित्व पंचायतों / शहरी स्थानीय निकायों को सौंपा गया है, वहाँ कार्यक्रम के कार्यान्वयन का दायित्व पंचायतों शहरी स्थानीय निकायों को दिया जायेगा।

v. स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम के रोजमर्रा कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए ग्राम पंचायत / नगरपालिका को जवाबदेह बनाया जायेगा।

vi. ग्राम पंचायत / नगरपालिका स्कूल स्तर पर कार्यक्रम का पर्यवेक्षण यथास्थिति गाँव शिक्षा समिति (वी.ई.सी)/ स्कूल प्रबंध और विकास समिति (एस.एम.डी.सी) या अभिभावक अध्यापक संघ (पी.टी.ए) को सौंपा जा सकता है जो ग्राम पंचायत/नगरपालिका के प्रति जवाबदेह होगा।

vii. भोजन बनाने और आपूर्ति करने का कार्य नेहरू युवा केन्द्रों/स्वैच्छिक संगठनों के संबद्ध स्थानीय महिला/स्वयंसेवासमूहों/स्थानीय युवा क्लबों या वी.ई.सी/एस.एम.डी.सी/पी.टी.ए/ग्राम पंचायत/नगरपालिका द्वारा तैनात किये गये कर्मचारी को सौंपा जायेगा।

viii. शहरी क्षेत्रों में जहाँ एक कई स्कूलों के लिए केंद्रीकृत रसोईघर मौजूद हैं वहाँ भोजन बनाने का कार्य उस केन्द्रीकृत रसोईघर में किया जा सकता है तथा पकाया हुआ गरम खाना विभिन्न स्कूलों को भेजा जा सकता है।

चार्ट 1.1 दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन तंत्र

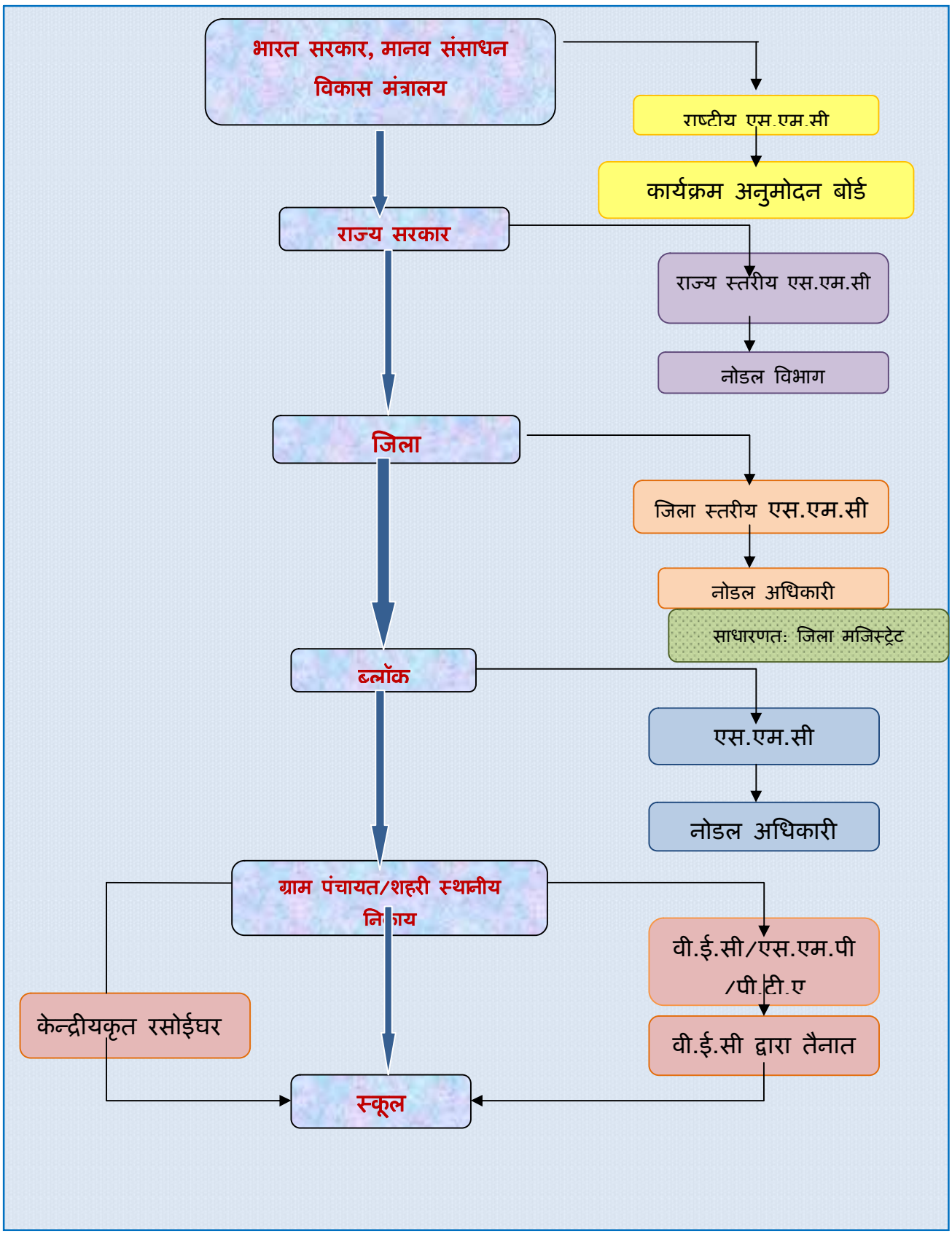

दिशानिर्देशों के अनुसार निधियों और खाद्यान्न के आबंटन के लिए मानदंड

1.5 कार्यक्रम के दिशा निर्देशों में विभिन्न अवसरों पर संशोनिधि किया गया है। तालिका 1.2 में निधि और खाद्यान्न के आवंटन संबंधी नियम और दिशा निर्देश शामिल है।

तालिका 1.2

निधि और खाद्यान्न आवंटन के लिए मानदंड

सामग्री	सी.एम.डी.एम, 2002	सी.एम.डी.एम, 2004	सी.एम.डी.एम, 2006
पोषण संबंधी सामग्री			
कैलोरी	निर्धारित नहीं	300	450
प्रोटीन	निर्धारित नहीं	8-12 ग्राम	12 ग्राम
सूक्ष्म पोषक	निर्धारित नहीं	निर्धारित नहीं	लोहे की पर्याप्त मात्रा, फोलिक एसिड, विटामिन ए आदि
परिवहन सब्सिडी	. 50 हिल परिवहन सब्सिडी के साथ प्रति क्विंटल	. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और 100 प्रति क्विंटल . 75 क्विंटल अन्य राज्यों और संघ प्रदेशों के लिए प्रति	. 100 पूर्वोत्तर राज्यों और प्रति क्विंटल अन्य राज्यों और संघ प्रदेशों के लिए 75 के लिए प्रति क्विंटल
सब्सिडी लागत खाना पकाने के खिलाफ	कोई प्रावधान नहीं	रुपया 1.00 विद्यालय को प्रति दिन प्रति बच्चा	रुपए 1.80 दिन और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रति स्कूल प्रति बच्चा .1.50 अन्य राज्यों और संघ प्रदेशों के लिए प्रति स्कूल दिवस प्रति बच्चा
प्रबंध, निगरानी और मूल्यांकन (एमएमई) के लिए सब्सिडी	कोई प्रावधान नहीं	कुल (मुफ्त भोजन, परिवहन लागत और खाना पकाने की लागत) की सहायता से 1.8%	कुल (मुफ्त भोजन, परिवहन लागत और खाना पकाने की लागत) की सहायता से 1.8%
ढांचागत सहायता			
रसोई व स्टोर का निर्माण	कोई प्रावधान नहीं	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एनएसडीपी और	रुपये की अधिकतम. अन्य कार्यक्रमों के साथ अतिरिक्त यूनिट प्रति 60,000

		UWEP कार्यक्रमों के साथ अभिसरण	
पेयजल की सुविधा		सर्व शिक्षा अभियान के त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, स्वजलधारा और कार्यक्रमों के साथ अभिसरण	सर्व शिक्षा अभियान के त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम, स्वजलधारा और कार्यक्रमों के साथ अभिसरण
रसोई उपकरण		रुपए 2000 / - सर्व शिक्षा अभियान के तहत आने वाले कार्यक्रम	. 5000 / - प्रति वर्ष प्रति स्कूल

मूल्यांकन अध्ययन की आवश्यकता

1.5 जुलाई 2006 में, मानव संसानिधि विकास मंत्रालय के प्राथिमक शिक्षा और साक्षरता विभाग ने आर्थिक कार्यों पर मंत्रीमंडल समिति का आदेश योजना आयोग को इस केन्द्र प्रायोजित योजना का मूल्यांकन करने के लिए भेजा था ताकि कार्य निष्पादन में सुधार किया जा सके तथा लाभार्थी बच्चों की पोषण आहार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। तदनुसार, इसके मूल्यांकन को पी.ई.ओ द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन अध्ययनों की प्राथमिकता सूची में रखा गया था। इस अध्ययन को लागू करने की प्रक्रिया और पकाया हुआ मध्याह्न भोजन योजना में समय-समय पर किये गये गए संशोधनों पर योजना के प्रभाव की जांच की गई है। इसके अलावा, इसके कार्यान्वयन में विभिन्न वर्षों के दौरान बहुत बदलाव आया है। अन्य संगठनों/विभागों द्वारा किये गये अध्ययनों में मुख्य रूप से मात्रात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया गया था। जबकि इस मूल्यांकन अध्ययन में नीति निर्माताओं तथा कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने के लिए न केवल मात्रात्मक पहलुओं बल्कि योजना के गुणात्मक पहुलओं अर्थात् लाभार्थियों में पोषण सुधार और सामाजिक समता पर भी मार्गदर्शन करने का प्रयास किया गया है।

अध्याय 2

उद्देश्य और क्रियाविधि

मूल्यांकन अध्ययन के उद्देश्य

2.1 मूल्यांकन अध्ययनों को डिजायन तैयार करते समय निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया था :

- सी.एम.डी.एम कवरेज की सीमा का आकलन करना;
- सी.एम.डी.एम के कार्यान्वयन से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखला औरप्रक्रियाओं को समझना तथा जांच करना;
- पकाया हुआ मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन के लिए जनशक्ति सहित अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता और समुचितता का पता लगाने के साथ-साथ प्राथमिक स्तर के सभी बच्चों को सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना बनाना और;

- प्रतिधारण, नामांकन, उपस्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालने और प्राथमिक स्तर के बच्चों के पोष्टिक आहार स्तर को जानने के लिए सी.एम.डी.एम किस हद तक सफल रहा है;

- यह आकलन करना कि क्या सी.एम.डी.एम का स्कूलों में अध्ययन/अध्यापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या नहीं;

- यह पता लगाना कि सी.एम.डी.एम. किस हद तक लक्ष्य समूह के लिए प्रासंगिक है ;

- यह आकलन करना कि समुदाय की भागीदारी और सामाजिक इक्विटी किस हद तक हासिल हुई है;

- सी.एम.डी.एम के कार्यान्वयन के लिए हस्तक्षेप साधनों तथा अपनाई गई रणनीति का अध्ययन करना

- योजना के कार्यान्वयन में आई बाधाओं को समझना और उन बाधाओं पर काबू पाने के लिए सुधारात्मक सुझाव देना

नमूनाकरण ढाँचा

2.2 उद्देश्यों में निहित विभिन्न मापदंडों की जांच करने के लिए प्राथमिक और द्वितीयक जानकारी एकत्र की गई थी। नमूनाकरण तंत्र में राज्य, जिला, तहसील/ब्लॉक, गांव, स्कूल तथा परिवार शामिल था तथा नमूनाकरण तंत्र की प्रत्येक ईकाई का चयन बहुस्तरीय नमूना पद्धति का प्रयोग करके किया जाता है।

राज्यों का चयन

2.2.1 स्तरीकृत यादृच्छिक नमूने के माध्यम से सत्रह राज्यों अर्थात, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु.हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का चयन किया गया था।

जिलों का चयन

2.2.2 प्रत्येक राज्य से जिलों का चयन करते समय तालिका 2.1 में उल्लिखित मापदंड को अपनाया गया था : स्तरीकृत नमूना पद्धति और साक्षरता दर को स्तरीकृत मापदंड के रूप में अपनाते हुए, **48 जिलों का चयन किया गया था।** चयनित जिलों की सूची तालिका 2.2 में दी गई है।

तालिका 2.1: जिलों की चयन पद्धति

जिलों की संख्या वाले राज्य	चयनित जिलों की संख्या
<15	2
16 to 30	3
> 30	4

तालिका 2.2 : चयनित राज्यों तथा जिलों की सूची:

क्रम संख्या	राज्य	चयनित जिलें
1.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद, श्रीकाकुलम अनंतपुर और पश्चिम गोदावरी
2.	अरुणाचल प्रदेश	लोहित और तिरप
3.	बिहार	मधुबनी, पश्चिम चंपारण, रोहतास और मधेपुरा
4.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा और कुल्लू
5.	हरियाणा	हिसार और झज्जर
6.	जम्मू व कश्मीर	ऊधमपुर
7.	झारखंड	रांची दुमका, बोकारो और
8.	कर्नाटक	तुमकुर बीजापुर, बीदर और

9.	केरल	तिरुअनंतपुरम और कन्नूर
10.	मध्यप्रदेश	सागर, शहडोल विदिशा, और इंदौर
11.	महाराष्ट्र	शोलापुर, सांगली, नागपुर और वाशिम
12.	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स
13.	पंजाब	कपूरथला और फिरोजपुर
14.	राजस्थान	चुरू, झुंझुनू, बीकानेर और जैसलमेर
15.	तमिल नाडु	धर्मपुरी तिरूनेलवेली और विरूद्धनगर
16.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर, बदायूं, और जालौन
17.	पश्चिम बंगाल	पूर्व मेदिनीपुर, उत्तर 24 परगना और वीरभूम

ब्लॉकों का चयन

2.2.3 प्रत्येक जिले से दो ब्लॉकों का चयन किया गया था। कुल **96 ब्लॉकों** का चयन किया गया था। औसत नमूना जिले की साक्षरता दर को स्तरीकृत मापदंड के रूप में नमूना जिले के ब्लॉक की कुल संख्या को विभाजित करने के लिए दो स्तर यानी (क) औसत साक्षरता दर के समान अथवा अधिक साक्षरता दर वाले ब्लॉक (ख) औसत जिला साक्षरता दर से कम दर वाले ब्लॉक। प्रत्येक ब्लॉक्स को प्रत्येक वर्ग में वर्णानुक्रम रूप से व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया ताकि प्रत्येक वर्ग से औचक रूप से एक ब्लॉक का चयन किया जा सके।

स्कूलों का चयन

2.2.4 सभी प्रकार के केन्द्रों/स्कूलों की सूची, जो नमूना (चयनित) ब्लॉक में रखी गई थी, प्रत्येक प्रकार स्कूल/केन्द्र से एक का चयन करते हुए 5 स्कूलों/केन्द्रों का चयन किया गया था। तथापि, सरकारी या स्थानीय निकाय स्कूलों/केन्द्रों के अलावा अन्य वर्ग के स्कूल/केन्द्रों (सरकारी सहायता प्राप्त, ई.जी.एस तथा ए एंड आई.ई सेन्टर) की गैर उपलब्धता के मामले में अन्य उपलब्ध श्रेणी के स्कूलों/केन्द्रों को कुल संख्या में से उनका आंशिक प्रतिनिधित्व देते हुए अन्य उपलब्ध स्कूल श्रेणियों से 5 स्कूलों/केन्द्रों का नमूना तैयार किया गया था। इस प्रकार **480 नमूना स्कूलों** का चयन किया गया था। इसे निम्नलिखित तालिका में सचित्र दर्शाया गया है:

तालिका **2.3**

नमूना स्कूलों / केंद्रों की चयन प्रक्रिया											
क्रम संख्या	कुल संख्या सहित विभिन्न श्रेणी के स्कूलों/केन्द्रों की संभावित स्थिति					नमूना स्कूलों / केन्द्रों का आनुपातिक चयन					कुल योग
	सरकारी स्कूल	सहायता प्राप्त स्कूल	स्थानीय निकाय	ए एंड आई.ई	ईजीएस	सरकारी स्कूल	सहायता प्राप्त स्कूल	स्थानीय निकाय	ए एंड आई.ई	ईजीएस	
1.	100	75	25	उपलब्ध	उपलब्ध	2	2	1	0	0	**5**

				नहीं	नहीं						
2.	100	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं)	50	50	3	0	0	1	1	**5**
3.	100	उपलब्ध नहीं	25	25	25	2	0	1	1	1	**5**
4.	100	25	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	25	3	1	0	0	1	**5**
5.	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1	**5**
6.	100	75	50	25	10	1	1	1	1	1	**5**

गांवों का चयन

2.2.5 गांव जहां नमूना विद्यालय स्थित था का चयन नमूना प्रचार करने के लिए नमूना गांव के रूप में किया गया था।

लाभार्थी छात्रों का चयन

2.2.6 प्रत्येक स्कूल/केन्द्र से, प्रत्येक कक्षा अर्थात् पहली से पांचवीं कक्षा तक न्यूनतम 1 लड़के तथा 1 लड़की को प्रतिनिधित्व देते हुए 10 लाभार्थी छात्रों (5 लड़कों और 5 लड़कियों) का औचक रूप से चयन किया गया था। सह शिक्षा विद्यालय/केन्द्र में किसी भी कक्षा में बालिका छात्र की गैर-उपलब्धता के मामले में लड़कों से कमी पूर्ति की गई थी। इस प्रकार **4800 लाभार्थी छात्रों का चयन किया गया था।**

नमूना छात्रों के अभिभावकों/संरक्षकों का चयन

2.2.7 अभिभावकों/संरक्षकों को रिझाने के लिए एक ही नमूना स्कूल/केन्द्र से दस नमूना लाभार्थी छात्रों के अभिभावकों/संरक्षकों का चयन किया गया था।

पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का चयन

2.2.8 प्रत्येक गांव जहां नमूना स्कूल/केन्द्र स्थित था से अधिमानत: एक लड़के और एक लड़की – पढ़ाई छोड़ने वाले 2 छात्रों का चयन किया गया था। बालिका छात्र गैर उपलब्धता के मामले में लड़कों को चयन किया गया था बशर्ते कि पढ़ाने छोड़ने वाला लड़का उसी स्कूल/केन्द्र की किसी एक कक्षा (पहली से पांचवीं) का हो और योजना के कार्यान्वयन के प्रासंगिक वर्षों के बाद स्कूल/केन्द्र आना छोड़ा हो।

स्कूल न जाने वाले बच्चें का चयन

2.2.9 प्रत्येक नमूना गांव से स्कूल न जाने वाले 3 बच्चों का औचक रूप से चयन किया गया था।

फोकस समूहों का चयन

2.2.10 किसी नमूना ब्लॉक में स्कूलों की कुल संख्या में उनके अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर स्कूलों/केन्द्रों की स्थिति की श्रेणी के आधार पर न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 3 मुख्य फोकस समूहों का चयन किया गया था ताकि नीचे दी गई तालिका 2.4 में दर्शाए गए अनुसार स्थिति की विविधता को दर्शाया जा सके:

तालिका 2.4

स्कूलों और केन्द्रों के विभिन्न प्रकार के चयन के संभावित स्थिति					फोकस समूह का प्रस्तावित चयन				
सरकारी	सरकारी सहायता प्राप्त	स्थानीय निकाय	ईजीएस	ए एंड आईई	सरकारी	सरकारी सहायता प्राप्त	स्थानीय निकाय	ईजीएस	ए एंड आईई
1	1	1	1	1	1	1	1	X	X
2	1	2	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1	1	1	X	X
5	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2	X	X	X	X
उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	5	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	X	X	2	X	X
1	उपलब्ध नहीं	1	2	1	1	X	1	1	X
उपलब्ध नहीं	1	1	1	2	X	1	1	X	1

प्रत्येक नमूना गांव से, अभिभावकों के तीन समूहों (9-10 व्यक्तियों) जिनमें प्रत्येक का संबंध (क) अनुसूचित जातियों तथा/या अनुसूचित जनजातियों (उनकी उपलब्धता और एकाग्रता पर निर्भर करता है) (ख) गैर-अनुसूचित जातियों तथा/या अनुसूचित जनजातियों और (ग) माताओं को सामूहिक परिचर्चाओं द्वारा अपेक्षित जानकारी जुटाने के लिए फोकस समूहों के रूप में चुना गया था।

गुणात्मक नोट्स

2.2.11 विभिन्न स्तरों पर फिल्ड नोट्स तैयार करने तथा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालयों तथा परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों द्वारा तैयार की गई प्रश्नावलीयां ढांचागत प्रश्नावलियों के माध्यम से मात्रात्मक डाटा द्वारा रूझान दर्शाने में उपयोगी रहीं। इन नोट्स में विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वयन तंत्र और उनकी प्रभावकारिता, पोषण संबंधी, आर्थिक और भोजन बनाने में समय की खपत तथा आर्थिक पहलुओं, जनशक्ति, बुनियादी सुविधाओं, और विभिन्न स्तरों पर निगरानी और पर्यवेक्षण संबंधी ब्योरे शामिल थे।

संदर्भ अवधि

2.2.12 अध्ययन की संदर्भ अवधि **2000 से 2006** तक थी और तत्कालीन मध्याह्न भोजन तथा पकाया हुआ मध्याह्न भोजन दोनों कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया था।

डाटा संकलन

2.2.13 अनुसूचियों की पूर्व जांच करने के बाद कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन मुख्याल, योजना आयोग, नई दिल्ली में अक्तूबर 2006 में फील्ड स्टाफ के लिए उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। फिल्ड कार्य क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालयों तथा विभिन्न राज्यों में स्थित कार्यक्रम मूल्यांकन कार्यालयों द्वारा नवम्बर 2006 से मार्च 2007 तक किया गया था।

डाटा प्रोसेसिंग

2.2.14 क्षेत्रीय मूल्यांकन कार्यालयों तथा पी.ई.ओ से प्राप्त भरी हुई अनुसूचियों को डाटा एंट्री और प्रोसेसिंग के लिए एन.आई.सी को सौंपने से पहले जांच की गई और उन पर कोड लगाया गया। मूल्यांकन अध्ययन के उद्देश्यों के अनुसार विश्लेषणात्मक तालिकाएं तैयार की गई हैं।

अध्याय 3

लाभार्थी, पढ़ाई छोड़ने वाले तथा स्कूल न जाने वाले बच्चे

लाभार्थी बच्चे

3.1 ये वे बच्चे हैं जो पकाया हुआ मध्याह्न भोजन योजना के लाभ ले रहे हैं। आगामी कुछ खंडों में, उनके सामाजिक, आर्थिक प्रोफ़ाइल और आहार संबंधी आदतों की जांच की गई हैं।

आर्थिक स्थिति

3.1.1 अभिभावकों की कम आय के कारण बच्चों को घरेलू आय में वृद्धि करने के लिए कार्य करना होता है। ऐसी स्थिति में तालिका 3.1 में लाभार्थी बच्चों के अभिभावकों; पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के अभिभावकों और स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों की औसत वार्षिक आय के बीच तुलना दर्शायी गई है। तालिका के अनुसार पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों और स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों की तुलना में लाभार्थी बच्चों की आय अधिक है। यह भी उल्लेखनीय है कि 4580 लाभार्थी बच्चों के अभिभावकों में से पांच ने बताया कि उनकी कोई आय नहीं है। इसकी तुलना में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के 122 अभिभावकों में से ग्यारह ने बताया की उनकी कोई निश्चित आय नहीं है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के 94 अभिभावकों में से सात ने बताया कि उनके पास आय का कोई जरिया नहीं है। तालिका 3.2 में लाभार्थी अभिभावकों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार लाभार्थी बच्चों की राज्यवार वार्षिक घरेलु आय दर्शायी गई है।

तालिका 3.1

	औसत वार्षिक आय (माध्यिका मूल्य)	औसत वार्षिक आय (मध्यमान मूल्य)
लाभार्थी बच्चों के अभिभावक	20,000	26,613.29
स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावक	12000	17767.77
पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के अभिभावक	12000	18278.72

तालिका 3.2: लाभार्थी बच्चों की औसत वार्षिक घरेलू आय

क्रम संख्या	राज्य	घरेलू वार्षिक आय (पये में)
		(ए)
1.	आंध्र प्रदेश	16672.7
2.	अरुणाचल प्रदेश	18290.5
3.	बिहार	23530.2
4.	हरियाणा	27229.0
5.	हिमाचल प्रदेश	37097.5
6.	जम्मू व कश्मीर	31536.0
7.	झारखंड	22210.7
8.	कर्नाटक	20028.6
9.	केरल	35021.1
10.	मध्यप्रदेश	23112.7
11.	महाराष्ट्र	38917.7
12.	मेघालय	26882.4
13.	पंजाब	35671.6
14.	राजस्थान	28821.1
15.	तमिल नाडु	24986.9
16.	उत्तर प्रदेश	23400.7
17.	पश्चिम बंगाल	33082.2

3.1.2 संकलित डाटा के अनुसार देश भर के 40 प्रतिशत लाभार्थी अन्य पिछड़ा वर्गों की श्रेणी से, 23 प्रतिशत अनुसूचित जाति वर्ग, 13 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति श्रेणी तथा अन्य श्रेणियों से 24 प्रतिशत ताल्लुक रखते हैं। नीचे दी गई तालिका 3.3 में लाभार्थी बच्चों का राज्यवार सामाजिक श्रेणी विभाजन दर्शाया गया है।

तालिका 3.3 लाभार्थी बच्चों की सामाजिक स्थिति

राज्य	अनुसूचित जाति (प्रतिशत में)	अनुसूचित जनजाति (प्रतिशत में)	अन्य पिछड़ा वर्ग (प्रतिशत में)	अन्य (प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश	19.26	9.58	63.74	7.37
अरुणाचल प्रदेश	0.00	62.66	0.00	36.94
बिहार	18.50	0.50	68.00	13.00
हरियाणा	41.12	0.00	31.47	27.41
हिमाचल प्रदेश	32.84	3.48	20.90	42.79
जम्मू व कश्मीर	36.00	29.00	1.00	34.00
झारखंड	11.19	30.69	50.17	7.12
कर्नाटक	30.74	6.01	0.00	63.25
केरल	16.15	0.62	75.78	7.45
मध्यप्रदेश	18.55	21.25	43.11	17.04
महाराष्ट्र	21.41	7.57	29.00	42.01
मेघालय	1.96	94.77	0.00	3.27
पंजाब	51.00	0.00	46.00	3.00
राजस्थान	24.36	4.87	53.59	17.18
तमिल नाडु	31.00	2.33	62.33	4.33
उत्तर प्रदेश	18.81	0.26	50.26	30.67
पश्चिम बंगाल	16.96	10.39	2.17	70.43
नमूना औसत	**22.49**	**12.86**	**40.19**	**24.41**

नमूना अभिभावकों का शैक्षिक स्तर

3.1.3 अभिभावकों की शैक्षिक पृष्ठभूमि बच्चों को पढ़ाई जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। अध्ययन में चयनित लाभार्थी बच्चों के लगभग 33 प्रतिशत अभिभावक निरक्षर पाये गए थे। 28 प्रतिशत अभिभावकों ने प्राथमिक स्तर तक तथा 21 प्रतिशत अभिभावकों ने उच्च प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई की थी।

तालिका 3.4: लाभार्थी बच्चों के अभिभावकों के शैक्षिक स्तर

राज्य का नाम	निरक्षर (प्रतिशत में)	प्राथमिक (प्रतिशत में)	माध्यमिक (प्रतिशत में)	मैट्रिक और ऊपर (प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश	44.79	28.45	11.83	14.93
अरुणाचल प्रदेश	49.32	25.68	20.27	4.73
बिहार	31.49	30.48	18.64	19.40
हरियाणा	41.21	21.11	13.57	24.12
हिमाचल प्रदेश	24.00	29.00	21.00	26.00
जम्मू-कश्मीर	31.82	24.55	34.55	9.09
झारखंड	38.93	32.21	14.09	14.77
कर्नाटक	35.34	31.80	16.61	16.25
केरल	0.59	13.02	44.38	42.01
मध्यप्रदेश	31.75	31.75	22.25	14.25
महाराष्ट्र	26.94	18.06	28.33	26.67
मेघालय	6.58	50.00	34.21	9.21
पंजाब	50.51	23.74	15.66	10.10
राजस्थान	40.75	28.75	15.50	15.00
तमिल नाडु	16.73	42.70	29.89	10.68
उत्तर प्रदेश	40.77	23.33	18.21	17.69
पश्चिम बंगाल	29.26	29.26	28.38	13.10
सभी राज्यों	**33.03**	**28.52**	**21.30**	**17.16**

नमूना अभिभावकों के व्यवसाय की स्थिति

3.1.4 सांख्यिकीय सुविधा के लिए अभिभावकों के पेशे को चार श्रेणियों में बांटा गया है। खेती अथवा इससे संबंधित कृषि से जुड़े कार्यकलापों में लगे अभिभावकों को एक श्रेणी में रखा गया है। वे अभिभावक जो मजदूरी, चाहे वह कृषि अथवा अन्य कार्यकलापों से जुड़ी हों, कर रहे हो उन्हें एक श्रेणी में समूहबद्ध किया गया है। इन मजदूर समूहों के पास न तो जमीन और न ही कोई बड़ी सम्पत्ति है। घरेलू उद्योगों, व्यापार तथा कारोबार से जुड़े अभिभावकों को एक समूह में रखा गया है। अंतिम समूह में सेवा तथा अन्य व्यावसायों में लगे अभिभावक शामिल हैं। लगभग 43 प्रतिशत अभिभावक कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों में मजदूर के रूप में लगे हैं। लगभग 31 प्रतिशत कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों से जुड़े हैं। 11 प्रतिशत घरेलू उद्योगों, व्यापार तथा कारोबार से जुड़े हैं और 14.90 प्रतिशत सेवा तथा अन्य पेशों से जुड़े हैं।

तालिका 3.5: लाभार्थी बच्चों के अभिभावकों का व्यवसाय

राज्य	कृषि/कृषि से जुड़ी गतिविधियां	कृषि/अन्य श्रमिक	घरेलू उद्योग/ /व्यापार/व्यवसाय	सेवा/अन्य
	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश	22.26	60.24	5.93	11.57
अरुणाचल प्रदेश	77.70	9.46	7.43	5.41
बिहार	22.67	50.13	21.41	5.79
हरियाणा	24.00	52.50	12.50	11.00
हिमाचल प्रदेश	38.00	28.00	11.50	22.50
जम्मू व कश्मीर	58.00	18.00	10.00	14.00
झारखंड	13.42	55.37	17.11	14.09
कर्नाटक	13.68	54.74	10.18	21.40
केरल	65.12	20.35	1.16	13.37
मध्यप्रदेश	37.50	42.25	7.50	12.75
महारा	27.57	32.97	8.38	31.08
मेघालय	59.48	15.03	16.99	8.50
पंजाब	14.67	70.65	9.78	4.89
राजस्थान	29.75	39.25	10.75	20.25
तमिल नाडु	17.79	71.53	6.05	4.63
उत्तर प्रदेश	49.74	29.74	11.03	9.49
पश्चिम बंगाल	17.83	36.09	10.87	35.22
सभी राज्यों	**31.40**	**42.95**	**10.76**	**14.90**

घर पर भोजन की पर्याप्तता (लाभार्थी बच्चे)

3.1.5 नमूना लाभार्थियों की आहार संबंधी आदतों का आकलन करने के लिए उनसे पूछा गया था कि वे दूध, फलों, दालों और सब्जियों का सेवन कितने अन्तराल में करते हैं। उन्हें चार विकल्प दिये गए थे अर्थात् प्रतिदिन, सप्ताह में कभी-कभी, महीने/वर्ष में कभी कभार तथा कभी नहीं।

दूध

3.1.5.1 देश भर के लगभग 33 प्रतिशत नमूना लाभार्थियों ने जवाब दिया कि वे प्रतिदिन दूध का सेवन करते हैं। 22 प्रतिशत ने कहा कि उन्हें सप्ताह में कभी-कभी दूध

मिलता है। लगभग 39 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें कभी दूध नहीं मिला। तालिका 3.6 में राज्यवार आंकड़े दिये गए हैं। आंध्र प्रदेश में चयनित लगभग 75 प्रतिशत बच्चों ने बताया कि उन्हें घर पर दूध नहीं मिलता।

तालिका 3.6 घर पर लाभार्थी बच्चों के दूध सेवन की बारंबारता

राज्य	प्रतिदिन	सप्ताह में कभी कभी	महीने / वर्ष में कभी कभी	कभी नहीं
	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश	16.43	7.93	0.57	75.07
अरुणाचल प्रदेश	1.90	45.57	46.20	6.33
बिहार	7.75	32.50	3.50	56.25
हरियाणा	67.84	17.59	0.50	14.07
हिमाचल प्रदेश	61.69	23.88	1.00	13.43
जम्मू व कश्मीर	30.00	32.00	0.00	38.00
झारखंड	3.63	9.57	15.51	71.29
कर्नाटक	63.60	8.13	0.00	28.27
केरल	20.99	46.30	1.85	30.86
मध्यप्रदेश	27.25	6.75	0.00	66.00
महाराष्ट्र	47.55	7.07	0.54	44.84
मेघालय	0.65	99.35	0.00	0.00
पंजाब	51.50	25.00	2.50	21.00
राजस्थान	65.90	13.08	2.05	18.97
तमिल नाडु	17.73	34.45	16.72	31.10
उत्तर प्रदेश	40.00	16.92	0.26	42.82
पश्चिम बंगाल	15.15	35.50	9.96	39.39
नमूना औसत	**32.57**	**22.42**	**5.03**	**39.98**

फल

3.1.5.2 देश भर के लगभग 13 प्रतिशत नमूना लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें प्रतिदिन फल मिलते हैं। 8 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें सप्ताह में कभी कभी फल मिलते हैं। लगभग

59 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें महीने/वर्ष में कभी कभी फल मिलते हैं। 18 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें घर में कभी फल नहीं मिलते। तालिक 3.7 में राज्यवार आंकड़े दिये गए हैं।

तालिका 3.7 : घर पर लाभार्थी बच्चों के फल सेवन की बारंबारता

राज्य	प्रतिदिन	सप्ताह में कभी कभी	महीने / वर्ष में कभी कभी	कभी नहीं
	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश	6.52	2.83	73.09	17.56
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.63	60.76	38.61
बिहार	12.75	0.00	44.75	42.50
हरियाणा	3.02	14.07	81.41	1.51
हिमाचल प्रदेश	3.98	7.96	86.57	1.49
जम्मू व कश्मीर	4.00	6.00	71.00	19.00
झारखंड	20.13	0.00	40.92	38.94
कर्नाटक	18.37	12.01	62.19	7.42
केरल	2.47	14.81	74.07	8.64
मध्यप्रदेश	3.00	2.00	88.50	6.50
महाराष्ट्र	3.53	9.51	82.07	4.89
मेघालय	0.00	100.00	0.00	0.00
पंजाब	17.00	5.00	64.50	13.50
राजस्थान	45.64	7.44	27.95	18.97
तमिल नाडु	6.35	5.35	62.88	25.42
उत्तर प्रदेश	17.69	4.36	50.00	27.95
पश्चिम बंगाल	25.11	4.33	46.75	23.81
नमूना औसत	**12.90**	**8.65**	**59.80**	**18.65**

दालें

3.1.5.3 देश भर के 45 प्रतिशत नमूना लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें प्रतिदिन दाल मिलती है। लगभग 49 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें सप्ताह में कभी-कभी दाल मिलती है। तालिका 3.8 में राज्यवार आंकड़े दिए गए हैं।

तालिका 3.8 : घर पर लाभार्थी बच्चों के दाल सेवन की बारंबारता

राज्य	प्रतिदिन	सप्ताह में कभी कभी	महीने / वर्ष में कभी कभी	कभी नहीं
	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश	12.18	87.25	0.28	0.28
अरुणाचल प्रदेश	96.84	3.16	0.00	0.00
बिहार	58.25	40.50	0.00	1.25
हरियाणा	21.11	78.89	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	31.34	68.16	0.00	0.50
जम्मू व कश्मीर	1.00	98.00	1.00	0.00
झारखंड	39.93	34.32	17.49	8.25
कर्नाटक	96.47	3.53	0.00	0.00
केरल	83.33	8.64	8.02	0.00
मध्यप्रदेश	39.25	59.00	1.75	0.00
महाराष्ट्र	26.63	61.41	7.34	4.62
मेघालय	99.35	0.65	0.00	0.00
पंजाब	25.00	74.50	0.50	0.00
राजस्थान	47.69	42.56	5.38	4.36
तमिलनाडु	17.39	72.58	9.70	0.33
उत्तर प्रदेश	33.33	64.36	1.54	0.77
पश्चिम बंगाल	85.28	12.12	1.30	1.30
नमूना औसत	**45.45**	**49.43**	**3.53**	**1.59**

सब्जियां

3.1.5.4 देश भर के 60 प्रतिशत नमूना लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें प्रतिदिन सब्जियां मिलती है। लगभग 40 प्रतिशत ने बताया कि उन्हें सप्ताह में कभी-कभी सब्जियां मिलती है। तालिका 3.9 में राज्यवार आंकड़े दिए गए हैं।

तालिका 3.9 : घर पर लाभार्थी बच्चों के सब्जियां सेवन की बारंबारता

राज्य	प्रतिदिन	सप्ताह में कभी कभी	महीने / वर्ष में कभी कभी	कभी नहीं
	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)	(प्रतिशत में)
आंध्र प्रदेश	16.43	81.59	1.70	0.28
अरुणाचल प्रदेश	99.37	0.63	0.00	0.00
बिहार	40.00	59.75	0.25	0.00
हरियाणा	49.25	50.75	0.00	0.00
हिमाचल प्रदेश	62.69	37.31	0.00	0.00
जम्मू व कश्मीर	1.00	99.00	0.00	0.00

झारखंड	36.63	58.42	4.29	0.66
कर्नाटक	53.36	44.52	0.35	1.77
केरल	50.62	46.91	1.23	1.23
मध्यप्रदेश	77.50	22.00	0.00	0.50
महाराष्ट्र	66.30	33.70	0.00	0.00
मेघालय	100.00	0.00	0.00	0.00
पंजाब	37.50	62.00	0.00	0.50
राजस्थान	97.44	2.05	0.00	0.51
तमिल नाडु	36.79	57.53	5.02	0.67
उत्तर प्रदेश	75.64	23.85	0.26	0.26
पश्चिम बंगाल	89.61	9.96	0.00	0.43
नमूना औसत	**59.22**	**39.52**	**0.85**	**0.41**

पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चे

3.2 देश भर में पढ़ाई छोड़ने वाले 120 बच्चों का चयन किया गया था। 44 प्रतिशत, 22 प्रतिशत, 6 प्रतिशत और 28 प्रतिशत बच्चों का ताल्लुक क्रमशः अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणियों से था। लगभग 70 प्रतिशत पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों के अभिभावक कृषि/अन्य श्रमिक पाये गए थे। लगभग 62 प्रतिशत अभिभावक निरक्षर थे, 25 प्रतिशत ने प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई की थी। तालिका के अनुसार पढ़ाई छोडने का प्रमुख कारण आर्थिक मजबूरियां थी। शिक्षा से होने वाले लाभों के प्रति जनचेतना और समुचित मार्गदर्शन का अभाव स्कूल छोड़ने का दूसरा बड़ा कारण था।

तालिका 3.10

	आर्थिक कारण	सामाजिक कारण	स्कूल से संबंधित समस्याएं	शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव	स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं	कुल योग
प्राथमिक कारण	59	7	18	27	1	112
माध्यमिक कारण	36	1	3	26		66

स्कूल न जाने वाले बच्चे

3.3 देश भर में स्कूल न जाने वाले 94 बच्चों का चयन किया गया था। 43 प्रतिशत, 4 प्रतिशत, 23 प्रतिशत और 29 प्रतिशत बच्चों का ताल्लुक क्रमशः अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य श्रेणियों से है। लगभग 68 प्रतिशत स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावक कृषि/अन्य श्रमिक पाये गए। लगभग 68 प्रतिशत अभिभावक

निरक्षर पाये गए तथा 18 प्रतिशत ने प्राथमिक स्तर तक पढ़ाई की थी। गरीब आर्थिक स्थति तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव और समुचित मार्गदर्शन का अभाव स्कूल न जाने का दूसरा प्रमुख कारण है।

निष्कर्ष

3.4.1 नमूना लाभार्थियों का सामाजिक रूप से वंचित वर्गों अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों (3.3) से ताल्लुक रखता है। इस प्रकार यह योजना सामाजिक समता का उद्देश्य हासिल करने में सफल रही है। बहरहाल, पढ़ाई छोड़ने वाले तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों में बड़ा हिस्सा अनुसूचित जातियों का है।

3.4.2 लगभग 33 प्रतिशत नमूना लाभार्थियों के अभिभावक निरक्षर हैं जिससे योजना का संतोषजनक लक्ष्य ज्ञात होता है। बहरहाल पढ़ाई छोड़ने वाले तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों के क्रमश: 62 प्रतिशत तथा 68 प्रतिशत अभिभावक निरक्षर हैं।

3.4.3 लगभग 40 प्रतिशत लाभार्थी अभिभावक श्रमिक हैं जिनकी अपनी कोई भूमि/सम्प नहीं है। इस प्रकार यह योजना के संतोषजनक लक्ष्य की ओर संकेत है। लेकिन पढ़ाई छोड़ने वाले और स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों की तुलना करने पर (लगभग 70 प्रतिशत श्रमिकों के पास कोई सम्प /भू-स्वामित्व नहीं है) इसलिए अधिक सुधार की आवश्यकता महसूस होती है।

3.4.4 पढ़ाने छोड़ने तथा स्कूल न जाने वाले अधिकांश छात्रों ने पढ़ाई छोड़ने या स्कूल न जाने का मुख्य कारण आर्थिक हालात बताया है। अत: यह योजना उन आर्थिक कारणों का खुलासा नहीं कर पायी जिनकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते।

7

अध्याय 4

कवरेज, कार्यान्वयन तंत्र और बुनियादी सुविधा

पकाया हुआ मध्याह्न भोजन योजना का दायरा

4.1 पकाया हुआ मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम के तहत 17 चयनित राज्यों में कुछ अपवादों को छोड़कर सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय द्वारा संचालित स्कूल, ईजीएस केन्द्र तथा ए एंड आईई स्कूलें शामिल हैं। पंजाब के कपूरथला और फिरोजपुर जिलों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, हालांकि भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ स्कूल पकाये हुए मध्याह्न भोजन की बजाय आज भी मध्याह्न भोजन योजना के तहत संचालित हैं। मेदनीपुर जिलें में स्थानीय निकायों द्वारा संचालित सभी स्कूलें मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम के तहत संचालित हैं। जिला स्तरीय अनुसूचियों के अनुसार पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में 2734 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में से 365 स्कूलें आज भी मध्याह्न भोजन योजना के तहत संचालित हैं जबकि उत्तर 24 परगना जिलें में 3652 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में से 434 आज भी मध्या भोजन योजना के तहत संचालित हैं। हरियाणा के हिसार जिलें में 314 ए एंड आई.ई स्कूलों और झज्जर जिले में 24 में से कोई भी स्कूल पकाया हुआ मध्याह्न भोजना या मध्या भोजन कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं हैं। तालिका 4.1 में स्कूलों में सी.एम.डी.एम योजना के दायरे को दर्शाया गया है। इसमें राज्यवार स्कूलों की कुल संख्या, सी.एम.डी.एम के तहत शामिल की गई स्कूलों की संख्या, मध्याह्न भोजन योजना के तहत शामिल स्कूलों की संख्या और शामिल न किये गए स्कूलों की संख्या दर्शायी गई है। तालिका में यह दर्शाया गया है कि सभी नमूना राज्यों में अधिकांश स्कूलों को सी.एम.डी.एम योजना के तहत शामिल किया गया है।

तालिका 4.1 : चयनित नमूना राज्यों* में सी.एम.डी.एम, एम.डी.एम तथा शामिल न की गई स्कूलें

राज्य	कुल स्कूलें	दाखिले	सी.एम.डी.एम के तहत शामिल स्कूलें	एमडीएम के तहत शामिल स्कूलें	शामिल न की गई स्कूलों की संख्या	शामिल न की गई स्कूलों में दाखिला
आंध्र प्रदेश	60780	6033039	60780	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	4593	218905	4593	0	0	0
बिहार	69204	12858653	69204	0	0	0
हरियाणा	16589	2549331	12744	1702289	3845	847042

हिमाचल प्रदेश	10982	529843	10982	0	0	0
जम्मू व कश्मीर	26648	1484887	23091	0	3557	391270
झारखंड	38524	5048908	37923	0	601	82768
केरल	10913	2160354	10913	0	0	0
मध्यप्रदेश	94905	8891737	94905	0	0	0
महाराष्ट्र	85821	9014434	79918	8187366	5903	827068
मेघालय	7640	627596	7640	0	0	0
पंजाब	20494	1767825	0	0	4506	280000
राजस्थान	74690	6960000	74690	0	0	0
तमिल नाडु	34710	4826835	34710	0	0	0
उत्तर प्रदेश	107377	18917189	107377	0	0	0
पश्चिम बंगाल	74993	10206608	69814	0	5179	1011227

*राज्य स्तरीय अनुसूचियों के अनुसार

निधि और खाद्यान्न का प्रवाह

4.2 मानव संसानिधि विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राज्यों को निधि राशि स्वीकृत करने और खाद्यान्न की आपूर्ति (केन्द्रीय सहायता) करने के लिए नोडल एजेंसी है। फ्लो चार्ट 4.1 में केन्द्र सरकार से स्कूल स्तर तक निधि राशि का प्रवाह तंत्र दर्शाया गया है। फ्लो चार्ट 4.2 में केन्द्र सरकार से स्कूल स्तर तक खाद्यान्न का साधारण प्रवाह तंत्र (केन्द्रीय सहायता) दर्शाया गया है। कुछ राज्यों को केन्द्रीय दिशा निर्देशों से भिन्न दिशा निर्देश जारी किये गए हैं। फिल्ड दलों द्वारा यह देखा गया है कि कभी-कभी एफ.पी.एस डीलर सी.एम.डी.एम के लिए घटिया किस्म का खाद्यान्न देता है जिसका भोजन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती है।

चार्ट 4.1 : निधि राशि का प्रवाह

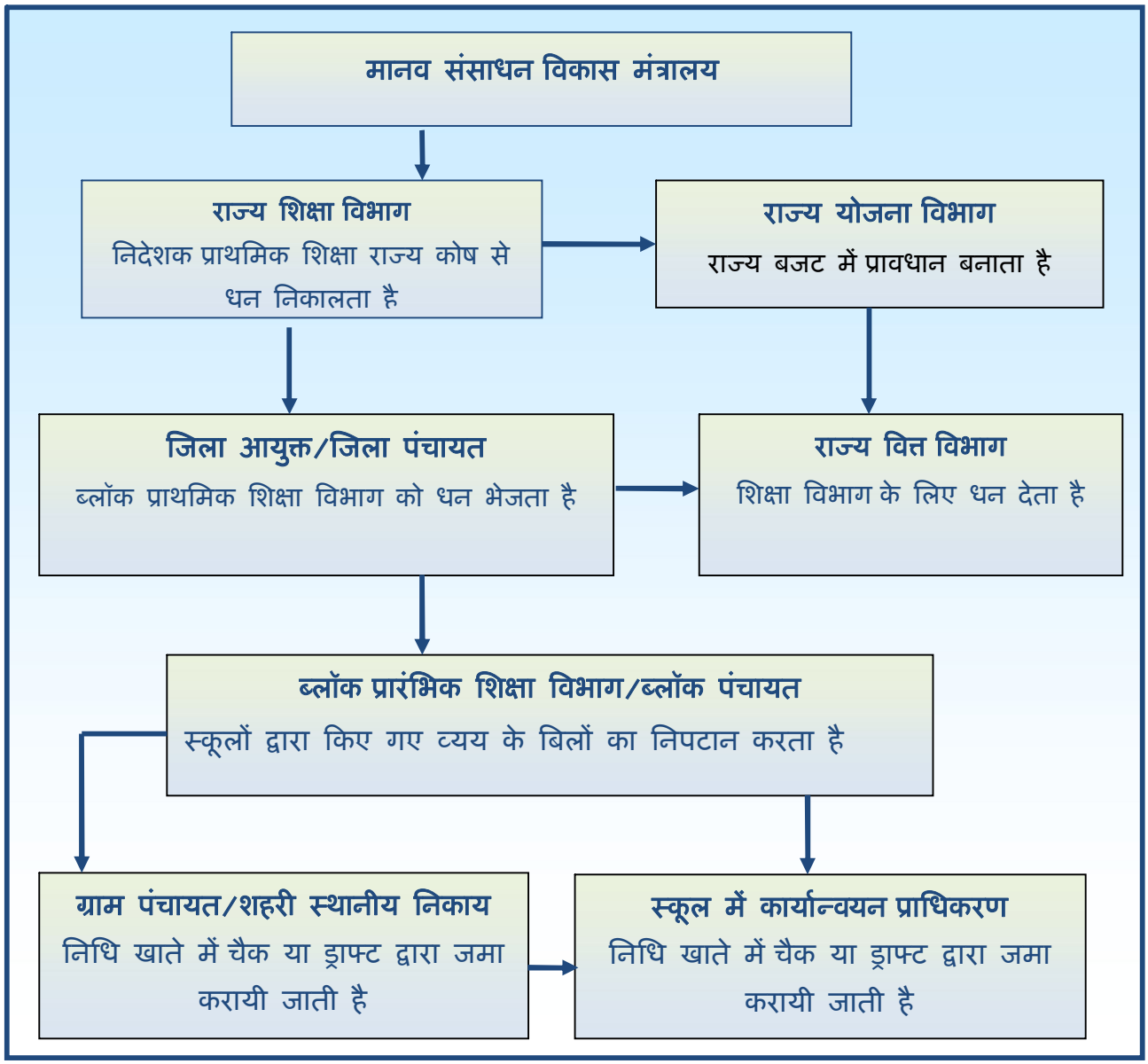

चार्ट 4.2 : खाद्यान्न का प्रवाह

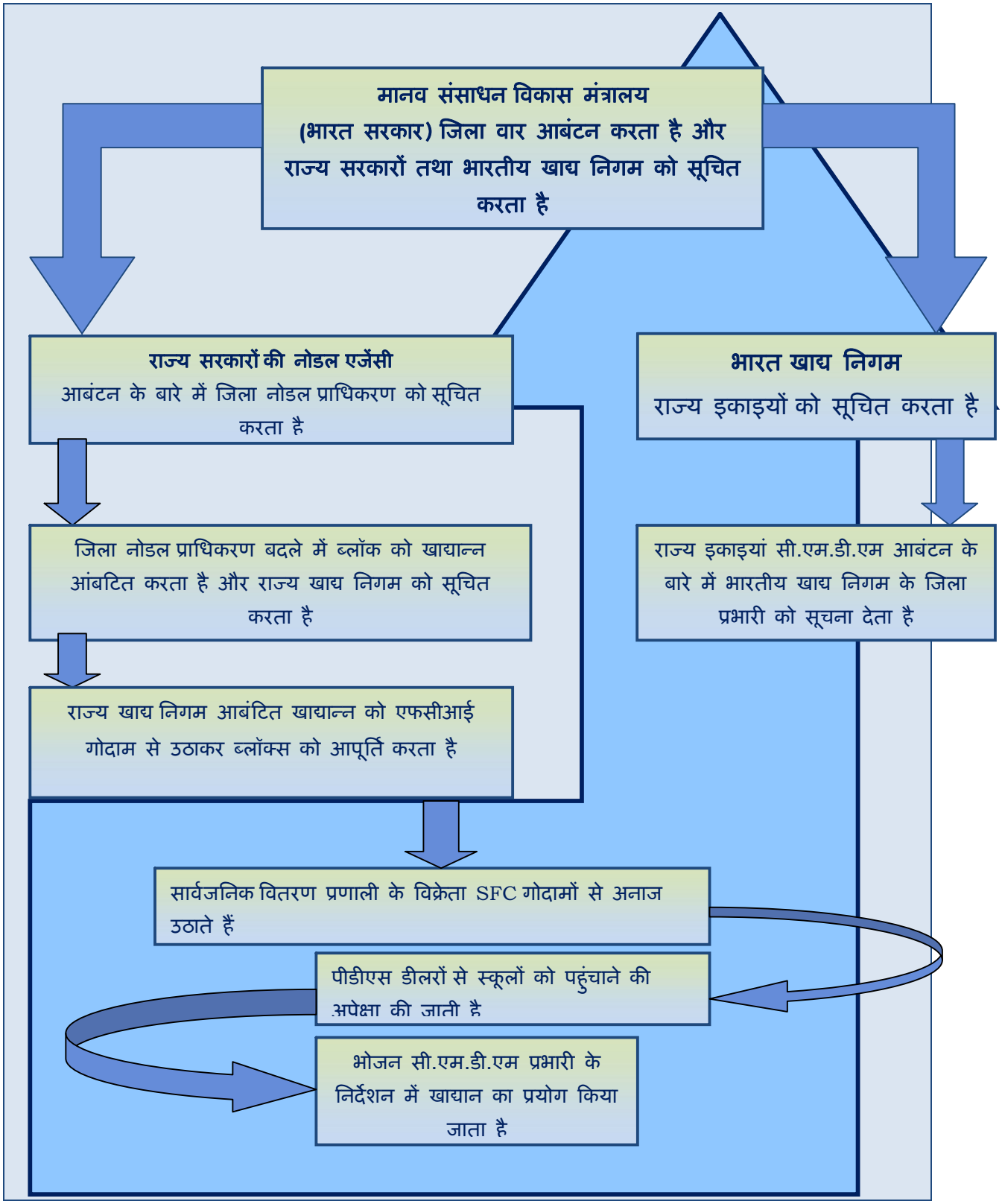

राज्यों में कार्यान्वयन तंत्र

4.3 इस खंड में निर्धारित दिशानिर्देश से कार्यान्वयन तंत्र में विचलन, हमारी फील्ड टीम की टिप्पणी और राज्य के अनुसार कुछ विशेष प्रथाओं का उल्लेख है जिनका कार्यान्वयन किया गया है और नीतिगत महत्व है।

आंध्र प्रदेश

4.3.1 इस कार्यक्रम हेतु खाद्यान्न उचित दर दुकान के डीलर द्वारा जारी किया जाता है। उचित दर दुकान से खाद्यान्नों को उठाने तथा ढुलाई की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन एजेंसियों को सौंपी गई है, हालांकि भारत सरकार ने स्कूल में खाद्यान्नों की आपूर्ति की जिम्मेदारी उचित दर दुकानों को सौंप रखी है। एक उपाय के रूप में पश्चिम गोदावरी जिले में संयुक्त कलक्टर ने सीएमडीएम के लिए चावल की बोरियों को विशेष रूप से सीलबद्ध आवरण में रखने तथा अलग रंग का इस्तेमाल करने का आदेश दिया है। हमारे फील्ड दलों ने सूचित किया है कि उचित दर दुकान द्वारा सीधे स्कूलों को खाद्यान्नों की आपूर्ति न किए जाने से प्रत्येक 50 किग्रा. की बोरी पर 2 से 5 किग्रा. खाद्यान्नों की चोरी हो जाती है।

अरूणाचल प्रदेश

4.3.2 उचित दर दुकान से खाद्यान्नों की आपूर्ति शिक्षक द्वारा प्राप्त की जाती है। भोजन की व्यवस्था संबंधित स्कूल के शिक्षकों के सहयोग से हेडमास्टर के पर्यवेक्षण में की जाती है।

बिहार और झारखंड

4.3.3.1 निधियां राज्य स्तर से सभी शिक्षा उपायुक्तों/जिला अधीक्षकों को जारी की जाती हैं, जो इसके बदले सरस्वती वाहिनी, जो माताओं का एक समूह है, के नाम से चेक जारी करते हैं और निधियां ग्राम शिक्षा समिति के अध्यक्ष तथा सरस्वती वाहिनी के संयुक्त हस्ताक्षर से आहरित की जा सकती है। स्कूल स्तर पर इस योजना को सरस्वती वाहिनी द्वारा लागू किया जा सकता है जो सरस्वती वाहिनी संचालन समिति, जो ग्राम शिक्षा समिति की एक उप-समिति है, द्वारा अभिशासित होती है। सरस्वती वाहिनी संचालित समिति (एसवीएसएस) स्कूल स्तर पर सीएमडीएम लागू करने हेतु अपने सदस्यों में से एक संयोजिका तथा दो उप-संयोजिकाएं चुनती हैं। सरस्वती वाहिनी द्वारा रसोईयों की नियुक्ति उस विद्यालय में अध्ययन करने वाले बच्चों की माताओं में से की जाती है।

4.3.3.2 हेडमास्टर/सरस्वती वाहिनी की संयोजिका उचित दर दुकान से खाद्यान्न लाती है। व्यय तथा रिकार्डों का रखरखाव सरस्वती वाहिनी द्वारा किया जाएगा परंतु सभी खरीददारी एवं

रिकार्डों का रखरखाव हेडमास्टर द्वारा स्वयं किया जा रहा था। निधियों की मंजूरी संबंधित उपायुक्त/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा दी जाएगी, जिनसे सरस्वती वाहिनी के नाम पर चेक जारी किया जाना अपेक्षित है, परंतु कई मामलों में यह पाया गया कि स्कूल ब्लॉक शिक्षा विस्तार अधिकारी के माध्यम से निधियां प्राप्त करते हैं। अतः वास्तव में यह प्रणाली इस योजना के तहत निर्धारित तरीके से इतर कार्य करती है। निम्नलिखित फ्लोचार्ट राज्य से स्कूल तक खाद्यान्न/निधियों के आबंटन के प्रवाह को दर्शाती है। समग्र रूप से, बिहार में समुचित आयोजना तथा बिहार राज्य खाद्य निगम एवं जिला स्तरीय अधिकारियों के मध्य समुचित समन्वय न होने के परिणामस्वरूप निधियों एवं खाद्यान्नों की आपूर्ति में बाधा आई। सामान्यतः स्कूलों को मासिक आधार पर सुनियोजित तरीके से खाद्यान्नों का कोटा प्राप्त नहीं होता है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ स्कूलों में खाद्यान्न भारी मात्रा में पड़े रह जाते हैं जिनमें कीड़े पनपते हैं। मधेपुरा जिले में, हमारे दल के दौरे के दिन चुने गए दस स्कूलों में से आठ स्कूलों में पकाया हुआ भोजन नहीं दिया जा रहा था, हालांकि जिला स्तरीय अधिकारियों ने सूचित किया था कि इस योजना का निगरानी मासिक आधार पर किया जाता है।

हरियाणा

4.3.4 इस कार्यक्रम को संबंधित स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा लागू किया जा रहा है। पीआरआई/ग्राम शिक्षा समिति स्कूल स्तर पर निगरानी तथा पर्यवेक्षण हेतु जिम्मेदार हैं। स्कूल तक खाद्यान्नों की आपूर्ति कॉनफेड द्वारा की जाती है। दालें, न्यू -नगेट्स, तेल, नमक आदि जिला स्तरीय प्राधिकारी द्वारा निविदा के जरिए खरीदे जा रहे हैं और स्कूलों में इनकी आपूर्ति की जाती है।

हिमाचल प्रदेश

4.3.5 हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन अलग-अलग उपायुक्त द्वारा अधिप्रमाणन के पश्चात् भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न उठाता है और उचित दर दुकानों के माध्यम से स्कूलों तक इनकी ढुलाई करता है। स्कूल स्तर पर केन्द्र प्रमुख शिक्षक इस कार्यक्रम का प्रभारी होता है। वह रिकार्डों का रखरखाव करता है और स्कूल में सीएमडीएम प्रदान करने हेतु सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करता है। ग्राम शिक्षा समिति माता शिक्षक संघ (एमटीए) के साथ मिलकर स्कूल स्तर पर इसके क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। हमारे फील्ड दल ने गौर किया कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/उप-निदेशक द्वारा निगरानी एवं पर्यवेक्षण नगण्य है।

जम्मू व कश्मीर

4.3.6 उपभोक्ता मामले तथा सरकारी वितरण विभाग को एफसीआई गोदाम से खाद्यान्नों की ढुलाई करने तथा उचित दर दुकानों तक इसकी आपूर्ति करने के लिए परिवहन एजेंसी के

रूप में मनोनीत किया है। स्कूल का प्रधानाध्यापक स्कूल स्तर पर पके पकाये मध्याह्न भोजन का प्रभारी होता है। हेडमास्टर भोजन पकाने हेतु अन्य सामग्रियों की खरीद स्थानीय बाजार से करता है। हमारे फील्ड दल द्वारा देखा गया है कि सरकारी वितरण केन्द्र स्कूल से काफी दूर स्थित है। जोनल शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा मॉनीटरिंग तथा पर्यवेक्षण नगण्य था। इस कार्यक्रम के निगरानी हेतु जोनल शिक्षा अधिकारी/मुख्य शिक्षा अधिकारी को कोई निधि उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके कारण उन्होंने पाया कि उन स्कूलों का दौरा करना कठिन है जो दूरदराज दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हैं।

कर्नाटक

4.3.7 स्कूल विकास तथा प्रबंध समिति (एसडीएमसी) स्कूल स्तर पर अभिभावक शिक्षक संघ/ग्राम शिक्षा समिति के सहयोग से इस योजना को लागू करती है। कर्नाटक खाद्य एवं सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन गोदाम से स्कूलों में खाद्यान्नों की ढुलाई अनुमोदित परिवहन कॉन्ट्रैक्टर द्वारा की जाती है।

केरल

4.3.8 केरल राज्य सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन एफसीआई गोदामों से खाद्यान्न उठाने और प्रत्येक तालुक में स्थित भण्डारों को संवितरित करने के लिए उत्तरदायी है। स्कूलों में क्रियान्वयन कार्यकर्ता हेडमास्टर है। हेडमास्टर के पर्यवेक्षण में भोजन तैयार किया जाता है और शिक्षकों के सहयोग से छात्रों को भोजन संवितरित किया जाता है। हमारे फील्ड दल ने पाया कि इस कार्यक्रम की मॉनीटरी/पर्यवेक्षण कमजोर है। राज्य स्तर से ग्राम पंचायत तक निधियों के अंतरण में काफी समय लगता है, अत: प्रभारी शिक्षक को आकस्मिक प्रभारों की प्रतिपूर्ति हेतु छः माह से एक वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है।

मध्य प्रदेश

4.3.9 इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) द्वारा किया जाता है। किसी मेधावी छात्र का अभिभावक पीटीए का अध्यक्ष होता है। खाद्यान्नों की आपूर्ति सरकारी एजेंसी द्वारा उचिज दर दुकानों को की जाती है। हमारे फील्ड दल ने पाया कि पीटीए के सदस्यगण कभी-कभार ही पीटीए बैठकों में भाग लेते हैं। शिक्षकगण खाना पकाने की सामग्री, मसाले आदि की स्थानीय बाजार से खरीद/व्यवस्था करने में लगे रहते हैं। खाद्यान्नों को रसोइए के आवास पर जूट की बोरियों में रखा जाता है।

महाराष्ट्र

4.3.10 ग्राम शिक्षा समिति/ग्राम पंचायत स्कूल स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी है। ग्राम स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति स्व-सहायता समूहों/रसोईयों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी है। शहरी क्षेत्रों में महानगर पालिका/वार्ड समितियां स्व-सहायता समूहों/रसोईयों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हैं। हमारे फील्ड दल ने गौर किया कि जिला स्तर पर संचालन-सह-निगरानी समितियां बनाई गई हैं परंतु ये कारगर नहीं है क्योंकि नियमित रूप से बैठकें आयोजित नहीं होती हैं। कुछ निदर्शी जिलों में, इनका गठन अभी किया जाना शेष है।

मेघालय

4.3.11 ग्राम शिक्षा समिति का गठन स्कूल स्तर पर पके-पकाए मध्याह्न भोजन की निर्बाध आपूर्ति की देखरेख करने के लिए किया गया है।

पंजाब

4.3.12.1 पंजाब सरकार के रिकार्डों की जांच करते समय यह पाया गया कि सामान्य तौर पर भारत सरकार द्वारा राज्यों को निधियां अगस्त-अक्तूबर के माह में जारी की जाती हैं। यद्यपि राज्य अपने हिस्से का आबंटन जिले/ब्लॉकों को अप्रैल माह में करते हैं क्योंकि राज्य सरकारें अप्रैल में ही इस योजना को लागू करती हैं। राज्य से जिलों/ब्लॉकों/स्कूल स्तर तक आबंटन/निधियों के पहुंचने में इस प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए लगभग दो माह का समय लगता है। केन्द्र द्वारा निधियों का विलम्ब से जारी किया जाना और राज्य तथा ब्लॉक स्तर पर निधियों की कमी होने से इस योजना का क्रियान्वयन बुरी तरह प्रभावित होता है।

4.3.12.2 स्कूल का प्रधानाध्यापक स्कूल स्तर पर पके-पकाए मध्या भोजन का प्रभारी है। माता स्व-सहायता समूह के साथ ग्राम शिक्षा समिति स्कूल स्तर पर क्रियान्वयन की निगरानी एवं पर्यवेक्षण करती है। खाद्यान्नों की आपूर्ति पंजाब राज्य सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लि0 द्वारा स्कूल तक की जाती है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा निधियां माता स्व-सहायता समूह के प्रमुख के पक्ष में जारी की जाती हैं। प्रधानाध्यापक स्थानीय बाजार से भोजन पकाने हेतु अपेक्षित सामग्रियों की खरीद करता है और रिकार्डों का भी रखरखाव करता है। हमारे फील्ड दल द्वारा देखा गया है कि डीईओ/बीईओ द्वारा मॉनीटरी तथा पर्यवेक्षण नगण्य है।

राजस्थान

4.3.13 स्कूल स्तर पर गठित स्कूल विकास तथा प्रबंध समिति द्वारा सीएमडीएम को लागू किया जाता है। संबंधित स्कूल का प्रधानाध्यापक समिति का अध्य होता है। सरकारी परिवहन एजेंसी द्वारा आपूर्त खाद्यान्न प्रधानाध्यापक द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। हमारे फील्ड दलों ने पाया कि पीटीए तथा पीआरआई के सदस्यगण डीएमसी की बैठकों में कभी-कभार ही

शामिल होते हैं। जूट की बोरियों में खाद्यान्न कक्षा-कक्ष के एक कोने में रखे पाए गए जो चूहों द्वारा काट दिए गए थे अथवा चोरी हो गई थी। शिक्षकगण सक्रिय रूप से इस योजना के क्रियान्वयन में लगे पाए गए, जिससे शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहा था।

तमिलनाडु

4.3.14 मध्याह्न भोजन आयोजक स्कूल/केन्द्र स्तर पर कार्य करता है, जो ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ कार्य का समन्वयन करता है। 500 से कम विद्यार्थियों वाले प्रत्येक स्कूल में एक आयोजक, एक रसोईए तथा एक सहायक की व्यवस्था की गई है जबकि 500 से अधिक विद्यार्थीयों वाले स्कूलों में एक आयोजक, दो रसोईए तथा दो सहायकों की व्यवस्था की गई है। मध्याह्न भोजन आयोजक द्वारा रिकार्डों का रखरखाव किया जाता है। खाद्यान्नों की आपूर्ति तमिलनाडु सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा ब्लॉक गोदामों से सीधे केन्द्रों को की जाती है। तमिलनाडु में राज्य नोडल एजेंसी से स्कूल तक खाद्यान्नों की आबंटन की प्रक्रिया में न्यूनतम बिचौलिए पाए गए।

उत्तर प्रदेश

4.3.15 स्कूलों में पके-पकाए भोजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान को और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम वार्ड सदस्य/गैर-सरकारी संगठन को सौंपी जाती है। पके-पकाए भोजन हेतु निधियां ग्राम निधि में जमा की जाती हैं और ग्राम प्रधान तथा पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से यह निधि आहरित की जा सकती है। ग्राम प्रधान खाद्यान्न नियंत्रित दुकान/उचित दर दुकान से प्राप्त करता है। ग्राम शिक्षा समिति जिसमें ग्राम प्रधान, स्कूल के दो बच्चों के माता-पिता, स्कूल का प्रधानाचार्य तथा स्कूल के दो बच्चों के पिता शामिल होते हैं, स्कूल स्तर पर पके-पकाए मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन का निगरानी करती है। ग्राम प्रधान एक रसोईए, अधिमानत: एक महिला रसोईए की नियुक्ति कर सकता है जो अनु.जा./अ.ज.जा./विधवा/समाज के कमजोर वर्ग के हो सकते हैं। खाद्यान्नों के उपयोग/व्यय अथवा रजिस्टर लागत निधियों से संबंधित कोई भी रिकार्ड ग्राम प्रधान/पंचायत सचिव स्तर पर नहीं पाया गया। ग्राम प्रधान चुने हुए प्रतिनिधि होने के नाते, जिला प्राधिकारी अथवा नोडल विभाग के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जब ग्राम प्रधान चुनाव के कारण एक-दूसरे को जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो भारी मात्रा में निधियां/खाद्यान्न फंस जाते हैं क्योंकि किसी प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है और वास्तविक उपयोग तथा व्यय का आकलन नहीं किया जा सकता।

पश्चिम बंगाल

4.3.16 सीएमडीएम का क्रियान्वयन स्कूलों में प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है, जिसमें 10 सदस्य होते हैं जिनमें से 3 सदस्य अनु.जा. समुदाय के होते हैं। स्कूलों को खाद्यान्नों का

आबंटन सरकारी वितरण प्रणाली की उचित दर दुकानों द्वारा किया जाता है। एमसी स्तर पर लिए गए निर्णय के अनुसार, एक स्व-सहायता समूह को भोजन पकाने, भोजन परोसने तथा बर्तन धोने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। स्व-सहायता समूह को एकमुश्त 600 . प्रति माह का मेहताना दिया जाता है; जिसे इस कार्य में शामिल सदस्यों को समानुपातिक रूप से बांट दिया जाता है। ब्लॉक स्तर से निधियों का प्रवाह दो तरीके से होता है। कुछ ब्लॉकों में प्रभारी शिक्षक ब्लॉक कार्यालय तक आता है और वह उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके आबंटित राशि प्राप्त करता है। कुछ अन्य ब्लॉकों में निधिराशि ग्राम प्रधान को आबंटित की जाती है और प्रभारी शिक्षा ग्राम पंचायत से राशि प्राप्त करता है। निधियों के प्रवाह के इस चैनल में काफी समय लगता है।

संचालन-सह-निगरानी समितियां

4.4 सीएमडीएम दिशानिर्देशों में इस योजना के क्रियान्वयन में सुधार करने हेतु सलाह देने, मॉनीटरी करने, समन्वय तथा सुधारात्मक उपाय करने के बावत राज्य/जिला/ब्लॉक/ग्राम स्तरों पर संचालन-सह-निगरानी समितियों के गठन की परिकल्पना की गई है। हालांकि, हमारे फील्ड दलों द्वारा पाया गया है कि हालांकि सभी स्तरों पर संचालन-सह-निगरानी समितियों का गठन किया गया है, वे ब्लॉक/ग्राम स्तर पर कार्यक्रम के समन्व्यन एवं निगरानी हेतु नियमित बैठक आयोजित नहीं कर रही हैं। इसका ब्यौरा **अनुलग्नक-। में दिया गया है।**

निधियों का उपयोग

4.5.1 सारणी सं.4.2 में निदर्शी राज्यों के चुनिंदा जिलों में वर्ष 2004-05 से 2006-07 की अवधि हेतु निधियों की आवश्यकता, आबंटन तथा उपयोग को दर्शाया गया है। इस सारणी का आरेखीय विश्लेषण **अनुलग्नक-II** में देखा जा सकता है। पंजाब के कपूरथला जिले में जिला नोडल एजेंसी द्वारा संपूर्ण 2005-06 हेतु निधियां आबंटित नहीं की गई थीं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग एक वर्ष तक पके-पकाए भोजन की आपूर्ति बंद रही। व्यय न की गई शेष राशि को अगले वर्ष ले लिया गया।

तालिका: 4.2

अवधि 2004-05 से 2006-07 के दौरान निधि की उपयोगिता

. लाख में

क्रम संख्या	राज्य	जिला	आवश्यकता	आबंटन	आवश्यकता के अनुसार आबंटन का %	उपयोगिता	आवंटन के अनुसार उपयोगिता का %
1.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	2869.76	2708.68	94.39	2450.49	90.47
2.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	2799	2758	98.54	2744	99.49
3.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	3378.34	2249.01	66.57	2227.91	99.06
4.	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	1895.6	2428.32	128.1	1895.6	78.06
5.	अरुणाचल प्रदेश	लोहित	0	126.44	-	95.36	75.42
6.	अरुणाचल प्रदेश	तिरप	150.07	97.28	64.82	94.61	97.26
7.	बिहार	मधेपुरा	1400.34	846.6	60.46	596.24	70.43
8.	बिहार	मधुबनी	2363.43	2363.43	100	2227.75	94.26
9.	बिहार	पश्चिम चंपारण	0	1421	-	1421	100
10.	बिहार	रोहतास	1090.01	1090.01	100	476.96	43.76
11.	हरियाणा	हिसार	1113	733.25	65.88	719.24	98.09
12.	हरियाणा	झज्जर	536.37	484.32	90.3	247.35	51.07
13.	हिमाचल प्रदेश	कंगरा	960.57	936.56	97.5	672.04	71.76
14.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	555.58	402.04	72.36	346.51	86.19
15.	जम्मू-कश्मीर	ऊधमपुर	504.92	297.22	58.86	275.53	92.7
16.	झारखंड	बोकारो	3125	1866.68	59.73	1507.92	80.78
17.	झारखंड	दुमका	3624.08	1588.99	43.85	949.63	59.76
18.	झारखंड	रांची	0	1932.17	-	643.71	33.32
19.	कर्नाटक	बीदर	2192.14	2192.14	100	1437.83	65.59
20.	कर्नाटक	बीजापुर	962.72	2560.7	265.99	2009.54	78.48
21.	कर्नाटक	टुमकुर	4094.55	3259	79.59	2998.59	92.01
22.	केरल	कन्नूर	615.83	573.35	93.1	443.31	77.32
23.	केरल	थिरूवनन्तपुरम्	403.74	403.74	100	403.74	100
24.	मध्यप्रदेश	इंदौर	876.5	653.51	74.56	587.02	89.83
25.	मध्यप्रदेश	सागर	1357.2	1227.62	90.45	1130.53	92.09
26.	मध्यप्रदेश	शहडोल	811.89	628.34	77.39	564.47	89.84
27.	मध्यप्रदेश	विदिशा	1162.99	1105.98	95.1	870.46	78.7
28.	महाराष्ट्र	नागपुर	2322.54	1760	75.78	1554.04	88.3
29.	महाराष्ट्र	सांगली	1437.1	1312.65	91.34	1171.86	89.27
30.	महाराष्ट्र	शोलापुर	2095.47	2084.4	99.47	1829.44	87.77
31.	महाराष्ट्र	वाशिम	621.85	621.85	100	569.15	91.53

32.	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	0	394.82	-	394.82	100
33.	मेघालय	जयंतिया हिल्स	359.41	207.88	57.84	207.88	100

जारी....

तालिका: 4.2 : अवधि 2004-05 से 2006-07 के दौरान निधि की उपयोगिता

. लाख में

क्रम संख्या	राज्य	जिला	आवश्यकता	आबंटन	आवश्यकता के अनुसार आबंटन का %	उपयोगिता	आवंटन के अनुसार उपयोगिता का %
34.	पंजाब	फिरोजपुर	1321	466	35.28	282	60.52
35.	पंजाब	कपूरथला	297.91	126.18	42.36	117.81	93.37
36.	राजस्थान	बीकानेर	0	1524.18	-	1003.72	65.85
37.	राजस्थान	चुरू	0	1424.86	-	998.89	70.1
38.	राजस्थान	जैसलमेर	0	580.4	-	351.29	60.53
39.	राजस्थान	झुंझुनू	0	590.72	-	590.72	100
40.	तमिल नाडु	धर्मपुरी	1492.58	1492.58	100	1492.58	100
41.	तमिल नाडु	तिरुनेलवेली	2051.27	2051.27	100	2051.27	100
42.	तमिल नाडु	विरुधुनगर	1546.05	1546.05	100	1546.08	100
43.	उत्तर प्रदेश	बदायूं	1715.59	1517.73	88.47	0	-
44.	उत्तर प्रदेश	जालौन	749.09	742.93	99.18	736.68	99.16
45.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	2137.59	1863.69	87.19	1831.28	98.26
46.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम	3631.26	3329.82	91.7	2775.83	83.36
47.	पश्चिम बंगाल	मेदिनीपुर	4196.76	4175.02	99.48	3960.8	94.87
48.	पश्चिम बंगाल	उत्तर 24 परगना	0	4164.77	-	3273.56	78.6
नमूना औसत		**64,819**	**68,912.18**		**56,777.04**	**82.39**	

4.5.2 नीचे दिए गए चार्ट में वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान अलग-अलग राज्यों में स्थित निदर्शी जिलों को आबंटित निधियों के प्रतिशत उपयोग को दर्शाया गया है। तमिलनाडु तथा मेघालय को छोड़कर, जहां संपूर्ण राशि का उपयोग किया गया, सभी अन्य राज्यों ने निधियों का कम उपयोग किया है। सुझाव है कि इन अव्ययित राशियों का उपयोग बच्चों को सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने तथा कृमिनाशक गोलियां उपलब्ध कराने हेतु किया जाए जैसा कि सीएमडीएम दिशानिर्देश, 2006 में विनिर्दिष्ट है।

चार्ट 4.3 आबंटन की तुलना में उपयोग की प्रतिशतता

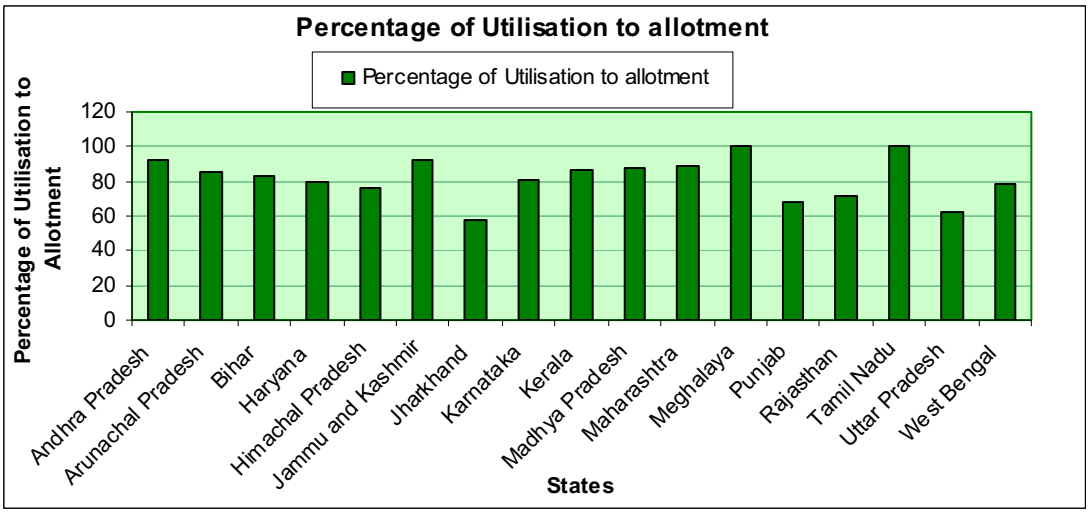

खाद्यान्नों का उपयोग

4.6.1 सारणी सं. 4.3 में नमूना राज्यों के चुनिंदा जिलों में वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक की अवधि हेतु खाद्यान्नों (गेहूं तथा चावल) के आबंटन की तुलना में उपयोग की प्रतिशतता दर्शाई गई है। बिहार के मधेपुरा जिले में खाद्यान्नों का उपयोग वर्ष 2004-05 में 7.14 प्रतिशत तथा 2005-06 में 40 प्रतिशत रहा है। खाद्यान्नों के कम उपयोग हेतु कोई कारण नहीं बताया गया है परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्कूल स्तर पर क्रियान्वयन प्राधिकारी द्वारा जिला नोडल प्राधिकारी को उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण है। कुछ मामलों में, किसी वर्ष विशेष के लिए खाद्यान्नों के स्टॉक को आगामी वर्ष में ले जाया गया है जिसके परिणामस्वरूप अगले वर्ष खाद्यान्नों का कुल उपयोग 100 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है।

तालिका: 4.3

अवधि 2004-05 से 2006-07 के दौरान खाद्यान्नों की उपयोगिता

.सं.	राज्य	जिला	आवंटन के अनुसार उपयोगिता का %		
			गेहूं		
1.	आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	-	1.	आंध्र प्रदेश
2.	आंध्र प्रदेश	अनंतपुर	-	2.	आंध्र प्रदेश
3.	आंध्र प्रदेश	श्रीकाकुलम	-	3.	आंध्र प्रदेश
4.	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	-	4.	आंध्र प्रदेश
5.	अरुणाचल प्रदेश	लोहित	-	5.	अरुणाचल प्रदेश
6.	अरुणाचल प्रदेश	तिरप	-	6.	अरुणाचल

					प्रदेश
7.	बिहार	मधेपुरा	-	7.	बिहार
8.	बिहार	मधुबनी	100	8.	बिहार
9.	बिहार	Pashchim चंपारण	-	9.	बिहार
10.	बिहार	रोहतास	-	10.	बिहार
11.	हरियाणा	हिसार	62.41	11.	हरियाणा
12.	हरियाणा	झज्जर	53.75	12.	हरियाणा
13.	हिमाचल प्रदेश	कंगरा	-	13.	हिमाचल प्रदेश
14.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	-	14.	हिमाचल प्रदेश
15.	जम्मू व कश्मीर	ऊधमपुर	-	15.	जम्मू व कश्मीर
16.	झारखंड	बोकारो	-	16.	झारखंड
17.	झारखंड	दुमका	-	17.	झारखंड
18.	झारखंड	रांची	-	18.	झारखंड
19.	कर्नाटक	बीदर	-	19.	कर्नाटक
20.	कर्नाटक	बीजापुर	779.78	20.	कर्नाटक
21.	कर्नाटक	टुमकुर	-	21.	कर्नाटक
22.	केरल	कन्नूर	-	22.	केरल
23.	केरल	तिरूअनंतपुरम	-	23.	केरल
24.	मध्यप्रदेश	इंदौर	93.59	24.	मध्यप्रदेश
25.	मध्यप्रदेश	सागर	91.06	25.	मध्यप्रदेश
26.	मध्यप्रदेश	शहडोल	-	26.	मध्यप्रदेश
27.	मध्यप्रदेश	विदिशा	94.12	27.	मध्यप्रदेश
28.	महाराष्ट्र	नागपुर	-	28.	महाराष्ट्र
29.	महाराष्ट्र	सांगली	-	29.	महाराष्ट्र
30.	महाराष्ट्र	शोलापुर	-	30.	महाराष्ट्र
31.	महाराष्ट्र	वाशिम	-	31.	महाराष्ट्र

जारी...

तालिका: 4.3 : अवधि 2004-05 से 2006-07 के दौरान खाद्यान्नों की उपयोगिता (जारी...)

.सं.	राज्य	जिला	आवंटन के अनुसार उपयोगिता का %		
			गेहूं	Rice	Total
32.	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	-	100	100
33.	मेघालय	जयंतिया हिल्स	-	90.65	90.65
34.	पंजाब	फिरोजपुर	59.53	63	60.5
35.	पंजाब	कपूरथला	63.57	11.05	46.17
36.	राजस्थान	बीकानेर	63.5	60.89	63.01

37.	राजस्थान	चुरू	56.35	42.26	53.57
38.	राजस्थान	जैसलमेर	43.03	67.61	47.92
39.	राजस्थान	झुंझुनू	66.67	50	63.64
40.	तमिल नाडु	धर्मपुरी	-	100	100
41.	तमिल नाडु	तिरुनेलवेली	-	78.05	78.05
42.	तमिल नाडु	विरुधुनगर	-	100	100
43.	उत्तर प्रदेश	बदायुं	-	-	-
44.	उत्तर प्रदेश	जालौन	100	100	100
45.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	85.51	83.6	84.69
46.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम	-	73.93	73.93
47.	पश्चिम बंगाल	पूर्व मेदिनीपुर	-	95.91	95.91
48.	पश्चिम बंगाल	24 उत्तर परगना	-	80	80
	औसत नमूना.				**76.06**

4.6.2 नीचे दिए गए चार्ट में वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान अलग-अलग राज्यों के सभी नमूना जिलों को आबंटित खाद्यान्नों की तुलना में उपयोग की प्रतिशतता को दर्शाया गया है। आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश तथा मेघालय खाद्यान्नों के उपयोग की अधिक प्रतिशतता को दर्शाते हैं। खाद्यान्नों का उपयोग स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति के बावत एक महत्वपूर्ण सूचक बन सकता है।

चार्ट 4.4 : खाद्यान्नों के आबंटन की तुलना में उपयोग की प्रतिशतता

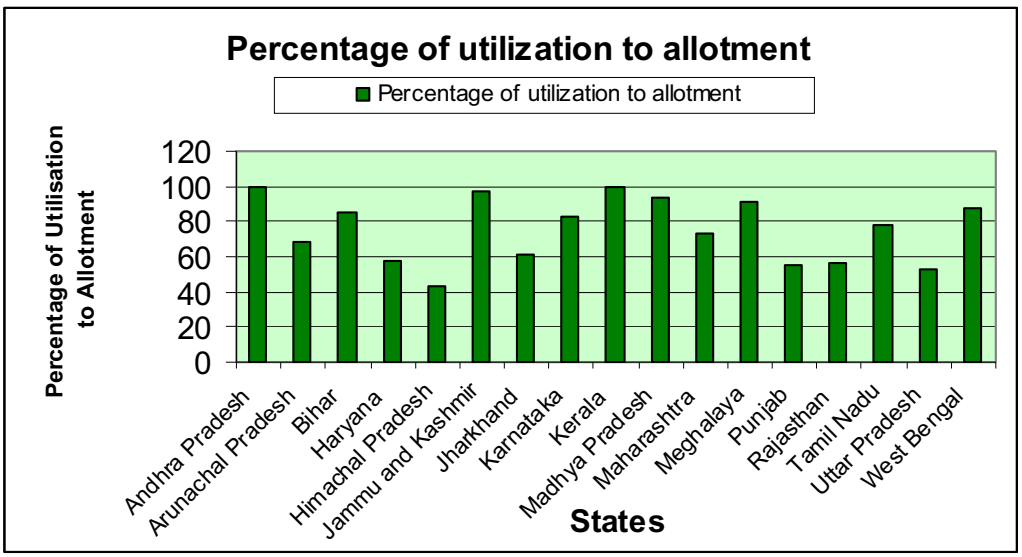

खाद्यान्नों की समयबद्ध आपूर्ति : फील्ड दल के अवलोकन के आधार पर

खर्च न की गई राशि और उपयोग न किया गया खाद्यान्न जिला नोडल प्राधिकारी द्वारा स्कूल स्तर पर क्रियान्वयन प्राधिकारी को निधि/खाद्यान्नों के आबंटन/आपूर्ति में विलम्ब के कारण है। इस प्रकार का विलम्ब निधियों/खाद्यान्नों की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करता है और बच्चों हेतु भोजन के प्रावधान/मात्रा बुरी तरह प्रभावित होती है। जिला नोडल प्राधिकारी को स्कूल स्तर पर क्रियान्वयन प्राधिकारी से नियमित रूप से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त करना चाहिए ताकि आगे की निधियों/खाद्यान्नों का आबंटन/आपूर्ति समय पर की जा सके। खाद्यान्नों की आपूर्ति उचित दर दुकान के डीलर द्वारा स्कूल में ही की जानी चाहिए। सुझाव दिया जाता है कि उचित दर दुकान से स्कूल तक खाद्यान्नों की ढुलाई लागतों को पूरा करने हेतु निधियां उद्दिष्ट की जाएं क्योंकि राज्य बजट में इसके लिए कोई पृथक प्रावधान नहीं है और इस लागत को भोजन पकाने की लागत से ही पूरा किया जाए। स्कूल प्राधिकारियों को दैनन्दिन आधार पर खर्चों को पूरा करने के लिए अग्रिम के रूप में थोड़ी बहुत निधिराशि दी जा रही है/कोई राशि नहीं दी जा रही है। स्कूलों द्वारा इस प्रकार के अग्रिमों के एवज में प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों का निपटान ब्लॉक स्तरीय नोडल प्राधिकारी द्वारा 2-3 माह में किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें स्वयं अपनी जेब से खर्च करना पड़ता है अथवा उधार पर खरीदना होता है। सुझाव दिया जाता है कि स्कूलों को रोकड़ अग्रिम देने के लिए सभी ब्लॉक स्तरीय नोडल प्राधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं।

पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

4.7.1 पका-पकाया मध्याह्न भोजन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार स्कूल स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायतों के प्रति उत्तरदायी होगी। चार्ट सं. 4.5 चुनिंदा राज्यों में विद्यार्थियों के दाखिले पर पंचायती राज संस्थाओं के वर्षवार प्रभाव का आकलन करने के लिए तैयार किया गया है। नामांकित छात्रों की समग्र संख्या (राज्य-वार) को स्कूल के कार्यकरण में पंचायती राज संस्थाओं के शामिल होने के संबंध में नमूना स्कूल के प्रभारी शिक्षक के प्रत्युत्तर श्रेणियों (सकारात्मक तथा नकारात्मक) के तहत समूहित किया गया। चार्ट से पता चलता है कि स्कूलों में पंचायती राज संस्थाओं के शामिल होने का सकारात्मक प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप नामांकन दरों में वृद्धि हुई।

चार्ट 4.5 पंचायती राज संस्थाओं की मौजूदगी का नामांकन पर वर्ष-वार प्रभाव

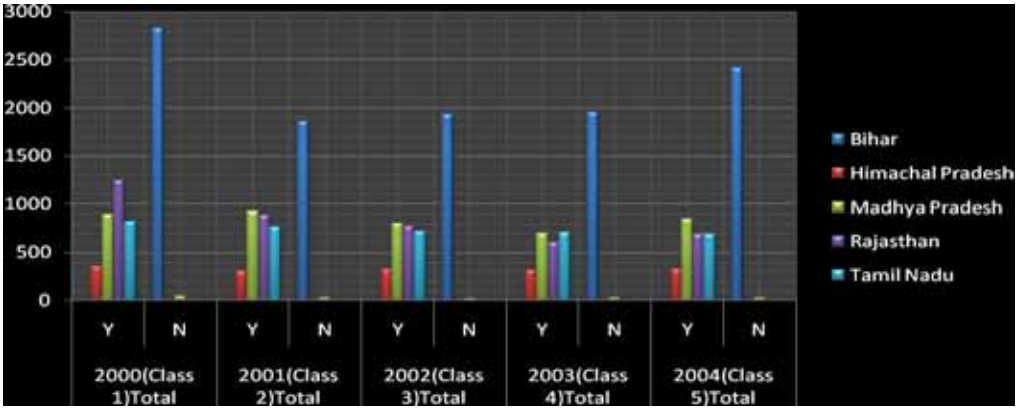

वाई-धुरी नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाती है जिसे वर्ष 2000 में कक्षा-I में दर्शाया गया है, जो कुछ नमूना राज्यों के जिलों हेतु 5 वर्ष की अवधि के दौरान परवर्ती वर्षों में उच्च कक्षाओं में बढ़ती रही है। एक्स-धुरी में वाई तथा एन पंचायती राज संस्थाओं की मौजूदगी तथा गैर-मौजूदगी को दर्शाते हैं।.

4.7.2 नीचे दी गई तालिका 4.4 स्कूलों में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की राज्य-वार मौजूदगी को दर्शाती है। तालिका में दिए गए आंकड़े बताते हैं कि कुछ राज्यों जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, जम्मू व कश्मीर, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों की मौजूदगी अत्यधिक है। परंतु बिहार, झारखण्ड तथा मेघालय जैसे राज्यों में स्कूलों में पीआरआई/यूएलबी की मौजूदगी न के बराबर है और इसीलिए सीएमडीएम में भी ऐसा ही है। यह देखा गया है कि निगरानी चरण में ग्राम पंचायतों की गैर-मौजूदगी से स्कूल स्तर पर क्रियान्वयन एजेंसी को अनुचित स्वतंत्रता मिल जाती है।

तालिका: 4.4

पंचायती राज संस्थाओं/शहरी स्थानीय निकायों की भागीदारी

क्रम संख्या	राज्य	स्कूलों की संख्या (ग्रामीण + शहरी)	पंचायती राज/यूएलबी की भागीदारी			भागीदारी का %
			हां	नहीं	उपलब्ध नहीं	
1.	आंध्र प्रदेश	40	11	29	0	27
2.	अरुणाचल प्रदेश	17	5	12	0	29
3.	बिहार	40	0	40	0	0
4.	हरियाणा	20	20	0	0	100
5.	हिमाचल प्रदेश	20	20	0	0	100
6.	जम्मू व कश्मीर	5	5	0	0	100
7.	झारखंड	30	0	30	0	0
8.	कर्नाटक	28	10	18	0	35
9.	केरल	20	20	0	0	100

10.	मध्यप्रदेश	40	38	2	0	95
11.	महाराष्ट्र	40	28	12	0	70
12.	मेघालय	20	0	20	0	0
13.	पंजाब	20	20	0	0	100
14.	राजस्थान	40	40	0	0	100
15.	तमिल नाडु	30	29	0	1	96
16.	उत्तर प्रदेश	40	40	0	0	100
17.	पश्चिम बंगाल	30	27	1	2	90
	नमूना औसत	**480**	**313**	**164**	**3**	**65.20**

अन्य विभागों के साथ संबंध

4.8 तालिका 4.5 में यह दर्शाया गया है कि जिन राज्यों में अवस्थपना तथा क्षमता निर्माण के लिए अन्य स्कीमों के साथ अभिसरण किया गया है, उनकी सूचना निम्नलिखित तालिका के अनुसार है। अन्य नमूना राज्यों में स्वास्थ्य, अवस्थपना तथा क्षमता निर्माण में अन्य विभागों या अन्य स्कीमों के साथ कोई अभिसरण नहीं किया गया है। महाराष्ट्र राज्य में राज्य सरकार के संकल्प के अनुसार स्कूली बच्चों को विटामिन, फोलिक एसिड, आयरन तथा कृमि-नाशक गोलियां प्रदान की गई हैं। परंतु यह सूचना मिली है कि कृमिनाशक गोलियां और/या सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान नहीं किए जा रहे हैं।

तालिका: 4.5

राज्य	स्वास्थ्य	बुनियादी ढांचा विकास	क्षमता निर्माण
महाराष्ट्र	दिनचर्या को एक वर्ष में एक बार जाँच निकटतम पीएचसी चिकित्सक द्वारा किया जाता	-	-
हरियाणा	-	-	खाद्य और पोषण बोर्ड, प्रशिक्षण के लिए भारत सरकार
पश्चिम बंगाल	-	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना बीआरजीएफ, और रसोई शेडों के निर्माण के लिए SDP	-
मध्य प्रदेश	-	पानी की आपूर्ति के	पीटीए को प्रशिक्षण के

		लिए PHED	लिए सर्व शिक्षा अभियान
कर्नाटक	विटामिन ए, आयरन की आपूर्ति की गोलियां और डी वार्मिंग टैब की सुविधा देता है	-	-
तमिल नाडु	-	सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्लम शहरी क्षेत्रों, सर्व शिक्षा अभियान के लिए विकास	-
हिमाचल प्रदेश	-	सर्व शिक्षा अभियान रसोई शेडों के निर्माण के लिए	डाइट के माध्यम से प्रशिक्षण
बिहार	-	झोपड़ी निर्माण के लिए BEP	अधिकारियों और संसानिधि व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए यूनिसेफ
आंध्र प्रदेश	नियमित स्वास्थ्य को दो / मुक्त आवश्यक दवाओं / डी टी पी / टीटी इंजेक्शन महीने में जांच एक बार कुछ जिलों में किया	-	-

अवस्थपना

4.9 केन्द्र सरकार के मानदण्डों के अनुसार, रसोई-सह-स्टोर; पीने हेतु पर्याप्त जल आपूर्ति; भोजन पकाने तथा बर्तन धोने के लिए; भोजन पकाने के उपकरण/बर्तन; तथा अनाजों तथा अन्य चीजों के भंडारण हेतु कंटेनर इत्यादि बच्चों को पकाया हुआ भोजन परोसने के लिए स्कूलों को प्रदान किए जाएंगे।

स्कूल-भवनों की उपलब्धता सह अवस्थिति

4.9.1 तालिका 4.6 में यह दर्शाया गया है कि ज्यादातर नमूना स्कूलों का अपना स्वयं का भवन है। इसके अतिरिक्त, ज्यादातर नमूना स्कूल पक्के भवनों में कार्य करते हैं। बिहार तथा

पश्चिम बंगाल इसके अपवाद हैं जहां क्रमश: 52.5 प्रतिशत तथा 33.33 नमूना स्कूल कच्चे भवनों में कार्य करते हैं। अरूणाचल प्रदेश तथा मेघालय जैसे जनजातीय राज्यों में नमूना स्कूलों का क्रमश: 88.24 प्रतिशत तथा 95 प्रतिशत पक्के भवनों में है। औसतन, देशभर में, नमूना स्कूलों में लगभग 28 प्रतिशत में प्रसानिधि सुविधा नहीं है। आंध्र प्रदेश राज्य में केवल 17 प्रतिशत स्कूलों में प्रसानिधि सुविधा उपलब्ध है। चार्ट 4.6 में नमूना राज्यों में पक्का स्कूल भवनों की प्रतिशत-वार स्थिति को दर्शाया गया है। हमारी क्षेत्रीय टीम के अवलोकन के अनुसार कई ईजीएस स्कूलों में भवन नहीं था तथा वे पेड़ों की छाया/शेड के नीचे कार्य कर रहे थे।

तालिका 4.6

राज्य	खुद की बिल्डिंग वाले स्कूल (%)	पक्के भवनों वाले स्कूल (%)	पक्के भवनों में कमरों की स्थिति (%)			प्रसाधनों की उपलब्धता (%)
			अच्छी	एवरेज	Poor	
आंध्र प्रदेश	97.5	82.05	90.62	9.38	0	57.5
अरुणाचल प्रदेश	100	88.24	60	33.33	6.67	17.64
बिहार	100	47.5	26.32	52.63	21.05	90
हरियाणा	100	100	45	55	0	100
हिमाचल प्रदेश	85	94.44	64.71	35.29	0	75
जम्मू व कश्मीर	80	100	25	75	0	80
झारखंड	86.67	76.92	65	35	0	56.66
कर्नाटक	100	100	82.14	14.29	3.57	67.85
केरल	100	95	21.05	73.68	5.26	95
मध्यप्रदेश	97.5	97.5	38.46	46.15	15.38	67.5
महाराष्ट्र	95	89.47	67.65	23.53	8.82	55
मेघालय	100	95	78.95	21.05	0	50
पंजाब	90	88.89	56.25	31.25	12.5	75
राजस्थान	97.5	100	66.67	30.77	2.56	90
तमिल नाडु	100	83.33	50	50	0	93.33
उत्तर प्रदेश	97.5	100	76.32	15.79	7.89	67.5
पश्चिम बंगाल	80	66.67	37.5	62.5	0	76.66
नमूना औसत	**95.41**	**87.17**	**54.80**	**36.89**	**8.29**	**71.96**

चार्ट **4.6:** स्कूल भवनों की स्थिति

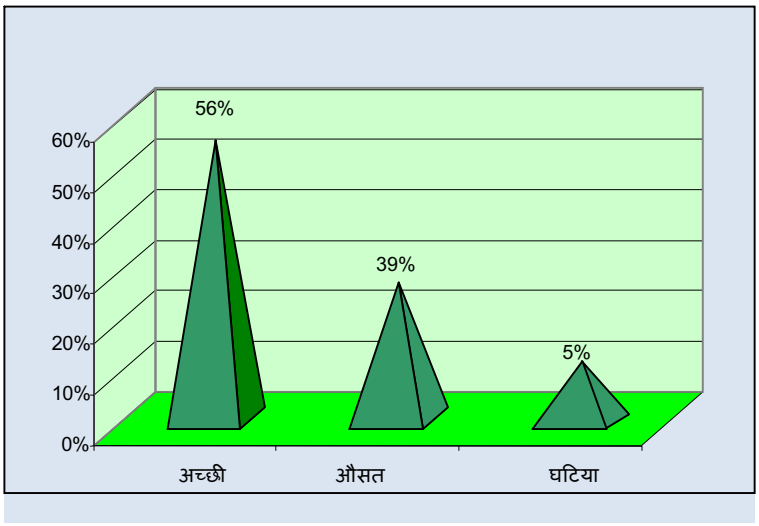

4.2.3 रसोई-घरों की उपलब्धता तथा कार्य-प्रणाली

4.9.2 तालिका 4.7 में यह दर्शाया गया है कि देशभर में औसतन तौर पर, केवल 44 प्रतिशत स्कूलों में ही रसोई-घर थे। उन स्कूलों में जहां रसोई-घर उपलब्ध हैं, केवल 48 प्रतिशत अच्छी स्थिति में हैं, 37 प्रतिशत औसतन स्थिति में हैं तथा 16 प्रतिशत की हालत खराब है। केरल तथा तमिलनाडु राज्य में सभी स्कूलों में रसोई-घर हैं जबकि हरियाणा, जम्मू व कश्मीर तथा पंजाब राज्यों में किसी भी स्कूल में रसोई-घर नहीं हैं। कालम 6 में रसोई-घरों की उपलब्धता वाले सभी स्कूलों के अनुपात में उन स्कूलों को दर्शाया गया है जहां रसोई-घर कार्यरत हैं। यह नोट करना उल्लेखनीय है कि खराब हालात के बावजूद ज्यादातर रसोई-घरों का अभी भी प्रयोग किया जा रहा है (कालम 6), जिससे रसोई-घरों की महत्ता का पता चलता है। रसोई-घरों के अभाव में, भोजन खुले स्थान/बरामदों में पकाया जा रहा है। गर्मियों तथा बरसात के मौसम में, भोजन कक्षा-कक्षों में पकाया जाता है जिससे सीखने की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा होता है। पश्चिम बंगाल राज्य में कुछ ईजीएस स्कूल अस्थायी शेड/पेड़ों की छांव के नीचे संचालित किए जा रहे थे। इन स्कूलों में, स्कूल भवन तथा रसोई-घरों के अभाव में सूखा भोजन देने को ही प्राथमिकता दी जा रही थी।

तालिका: **4.7**

राज्य	स्कूल में रसोई शेड की उपलब्धता (%)	रसोईघर शेड की हालत (%)			क्रियात्मक (%)
		अच्छी	औसत	घटिया	
आंध्र प्रदेश	37.50	73.33	20	6.67	76.00
अरुणाचल प्रदेश	11.76	50.00	0	50	100.00
बिहार	42.50	38.89	11.11	50	72.00

हरियाणा	0	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	5.00	100	0	0	50.00
जम्मू व कश्मीर	0	-	-	-	-
झारखंड	33.33	45.45	27.27	27.27	100.00
कर्नाटक	75.00	47.62	33.33	19.05	95.23
केरल	100	30	40	30	95.00
मध्यप्रदेश	42.50	76.47	23.53	0	100.00
महाराष्ट्र	20.00	62.5	25	12.5	100.00
मेघालय	20.00	75	25	0	100.00
पंजाब	0.00	-	-	-	-
राजस्थान	60.00	66.67	33.33	0	79.16
तमिल नाडु	100.00	13.33	66.67	20	96.67
उत्तर प्रदेश	47.50	94.74	5.26	0	94.73
पश्चिम बंगाल	80.00	16.67	62.5	20.83	95.83
नमूना औसत	**44.58**	**48.59**	**34.57**	**16.82**	**90.69**

सर्वोत्तम प्रथा I

केन्द्रीयकृत रसोई प्रणाली : राजस्थान का चूरू जिला

हमारी क्षेत्रीय टीम द्वारा यह पाया गया कि राजस्थान राज्य के चूरू जिले के चूरू ब्लॉक में केन्द्रीयकृत रसोई प्रणाली के माध्यम से बच्चों को पकाया हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान किया जा रहा था। इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया बहुत अच्छी थी। केन्द्रीयकृत रसोई की इस प्रणाली का कार्यान्वयन चूरू ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित केन्द्रीय रसोई के माध्यम से एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा किया जा रहा था। केन्द्रीय रसोई में भोजन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए साप्ताहिक मेन्यू के अनुसार पकाया जाता है तथा इसके बाद यह स्कूलों को प्रदान किया जाता है। चूरू ब्लॉक के सभी स्कूलों को कवर करने के लिए गैर-सरकारी संगठन द्वारा पांच रोडमैप कार्य तैयार किए गए हैं। प्रतिदिन भोजन आपूर्ति करने के लिए गैर-सरकारी संगठन द्वारा स्कूल-वार भोजन कंटेनर का अनुरक्षण किया जाता है। सीएमडीएम का प्रभारी अध्यापक बच्चों की उपस्थिति में केन्द्रीय रसोई के वाहन से प्रतिदिन स्कूल में पकाये हुए भोजन को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। चूरू की केन्द्रीय रसोई के प्रबंधक ने रूट-मैप के अनुसार स्कूल-वार डिलीवरी रजिस्टर तैयार किया है। केन्द्रीय रसोई के प्रबंधक द्वारा इसका रिकार्ड रखा जाता है। केन्द्रीयकृत रसोई प्रणाली उन शहरी क्षेत्रों तथा कस्बों में ही संभव है, जहां स्कूल समूह में पाए जाते हैं। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्कूल दूर-दूर तक फैले हुए हैं तथा दूरस्थ एवं पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं, वहां पर यह प्रणाली संभव नहीं होगी। दूसरा, किसी विशिष्ट दिन स्कूल में उपस्थित बच्चों की संख्या के बारे में दूर स्थित रसोई-घरों में सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है।

सर्वोत्तम प्रथा II

आंध्र प्रदेश राज्य में सरकारी -निजी भागीदारी

सरकारी -निजी भागीदारी (पीपीपी) भी एक तरीका हो सकता है जिसके माध्यम से स्कूलों में पकाया हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान किया जा सकता है। पीपीपी में सरकारी एजेंसियों तथा निजी संस्थाओं के बीच एक अनुलग्नक किया जाता है जिसमें सरकारी सेवा प्रदान करने की जिम्मेवारी निजी संस्था पर होती है। पीपीपी माध्यम के तहत, प्रदान की जा रही सेवा की गुणवत्ता में सुधार होने की आशा है, जिससे पकाया हुआ मध्याह्न भोजन स्कीम के कार्य-निष्पादन में सुधार हो सकता है।

आंध्र प्रदेश राज्य में, सीएमडीएम के कार्यान्वयन में कई प्राइवेट निकायों की भागीदारी से स्पष्ट तौर पर कार्य-निष्पादन में सुधार हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में, कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करने के लिए मंडल राजस्व अधिकारियों (एमआरओ) द्वारा स्वयं सहायता समूहों/एसईसी/टेम्पल्स/गैर-सरकारी संगठनों, चैरिटेबल न्यासों/अभिभावकों के समूह की पहचान की जाती है। शहरी क्षेत्रों में, कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में कार्य करने के लिए मंडल राजस्व अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विकास सोसायटियों/गैर-सरकारी

संगठनों/स्वयं सहायता समूहों/डीडब्ल्यूसीआरए/स्कूल शिक्षा समितियों तथा अन्य एजेंसियों जैसे टेम्पल्स/अच्छे ट्रैक-रिकार्ड वाले गैर-सरकारी संगठनों/धमार्थ न्यासों/अभिभावकों के समूह की पहचान की जाती है।

विशाखापट्टनम तथा हैदराबाद जिलों में नान्दी फाउंडेशन द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। नान्दी फाउंडेशन ने हैदराबाद में एक केन्द्रीय रसोई की स्थापना की है, जिसके माध्यम से हैदराबाद तथा सिकन्दराबाद शहरों के 891 स्कूलों में 1,01,394 बच्चों को मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जाती है। इसी प्रकार से, इसी गैर-सरकारी संगठन द्वारा विशाखापट्टनम शहर में स्थापित केन्द्रीयकृत रसोई के माध्यम से 11 स्कूलों के 35,734 बच्चों को मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की जाती है। तिरूपति जिले में, इस्कॉन (कृष्ण जागरूकता हेतु इंटरनेशनल सोसायटी) 65 स्कूलों के लगभग 8500 बच्चों की मध्याह्न भोजन आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।

स्कूलों में स्टोर-कक्ष की उपलब्धता

4.9.3 तालिका 4.8 में यह दर्शाया गया है कि देश भर में औसतन केवल 24 प्रतिशत स्कूलों में ही स्टोर-कक्ष हैं। उन नमूना स्कूलों में जिनमें स्टोर-कक्ष हैं, केवल उनमें से आधे ही अच्छी स्थिति में थे। 13 प्रतिशत स्टोर-कक्ष केवल इसीलिए कार्यरत नहीं हैं क्योंकि वे खराब हालात में हैं तथा कृन्तकों के खिलाफ प्रभावी नहीं हैं। स्टोर-कक्षों के अभाव में, अनाजों को कक्षा-कक्षों में रखा जाता है, जिससे बच्चे अध्ययन के लिए आवश्यक स्थल से वंचित होते हैं। कुछ स्थानों पर, स्टोर-कक्षों की अनुपलब्धता में अनाजों के भरे हुए बोरों को वीईसी के किसी एक सदस्य के घर रखा जाता है। मौजूदा स्टोर-कक्षों में कृन्तकों की समस्या से बचने के लिए लोहे की जालीदार खिड़कियां प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका: **4.8**

राज्य	स्कूलों में स्टोर रूम की उपलब्धता (%)	स्टोर रूम की हालत (%)			कार्यक्षमता (%)
		अच्छी	औसत	घटिया	
आंध्र प्रदेश	27.5	90.91	9.09	0	61.53
अरुणाचल प्रदेश	5.88	100	0	0	100
बिहार	50	52.63	31.58	15.79	84.21
हरियाणा	0	-	-	-	-
हिमाचल प्रदेश	10	50	50	0	100
जम्मू व कश्मीर	0	-	-	-	0
झारखंड	33.33	30	60	10	100
कर्नाटक	42.86	61.54	23.08	15.38	100

केरल	25	40	20	40	50
मध्यप्रदेश	17.5	71.43	28.57	0	100
महाराष्ट्र	2.56	100	0	0	100
मेघालय	10	66.67	33.33	0	66.67
पंजाब	0	-	-	-	-
राजस्थान	37.5	60	33.33	6.67	100
तमिल नाडु	73.33	30.43	69.57	0	95.45
उत्तर प्रदेश	5	0	50	50	100
पश्चिम बंगाल	6.67	100	0	0	66.67
नमूना औसत	**24.29**	**53.50**	**37.71**	**8.7**	**87.17**

"भोजन पकाने के लिए बर्तनों" की उपलब्धता तथा पर्याप्तता और प्लेट–गिलासों की उपलब्धता

4.9.4 तालिका 4.9 में यह दर्शाया गया है कि देश भर में औसतन 94 प्रतिशत स्कूलों में भोजन पकाने के लिए बर्तन उपलब्ध हैं। लगभग 33 प्रतिशत नमूना स्कूलों से, जहां भोजन पकाने के लिए बर्तन हैं, यह सूचना मिली है कि भोजन पकाने के बर्तन पर्याप्त नहीं हैं। बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में लगभग तीन-चौथाई नमूना स्कूलों ने यह सूचित किया है कि उनके पास भोजन पकाने के लिए पर्याप्त बर्तन नहीं हैं। प्लेटों तथा गिलास भी बहुत कम उपलब्ध हैं परंतु यह चिंता का मुख्य विषय नहीं है क्योंकि ज्यादातर बच्चे प्लेट तथा गिलास घर से लेकर आते हैं। क्षेत्रीय टीम ने यह भी नोट किया कि कुछ स्थानों पर बच्चे इन बर्तनों को अपने पास ही रखते हैं, जिससे कक्षा-कक्षों में बहुत शोर होता है तथा बच्चों का अध्ययन से ध्यान भटकता है।

तालिका 4.9

राज्य	खाना पकाने के लिए बर्तनों की उपलब्धता (%)	खाना पकाने के लिए बर्तनों की पर्याप्तता (%)	प्लेटों की उपलब्धता (%)	गिलासों की उपलब्धता (%)
आंध्र प्रदेश	97.43	89.74	42.5	22.5
अरुणाचल प्रदेश	100.00	26.67	0	23.53
बिहार	100.00	25.00	60	100
हरियाणा	100.00	95.00	40	20
हिमाचल प्रदेश	90.00	82.35	15	15
जम्मू व कश्मीर	80.00	60.00	0	0
झारखंड	100.00	33.33	36.67	60

कर्नाटक	100	96.29	53.57	21.43
केरल	100	80.00	60	50
मध्यप्रदेश	85	52.94	42.5	7.5
महाराष्ट्र	82.5	68.57	15	12.5
मेघालय	100	75.00	15	15
पंजाब	85	83.33	40	10
राजस्थान	100	100.00	100	100
तमिल नाडु	100	63.33	20	16.67
उत्तर प्रदेश	97.45	91.89	45	12.5
पश्चिम बंगाल	90.00	25.00	0	0
नमूना औसत	**94.96**	**67.91**	**40.67**	**32.91**

पेयजल सुविधा तथा पानी का स्रोत

4.9.5 उपयुक्त पेयजल सुविधा से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि भोजन अच्छी गुणवत्ता वाले पानी में पकाया गया है। जैसा कि तालिका 4.10 में दर्शाया गया है, देशभर में लगभग 17 प्रतिशत नमूना स्कूलों में पेयजल सुविधा नहीं है। उन नमूना स्कूलों में से जिनमें पेयजल सुविधा उपलब्ध है, 41 प्रतिशत स्कूलों में नल का कनेक्शन है, 8.4 प्रतिशत स्कूल कुओं पर निर्भर हैं तथा 42.29 प्रतिशत स्कूल अन्य स्रोतों पर निर्भर हैं। इन अन्य स्रोतों में भूमिगत भंडार (जीएलआर), हैण्ड पम्प तथा बोर/सम्प इत्यादि शामिल हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ज्यादातर नमूना चयनित स्कूलों में पानी का मुख्य स्रोत हैण्ड-पम्प था। पश्चिम बंगाल राज्य में, फोकस समूह विचार-विमर्श के माध्यम से यह पता चला कि, कुछ स्कूलों में स्कूल के नजदीक गंदे पानी के तालाब के पानी का प्रयोग भोजन पकाने तथा बर्तन धोने के लिए किया गया था। मेघालय, कर्नाटक तथा हिमाचल प्रदेश में उन नमूना स्कूलों का प्रतिशत सर्वाधिक था जिनमें नल का कनेक्शन था। सीएमडीएम के अधिकारियों के साथ फोकस समूह विचार-विमर्श के दौरान यह पता चला कि कर्नाटक राज्य में प्रदान की गई जल-सुविधाओं का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान या अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत किया गया था।

तालिका: 4.10

राज्य	पेयजल की उपलब्धता (%)	पेयजल के स्रोत (प्रतिशत में)		
		कुंआ	नल	अन्य
आंध्र प्रदेश	75	10	46.66	43.33
अरुणाचल प्रदेश	70.59	25	75	0
बिहार	97.5	0	0	100
हरियाणा	90	10.52	57.89	31.57
हिमाचल प्रदेश	95	5.55	83.33	11.11
जम्मू व कश्मीर	60	0	100	0
झारखंड	73.33	4.34	4.34	86.95
कर्नाटक	92.86	0	84.61	15.38
केरल	100	55	45	0
मध्यप्रदेश	87.5	0	11.11	86.11
महाराष्ट्र	55	4.54	63.63	31.81
मेघालय	55	0	90.90	9.09
पंजाब	95	0	60	40
राजस्थान	97.5	17.94	66.66	15.38
तमिल नाडु	93.33	17.24	51.72	31.03
उत्तर प्रदेश	95	0	0	100
पश्चिम बंगाल	63.33	0	5.26	94.73
नमूना औसत	**83.50**	**8.4**	**41.33**	**42.29**

अवस्थपना तथा स्वच्छता

स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त अवस्थपना बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वे किए गए सभी राज्यों के ज्यादातर नमूना स्कूलों ने यह सूचित किया है कि रसोई-घरों, भोजन पकाने तथा परोसने के लिए अलग स्थल की अनुपलब्धता, भंडारा सुविधाओं के न होने तथा पानी के स्वच्छ स्रोत के अभाव जैसी अवस्थपना त्मक सुविधाओं की कमी है। जहां कहीं भी रसोई-घर उपलब्ध थे, वे अच्छी स्थिति में नहीं थे तथा साफ-हवा-धूप के आने-जाने की स्थिति खराब थी। कई नमूना स्कूलों में, भोजन पकाने का कार्य खुले स्थल या पेड़ों की छांव के नीचे किया जा रहा था।

पश्चिम बंगाल राज्य में, अध्ययन में शामिल किए गए 30 नमूना स्कूलों में से किसी भी स्कूल में निर्धारित विनिर्दिष्टों तथा मानकों के अनुसार अपेक्षित अवस्थपना नहीं थी। कुछ नमूना स्कूलों में हालांकि घास-फूस के रसोई-घर थे परंतु वे न तो साफ थे तथा न ही स्वच्छ ढंग से भोजन पकाने के लिए उनमें पर्याप्त स्थल था।

आंध्र प्रदेश राज्य के ज्यादातर नमूना स्कूलों ने सूचित किया है कि उनमें स्वच्छ ढंग से भोजन पकाने तथा परोसने के लिए अपेक्षित सावधानियां बरती जा रही हैं। हालांकि, तमिलनाडु राज्य के सभी नमूना स्कूलों में रसोई-घर थे परंतु कुछ चुनिंदा स्कूलों में भोजन अनुपयुक्त शेड की वजह से रसोई-घरों से बाहर पेड़ों की छांव के नीचे ही पकाया जा रहा था, जिससे आयोजकों के लिए भोजन पकाने के लिए सुरक्षा तथा स्वच्छता को सुनिश्चित करना मुश्किल था। कई नमूना स्कूलों में भोजन खाने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त स्थान नहीं था, जिससे बच्चों को पेड़ों की छांव के नीचे ही भोजन ग्रहण करना पड़ रहा था।

महाराष्ट्र राज्य में, ज्यादातर नमूना स्कूलों में अलग से भोजन पकाने का शेड उपलब्ध नहीं है। प्लेटों की अनुपलब्धता तथा भोजन करने के लिए बन्द कमरों की अनुपलब्धता पर अभिभावकों ने अपनी नाराजगी प्रकट की क्योंकि भोजन प्राय: स्कूलों के बरामदों या धूल एवं मक्खियों के बीच खुले स्थान पर परोसा जा रहा था।

झारखण्ड राज्य में, उपयुक्त रसोई-घरों की अनुपलब्धता की वजह से भोजन पकाने संबंधी कार्यकलाप खुले खेतों में किए जाते हैं जिसके कारण भोजन पकाने की प्रक्रिया तथा कक्षा-कक्ष की प्रक्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ने के साथ ही अस्वच्छ परिस्थितियां भी पैदा होती हैं।

बिहार राज्य के कुछ नमूना स्कूलों में, पानी के स्रोतों की कमी की वजह से तालाबों के पानी का प्रयोग करके भोजन पकाया जा रहा है, जिससे पुन: स्वच्छता को बनाए रखना मुश्किल है।

सीएमडीएम हेतु जनशक्ति की उपलब्धता

4.10 सीएमडीएम के अंतर्गत, स्कूल स्तर पर मॉनीटर तथा निरीक्षण करने की जिम्मेवारी अध्यापकों की है। भोजन पकाने तथा परोसने का कार्य महिलाओं के एसएचजी/एनजीओ इत्यादि को सौंपा जाता है। तथापि, भोजन परोसने तथा अन्य प्रावधानों को पूरा करने के कार्यों में अध्यापकों को भी शामिल पाया गया है। ईजीएस केन्द्रों के मामले में, समस्या ज्यादा गंभीर है, क्योंकि वहां रसोइयों का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। राज्य-स्तर पर भोजन पकाने की दिहाड़ी प्रति बालक प्रतिदिन/स्कूल केवल 0.40 . से 0.50 . के बीच है। यह पाया गया है कि वे स्कूल, जहां बच्चों की संख्या 50 से कम है, वहां इतने कम

मानदेय पर रसोइये का लगाना काफी मुश्किल है। इसके अतिरिक्त, उन स्कूलों में जहां बच्चों की संख्या 100 से अधिक है, वहां एक रसोइये द्वारा भोजन पकाना काफी मुश्किल कार्य होता है। इसलि रसोइयों/सहायकों के लिए मानदेय की राशि बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तालिका 4.11 से यह पता चलता है कि स्कूलों में रसोइयों एवं सहायकों की कमी है।

तालिका 4.11

राज्य	प्रति स्कूल कूक्स	प्रति स्कूल हेल्पर
आंध्र प्रदेश	1.07	0.07
अरुणाचल प्रदेश	0.58	0.83
बिहार	0.44	0
हरियाणा	0.23	0
हिमाचल प्रदेश	0.11	0.13
जम्मू व कश्मीर	0.19	0
झारखंड	0.30	0.09
कर्नाटक	0.33	0.11
केरल	2.42	0
मध्यप्रदेश	0.37	0.01
महाराष्ट्र	0.20	0
मेघालय	0.22	0.11
पंजाब	0.20	0
राजस्थान	0.26	0.06
तमिल नाडु	0.065	0.06
उत्तर प्रदेश	० .४५	0.03
पश्चिम बंगाल	0.40	0.05
कुल योग	**0.40**	**0.05**

रिकार्डों/रोकड़ बही का अनुरक्षण

4.11 यह पाया गया है कि सभी स्तरों पर रिकार्डों के अनुरक्षण में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। स्कूल स्तर पर, रिकार्डों का अनुरक्षण काफी खराब है। यह पाया गया है कि रोकड़-बही में महीने में एक या दो बार ही लिखा जाता है। रोकड़ खाते तथा अनाजों के भंडार के अनुरक्षण के लिए कोई समान फार्मेट नहीं है। ज्यादातर राज्यों में, खातों के अनुरक्षण का कार्य अध्यापकों द्वारा किया जा रहा है जबकि इस प्रकार के कार्य के लिए उनके पास कोई प्रशिक्षण नहीं होता है। ईएसजी केन्द्रों में स्थिति और भी खराब है। रिकार्डों के उचित अनुरक्षण के बिना उनके अनुमानों में काफी गड़बड़िया हैं। मध्याह्न भोजन पकाने में विभिन्न चीजों की मद-वार उपयोगिता के रिकार्ड के अभाव में, क्षेत्रीय टीम के लिए बच्चों को प्रदान

किए भोजन में पोषक तत्वों का अनुमान लगाना मुश्किल कार्य था। इसके अतिरिक्त, उपयुक्त रिकार्ड के अभाव में, वास्तविक व्यय तथा कार्यक्रम के तहत प्रदान किए गए अनाजों/निधियों की उपयोगिता में गड़बड़ियों के लिए काफी स्थान है। निम्नलिखित तालिका में स्कूलों में रोकड़-बही के अनुरक्षण के अनुसार राज्यों के प्रतिशतता के चार स्लैबों के वर्गीकरण को दर्शाया गया है।

स्कूलों में नकद बही के रखरखाव के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण

तालिका: 4.12

बहुत अच्छा (75 % से अधिक)	अच्छा (50% -75%)	घटिया (25% -50%)
• केरल • आंध्र प्रदेश • कर्नाटक • मध्यप्रदेश • तमिल नाडु • राजस्थान	• महाराष्ट्र • मेघालय • बिहार • हरियाणा • हिमाचल प्रदेश • झारखंड • जम्मू व कश्मीर • पंजाब • उत्तर प्रदेश • पश्चिम बंगाल	• अरुणाचल प्रदेश

अध्याय 5

पकाये हुए मध्याह्न भोजन योजना का प्रभाव

कक्षा की भूख

5.1 स्कूल में भूख खत्म करना सी.एम.डी.एम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जैसा कि तालिका 5.1 से पता चलता है, इस मापदंड पर योजना की सफलता के राज्यों में अलग-अलग रही है। राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल में लगभग 20 प्रतिशत लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें स्कूल में पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है।

तालिका 5.1

क्रम संख्या	राज्य	परोसा गया भोजन अपर्याप्त बताने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	0.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00
3.	बिहार	21.59
4.	हरियाणा	0.51
5.	हिमाचल प्रदेश	0.00
6.	जम्मू व कश्मीर	0.00
7.	झारखंड	9.93
8.	कर्नाटक	3.15
9.	केरल	0.00
10.	मध्यप्रदेश	6.51
11.	महाराष्ट्र	0.28
12.	मेघालय	0.00
13.	पंजाब	1.02
14.	राजस्थान	17.99
15.	तमिल नाडु	0.00
16.	उत्तर प्रदेश	11.29
17.	पश्चिम बंगाल	20.10

5.1.1 स्कूल में परोसे गए पकाये हुए मध्या भोजन को लेकर अभिभावकों का सुविधा स्तर ज्ञात करने के लिए भोजन की गुणवत्ता के बारे में उनकी राय पूछी गई और यह जानने की कोशिश की गई कि क्या वे परोसे गए भोजन से संतुष्ट हैं। बच्चों की राय को तालिका 5.2 में दर्शाया गया है। बिहार में, जहां छात्र यदाकदा ही दोपहर का भोजन लेकर आते हैं, लगभग 72 प्रतिशत लाभार्थियों ने भोजन की गुणवत्ता को खराब बताया है और 77 प्रतिशत का कहना है कि वे संतुष्ट नहीं हैं।

तालिका 5.2

राज्य	बच्चों की राय				
	भोजन की गुणवत्ता (प्रतिशत में)			भोजन की गुणवत्ता (प्रतिशत में)	
	अच्छा	औसत	घटिया	हां	नहीं
आंध्र प्रदेश	88.41	9.92	1.68	93.85	6.15
अरुणाचल प्रदेश	99.37	0.63	0	100	-
बिहार	5.64	22.06	72.3	22.11	77.89
हरियाणा	55.0	44.5	0.5	99.5	0.5
हिमाचल प्रदेश	90.0	9.55	0.45	99.54	0.46
जम्मू व कश्मीर	97.0	3.0	-	98.0	2.00
झारखंड	32.56	53.16	14.29	66.78	33.22
कर्नाटक	4.61	89.72	5.67	76.24	23.76
केरल	77.39	21.66	0.96	98.73	1.27
मध्यप्रदेश	80.75	16.0	3.25	89.72	10.28
महाराष्ट्र	96.63	2.81	0.56	97.34	2.66
मेघालय	100	0	0	100	0
पंजाब	77.61	21.39	1.0	94.03	5.97
राजस्थान	80.21	7.29	12.5	77.34	22.66
तमिलनाडु	85.07	13.56	1.37	87.59	12.41
उत्तर प्रदेश	55.85	42.29	1.86	92.31	7.69
पश्चिम बंगाल	71.61	16.95	11.44	78.39	21.61

5.1.2 भोजन की गुणवत्ता पर अभिभावकों की राय के तालिका 5.3 में दर्शायी गई है। बिहार के लाभार्थियों द्वारा दिए सुझावों के अनुसार 69 प्रतिशत अभिभावक भी मानते हैं कि भोजन की गुणवत्ता खराब है। महाराष्ट्र में नमूना लाभार्थियों और उनके अभिभावक दोनों सी.एम.डी.एम के तहत स्कूलों परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं।

तालिका: 5.3

राज्य	अभिभावकों की राय

	भोजन की गुणवत्ता (प्रतिशत में)		
	अच्छा	औसत	घटिया
आंध्र प्रदेश	71.22	23.84	4.94
अरुणाचल प्रदेश	100	0	0
बिहार	2.53	28.35	69.11
हरियाणा	44.72	51.76	3.52
हिमाचल प्रदेश	70.35	29.65	0
जम्मू व कश्मीर	72.0	28.0	0
झारखंड	20.34	65.76	13.9
कर्नाटक	4.29	90.36	5.36
केरल	70.41	26.63	2.96
मध्यप्रदेश	24.25	70.75	5
महाराष्ट्र	90.71	9.02	0.27
मेघालय	100	0	0
पंजाब	69.19	29.29	1.52
राजस्थान	80.56	6.57	12.88
तमिल नाडु	65.23	32.26	2.51
उत्तर प्रदेश	41.58	55.78	2.64
पश्चिम बंगाल	68.78	26.7	4.52

ताजा दाखिले

5.2.1 ताजा दाखिलों का अर्थ प्राथमिक स्कूल में हुए दाखिलों की नई संख्या से है। ताजा दाखिलों की गणना करने करने के लिए केवल उन नमूना स्कूलों का चयन किया गया था जिन्होंने संदर्भ अवधि (2000 से 2006) के दौरान विभिन्न वर्षों में दाखिलों की संख्या का लेखा जोखा रखा था। इसे तालिका 5.4 में दर्शाया गया है। ताजा दाखिलों पर सी.एम.डी.एम के प्रभावों को समझने के लिए तालिका 5.5 महत्वपूर्ण है।

तालिका 5.5

राज्य कोड	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
आंध्र प्रदेश	683	589	611	492	493	512	457
अरुणाचल प्रदेश	445	455	456	437	512	611	542
बिहार	3020	4110	5377	5464	4659	4289	4469
हरियाणा	588	624	794	625	548	537	588

हिमाचल प्रदेश	350	320	346	439	396	305	271
जम्मू व कश्मीर	61	66	41	50	42	39	41
झारखंड	1438	1518	1499	1585	1301	1460	1404
कर्नाटक	628	722	678	567	622	739	521
केरल	723	724	786	788	732	736	724
मध्यप्रदेश	932	1016	948	971	1089	1038	939
महाराष्ट्र	1130	1133	1189	1198	1110	1117	1095
मेघालय	302	282	347	371	373	350	353
पंजाब	443	471	512	460	455	398	498
राजस्थान	1231	1237	1348	1184	1117	1103	901
तमिल नाडु	850	836	813	780	761	774	688
उत्तर प्रदेश	2756	2776	3478	3363	3216	3318	3017
पश्चिम बंगाल	1014	1158	876	776	755	689	638

5.2.2 जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में, जहाँ नमूना लाभार्थियों को अक्सर खुद का दोपहर का भोजन लेकर आता पाया था, सी.एम.डी.एम कोई प्रमुख आकर्षण नहीं है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पकाया हुआ मध्याह्न भोजन की योजना संदर्भ अवधि से पहले से चली आ रही है, इसलिए दाखिलों पर सी.एम.डी.एम के प्रभाव का पता नहीं लगाया नहीं जा सका। झारखंड में यह योजना संदर्भ अवधि के अंत में शुरू की गई थी। शेष राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में दाखिले स्थिर रहे हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक में दाखिलों की संख्या में कमी आई है।

तालिका 5.5[3] विभिन्न राज्यों में किस वर्ष में सी.एम.डी.एम की शुरुआत हुई

राज्य	किस वर्ष में स्कूलों में पकाये हुए भोजन की शुरूआत हुई
आंध्र प्रदेश	2001
अरुणाचल प्रदेश	1 सितम्बर, 2004
बिहार	1 जनवरी 2005
हरियाणा	15 अगस्त, 2004
हिमाचल प्रदेश	22 मई, 2003 (जनजातीय क्षेत्र) 2004/01/09 (गैर जनजातीय क्षेत्र)
जम्मू व कश्मीर	01 सितम्बर 2004
झारखंड	वर्ष 2004-05 में, सभी सरकारी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में लागू। वर्ष 2005-06 में इस कार्यक्रम के लिए सभी प्राथमिक विद्यालय एडेड (सभी सरकारी प्राथमिक/उच्च प्राथमिक सहित अल्पसंख्यक ईजीएस व एआईई केंद्र सहित) को शामिल किया गया।
कर्नाटक	सात वर्ष 2002-03 के दौरान उत्तर पिछड़े राज्य के पूर्वी जिलों में तथा वर्ष 2004-05 के दौरान 6 और 7 के मानकों के बच्चों को गर्म पकाया भोजन उपलब्ध कराने की योजना लागू की गई।
केरल	संदर्भ अवधि से पहले
मध्यप्रदेश	2004-05
महाराष्ट्र	जनवरी 2003
मेघालय	29-11-2002
पंजाब	जुलाई 2006.
राजस्थान	जुलाई, 2002
तमिलनाडु	पूर्व संदर्भ अवधि के लिए
उत्तर प्रदेश	1 सितम्बर 2004
पश्चिम बंगाल	जनवरी 2003 (छह जिले), 2005 मार्च (उन्नीस जिले)

5.2.3 दाखिले की दर पर सी.एम.डी.एम के प्रभाव पर शिक्षकों की राय मांगी गई थी। उनकी प्रतिक्रिया तालिका 5.6 में सारणीबद्ध है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र,

[3] http://education.nic.in/Elementary/mdm/Programme_Approval_Board.htm

हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में जहाँ अधिकांश नमूना विद्यालयों के दाखिले दरों में वृद्धि दर्ज हुई है अनेक ने इसके लिए सर्व खिक्षा अभियान, खिक्षा के प्रति जागरुकता तथा अन्य कारकों को जिम्मेदार माना है। यहां तक कि पूर्वोत्तर राज्यों, और केरल में, जहां छात्र शायद ही कभी अपना स्वयं का लंच लाते हों, अध्यापकों ने दाखिले में वृद्धि के लिए सी.एम.डी.एम की बजाय, शिक्षा के प्रति जागरूकता जैसे कारकों को जिम्मेदार ठहराया है। केवल मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश ने दाखिलों में बढ़ोतरी के लिए सी.एम.डी.एम को जिम्मेदार माना है।

तालिका 5.6

राज्य	नमूना विद्यालय में दाखिले में वृद्धि का प्रतिशत	दाखिले में वृद्धि के लिए सी.एम.डी.एम को जिम्मेदार ठहराया		यदि नहीं, तो दाखिले में वृद्धि के लिए अन्य योगदान कारक
		हां	नहीं	
आंध्र प्रदेश	70	78.57	21.43	शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है, अच्छी शिक्षा
अरुणाचल प्रदेश	58.32	10.0	90.0	शिक्षा के प्रति जागरूकता, शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है,
बिहार	100	10.0	90.0	सर्व शिक्षा अभियान और जनसंख्या में वृद्धि
हरियाणा	50	30-0	70.0	जनसंख्या में वृद्धि, शिक्षा प्रमुख और शिक्षा के प्रति जागरूकता चिंता है
हिमाचल प्रदेश	50	0	100	शिक्षा के प्रति जागरूकता, जनसंख्या में वृद्धि, शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है
जम्मू व कश्मीर	25	-	100	-
झारखंड	86.67	7.41	92.59	सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के प्रति जागरूकता
कर्नाटक	32.14	10.0	90.0	छात्रवृत्ति/वर्दी, शिक्षा प्रमुख चिंता और शिक्षा के प्रति जागरूकता है,
केरल	45	30-0	70.0	शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है, अच्छी शिक्षा

मध्यप्रदेश	87.5	86.11	13.89	शिक्षा के प्रति जागरूकता
महाराष्ट्र	85	24.24	75.76	शिक्षा के प्रति जागरूकता, शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है, अच्छी शिक्षा
मेघालय	60	16.67	83.33	शिक्षा के प्रति जागरूकता, अच्छी शिक्षा, गाँव के पास कोई प्राथमिक विद्यालय
पंजाब	33.33	14.29	85.71	शिक्षा के प्रति जागरूकता, जनसंख्या और शिक्षा में वृद्धि प्रमुख चिंता का विषय है
राजस्थान	60	14.81	85.91	शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है
तमिलनाडु	23.33	55.56	44.44	शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है,
उत्तर प्रदेश	100	2.56	97.44	छात्रवृत्ति / वर्दी
पश्चिम बंगाल	20.69	66.67	33.33	गांव के आसपास कोई प्राथमिक स्कूल वर्दी/छात्रवृत्ति नहीं

5.2.4 5 .2.1, 5.2.2 और 5.2.3 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि (मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश को छोड़कर) अधिकांश राज्यों में नमूनो स्कूलों में ताजा दाखिलों पर पकाया हुआ मध्याह्न भोजन का कोई खास प्रभाव नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा के प्रति जागरूकता आदि कारकों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है।

सामाजिक समानता

5.3 पकाया हुआ मध्याह्न भोजन मुहैया कराते समय किसी प्रकार का भेदभाव न हो, इसके लिए छात्रों से पूछा गया था कि क्या वे स्कूल में भोजन करते हैं। उनके जवाबों सामाजिक श्रेणी वार सारणीबद्ध किया गया था। जैसा कि तालिका से ज्ञात होता है अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि स्कूलों में किसी विशेष सामाजिक समूह को भोजन करने की अनुमति नहीं दी गई हो। इससे यह पता चलता है कि चयनित स्कूलों में बच्चे सामूहिक रूप से भोजन करते हैं, जिससे सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा मिलता है।

चार्ट 5.3

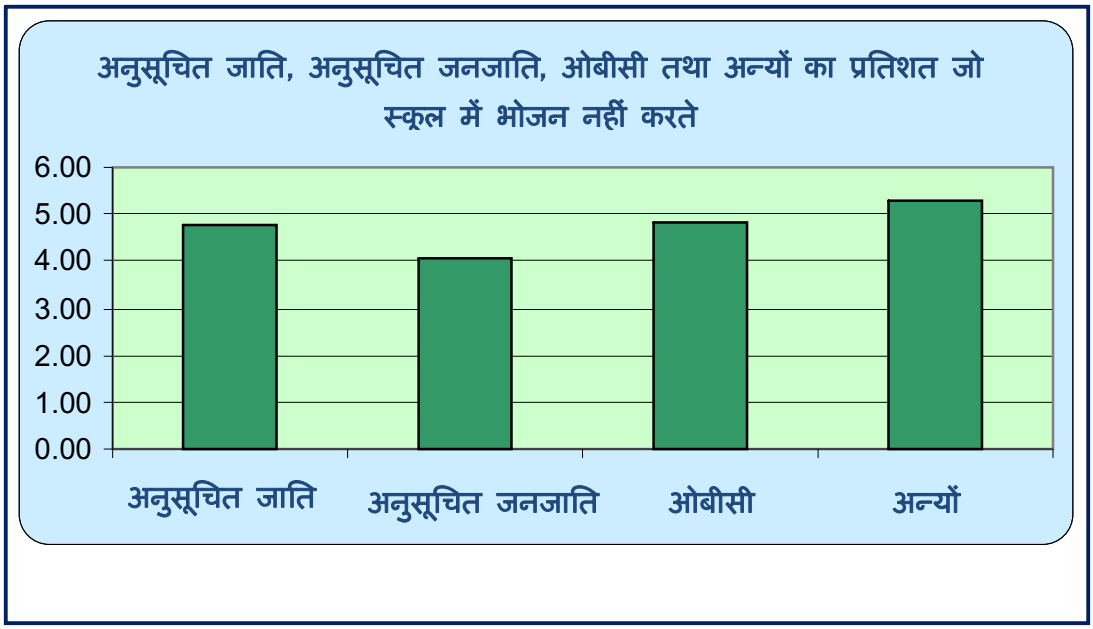

हाजिरी

5.4. जैसा कि तालिका 5.7 पता चलता है, सभी नमूना राज्यों में अधिकांश स्कूलों में हाजिरी में वृद्धि दर्ज हुई है जैसे आंध्र प्रदेश (100%), अरुणाचल प्रदेश (93.75%), मध्य प्रदेश (91.18%), मेघालय (86.67%),तमिलनाडु नाडू(81.82%), उत्तर प्रदेश (100%), महाराष्ट्र (50.0%) तथा कर्नाटक (50.0%)। बिहार, झारखंड, केरल, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में अधिकांश नमूना विद्यालयों में यह ज्ञात हुआ है कि सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के प्रति जागरूकता के कारण हाजिरी में वृद्धि हुई है।

तालिका 5.7 : हाजिरी में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक - राज्यवार

राज्य	नमूना विद्यालय में उपस्थिति में वृद्धि (%)	उपस्थिति में वृद्धि के लिए सी.एम.डी.एम को जिम्मेदार ठहराया गया		यदि नहीं, तो उपस्थिति में वृद्धि के लिए अन्य योगदान कारक
		हां	नहीं	
आंध्र प्रदेश	95.0	100	0	
अरुणाचल प्रदेश	100	93.75	6.25	शिक्षा के प्रति जागरूकता,
बिहार	66.67	10.71	89.29	सर्व शिक्षा अभियान और शिक्षा के प्रति जागरूकता

हरियाणा	50.0	30-0	70.0	शिक्षा प्रमुख और शिक्षा के प्रति जागरूकता चिंता है
हिमाचल प्रदेश	80.0	37.5	62.5	शिक्षा के प्रति जागरूकता, और शिक्षा मुख चिंता का विषय है
जम्मू व कश्मीर	100	-	100	शिक्षा के प्रति जागरूकता
झारखंड	86.67	7.69	92.31	सर्व शिक्षा अभियान
कर्नाटक	100	50.0	50.0	शिक्षा/छात्रवृत्ति के प्रति जागरूकता और आबादी में एक समान वृद्धि
केरल	95.0	31.58	68.42	शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है.
मध्यप्रदेश	82.5	91.18	8.82	शिक्षा के प्रति जागरूकता
महाराष्ट्र	97.5	50.0	50.0	शिक्षा के प्रति जागरूकता, अच्छी शिक्षा
मेघालय	75.0	86.67	13.33	शिक्षा के प्रति जागरूकता, शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है
पंजाब	50.0	44.44	55.56	शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है, शिक्षा अच्छी शिक्षा और जागरूकता की दिशा में छात्रवृत्ति वर्दी /
राजस्थान	62.5	14.81	85.19	शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है
तमिलनाडु	40	81.82	18.18	शिक्षा के प्रति जागरूकता, शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है,
उत्तर प्रदेश	100	100	-	-
पश्चिम बंगाल	66.67	85.0	15.0	अच्छी शिक्षा, शिक्षा प्रमुख और शिक्षा के प्रति जागरूकता चिंता है

मौजूदा संख्या

5.5. बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मेघालय जैसे राज्यों में सभी नमूना विद्यालयों ने संकेत दिया है कि रिटेंशन दरों में वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में अधिकांश नमूना स्कूलों ने प्रतिधारण दरों में वृद्धि के लिए सी.एम.डी.एम को जिम्मेदार ठहराया है। अधिकांश नमूना स्कूलों में सर्व शिक्षा अभियान की वजह से रिटेंशन में वृद्धि हुई है। निम्नलिखित तालिका में नमूना स्कूलों में बच्चों के रिटेंशन में वृद्धि के कारक के रूप में पकाया हुआ मध्याह्न भोजन योजना पर शिक्षकों की राय को दर्शाया गया है।

तालिका 5.8 रिटेंशन के लिए जिम्मेदार कारक-राज्यवार वृद्धि

राज्य	प्रतिधारण (नमूना स्कूलों में %) में	प्रतिधारण में वृद्धि के लिए सी.एम.डी.एम को जिम्मेदार ठहराया गया		यदि नहीं, तो प्रतिधारण में वृद्धि के लिए अन्य योगदान कारक
		हां	नहीं	

	वृद्धि			
आंध्र प्रदेश	97.5	100	0	
अरुणाचल प्रदेश	5.88	100	0	
बिहार	100	7.5	92.5	सर्व शिक्षा अभियान और जनसंख्या में वृद्धि
हरियाणा	50	30	70	शिक्षा शिक्षा और जनसंख्या में वृद्धि के प्रति जागरूकता प्रमुख चिंता है,
हिमाचल प्रदेश	80	37.5	62.5	शिक्षा के प्रति जागरूकता, शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है
जम्मू व कश्मीर	100		100	-
झारखंड	90	18.52	81.48	सर्व शिक्षा अभियान
कर्नाटक	55.56	33.33	66.67	छात्रवृत्ति/वर्दी, शिक्षा के प्रति जागरूकता,
केरल	85	82.35	17.65	शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है, अच्छी शिक्षा
मध्यप्रदेश	100	100	0	-
महाराष्ट्र	100	66.67	33.33	शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय, अच्छा शिक्षा, शिक्षा के प्रति जागरूकता है
मेघालय	100	100	-	
पंजाब	50	55.56	44.44	शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय और जनसंख्या में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना
राजस्थान	95	76.32	23.68	शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है
तमिलनाडु	33.33	77.78	22.22	शिक्षा प्रमुख चिंता का विषय है,
उत्तर प्रदेश	97.5	100	0	छात्रवृत्ति / वर्दी
पश्चिम बंगाल	63.33	89.47	10.53	अच्छी शिक्षा

बच्चों के शिक्षण समय में व्यवधान

5.6.1 कुछ नमूना राज्यों में लाभार्थियों ने बताया कि वे लोग बर्तन धोने के कार्य में जुटे हुए थे। जहाँ तक बर्तन धोनेका सवाल है, जिन 17 राज्यों में डाटा एकत्र किया गया था उनमें से 9 राज्यों में छात्रों को बर्तन धोने में लगाये जाने की रिपोर्ट मिली थी। राजस्थान के चुनिंदा

स्कूलों (48.81%)में लगभग 50% नमूना छात्रों को बर्तन धोने के कार्य में शामिल किया गया था। इसके बाद पश्चिम बंगाल (45.1%)तथा अरूणाचल प्रदेश (38.14%) के छात्रों का स्थान आता है। जहां छात्रों को इन गतिविधियों से जुड़ा गया था, नमूना चयनित राज्यों में छात्रों द्वारा धोने बर्तन में एक सप्ताह में औसतन 15 मिनट से 9.83 घंटे का समय व्यतीत किया गया था। निम्नलिखित तालिका में बर्तन धोने के कार्य में बच्चों की भागीदारी को दर्शाया गया है। राजस्थान में छात्र एक सप्ताह में औसतन 9.83 घंटे का समय बर्तन धोने व्यतीत करते हैं जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। इससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

तालिका 5.9 : बच्चों का पढ़ाई से विमुख होना

राज्य	बच्चों की भागीदारी और समय खर्च (घंटे/सप्ताह)	
	बर्तन धोना	
	भागीदारी%	भागीदारी%
आंध्र प्रदेश	-	-
अरुणाचल प्रदेश	38.14	2.2
बिहार	-	-
हरियाणा	-	-
हिमाचल प्रदेश	-	-
जम्मू व कश्मीर	16.67	0.15
झारखंड	-	-
कर्नाटक	-	-
केरल	-	-
मध्यप्रदेश	28.48	1.69
महाराष्ट्र	8.11	1.32
मेघालय	33.33	0.60
पंजाब	2.83	3.0
राजस्थान	48.81	9.83
तमिलनाडु	-	-
उत्तर प्रदेश	8.48	6.0
पश्चिम बंगाल	45.1	8.57

शिक्षकों का पढ़ाई समय से विमुख होना

5.6.2 तमिलनाडु,केरल और आंध्र प्रदेश के नमूना स्कूलों में शिक्षकों को सामान की व्यवस्था करने, भोजन पकाने की देखरेख तथा भोजन परोसने में शामिल नहीं किया गया है। तमिलनाडु में सी.एम.डी.एम के लिए अलग कर्मचारी हैं। प्रत्येक स्कूल में एक आयोजक, खाना बनाने वाला कुक और एक सहायक होता है। शेष राज्यों में चयनित स्कूलों से संबंधित डेटा से व्यवस्था प्रबंधों, भोजन बनाने और परोसने में शिक्षकों का भागीदारी का पता चला था। निम्नलिखित तालिका में प्रावधान व्यवस्था, भोजन बनाने और परोसने के लिए शिक्षकों के विमुख समय दर्शाया गया है।

तालिका: 5.10 अध्यापकों का पढ़ाई समय से विमुख होना

राज्य	प्रावधान व्यवस्था में जुटे प्रत्येक अध्यापक का प्रतिदिन व्यतीत औसत घंटे	पाक कला में लगे अध्यापक का प्रति दिन व्यतीत औसत घंटे	औसत घंटे की परोसने में लगे अध्यापक के प्रति दिन व्यतीत औसत घंटे
आंध्र प्रदेश	-	-	-
अरुणाचल प्रदेश	0.33	1.35	0.37
बिहार	1.22	-	1.01
हरियाणा	0.58	-	0.21
हिमाचल प्रदेश	0.55	-	0.28
जम्मू व कश्मीर	0.37	-	0.15
झारखंड	1.00	-	1.00
कर्नाटक	-	2	-
केरल	-	-	-
मध्यप्रदेश	0.41	-	0.26
महाराष्ट्र	0.90	1.00	0.46
मेघालय	1.00	1.15	0.35
पंजाब	0.37	0.45	0.22
राजस्थान	0.23	0.29	0.43
तमिल नाडु	-	-	-
उत्तर प्रदेश	-	-	1.00
पश्चिम बंगाल	0.57	-	0.43

5.7 पकाये हुए मध्याह्न भोजन योजना के कार्यनिष्पादन और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न संगठनों और शोधकर्ताओं ने अध्ययन किए हैं। इनमें से कुछ हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट (2005-06 और 2007) राजस्थान विश्वविद्यालय और यूनिसेफ (2005), नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (2005), प्रोफेसर अमर्त्य सेन्स प्रतिची रिसर्च टीम (2005)। इसके अलावा, सी.एम.डी.एम पर अग्रणी पत्रिकाओं में भी विभिन्न लेख प्रकाशित हुए हैं। सभी अध्ययनों में इस बात पर सर्वसम्मति हुई है कि सी.एम.डी.एम की वजह से सामाजिक समता का संवर्धन होने के अलावा हाजिरी दरों में वृद्धि हुई है।

अध्याय 6

सुझाव और सिफारिशें

सिफारिशें

अध्ययन से सी.एम.डी.एम के कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कुछ कारकों या संभावित कारकों की पहचान हुई है। नीचे दिए गए इन कारकों पर योजना के कार्यान्वयन के लिहाज से ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

1. मध्याह्न भोजन योजना के लिए बुनियादी ढांचे के विकास की योजनाओं की एसएमसी की बैठकों में समीक्षा करना और विकास योजनाओं को संचालित करने वाले अन्य नोडल मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को इन बैठकों में आमंत्रित करना नोडल मंत्रालय की जिम्मेदारी है।

2. रसोई शेडों का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा कुक - सह-सहायकों को मानदेय, पेयजल/ शौचालय निर्माण के लिए राजीव गांधी पेयजल मिशन और स्वास्थ्य जांच और सूक्ष्म पोषक तत्व कार्यक्रम के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं को मिलाने की गुंजाइश है।

3. जिला स्तरीय एसएमसी को प्रभावी बनाने के लिए - उनकी बैठके नियमित आधार पर होनी चाहिए ताकि इनके माध्यम से ब्लॉक शिक्षा अधिकारी / जिला अधिकारी द्वारा नियमित पर्यवेक्षण तथा निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

4. डीलर द्वारा खाद्यान्न सीधे स्कूलों को पहुँचाने संबंधी भारत सरकार के दिशानिर्देशों को तत्काल लागू करने से निम्नलिखित में मदद मिलेगी:

    i. आपूर्ति स्थल पर खाद्यान्न की डिलीवरी से रिसाव बंद होगा और आपूर्ति चैनलों में कमी आएगी।
    ii. प्रधानाध्यापक या कार्यान्वयन प्राधिकारी का दबाव हटेगा।

5. उचित मूल्य की दुकान के डीलर द्वारा प्रधानाध्यापक को प्रत्येक महीने खाद्यान्न आपूर्ति आदेश की एक प्रतिलिपि जाँच के लिए दी जानी चाहिए।

6. इस योजना की प्रभावी कार्यान्वयन, अभिसरण औरनिगरानी के लिए ब्लॉक/जिला स्तर पर संचालन व निगरानी समितियों को कार्यात्मक और सक्रिय बनाया जाना चाहिए।

7. ब्लॉक स्तरीय समिति और ग्राम पंचायत नगर पालिका जानकारी की पूर्व जानकारी के साथ निधि कार्यान्वयन प्राधिकरण (आइए) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

8. खंड स्तरीय समिति के एक सदस्य को स्कूल विकास और प्रबंध समिति की बैठकों में भाग लेना चाहिए ताकि अभिभावक शिक्षक संघ और पंचायती राज संस्थाओं के सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

9. भोजन पकाने, परोसने तथा बर्तन तथा प्लेट धोने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए और स्कूल स्टाफ को देखरेख करने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए।

10. जिला नोडल प्राधिकरण को स्कूल स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी से समय पर उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने में सख्ती बरतनी चाहिए ताकि निधि/खाद्यान्न का समय पर वितरण किया जा सके।

11. चूँकि विशेष रूप से कीमतों में तेल और दालों जैसी सामग्री की कीमतों में लगातार परिवर्तन होता रहता है इसलिए कार्यान्वयन एजेंसी के लिए लागत को वहन करना मुश्किल होता जा रहा है। अतः कार्यान्वयन एजेंसी को भुगतान किए जा रहे प्रभारों की कम से कम 6 महीने में एक बार समीक्षा की करना अनिवार्य है।

12. निर्धारित बैग को गांव के पंचायती राज संस्थान के प्रधान या गांव में उपलब्ध किसी भी जगह है संग्रहीत किया जाना चाहिए, जिसके लिए नाममात्र किराये का भुगतान किया जा सकता है।

13. कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में स्थानीय महिला स्वयंसेवा समूह या स्कूलों में पढने वाले बच्चों की माताओं को वरीयता दी जा सकती है। इससे न केवल स्वयं सहायता समूहों के लिए रोजगार और आय के सानिधि सुनिश्चित होंगे, बल्कि वे स्थानीय रूप से प्रचलित स्वाद के अनुसार भोजन भी पकायेंगी।

14. सरकारी निजी भागीदारी, जो आंध्र प्रदेश में सफल रही है जो अन्य राज्यों में भी लागू की जा सकती है जिसके चलते सेवा का एक बेहतर वितरण सुनिश्चित होगा और योजना का कार्यप्रदर्शन बेहतर होगा।

15. सी.एम.डी.एम दिशानिर्देश 2006 के अनुसार, राज्य सरकारों / संघ प्रदेशों के लिए अत्यावश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तथा कृमि-नाशक दवाए मुहैया कराने के साथ-साथ

समय-समय पर स्वास्थ्य जाँच की व्यवस्था करना अनिवार्य है। हालांकि अधिकांश राज्यों ने निधिराशि का प्रयोग न होने की सूचना दी है, केवल आंध्र प्रदेश में निधि का सदुपयोग हो रहा है। अतः अन्य राज्यों को भी दिशानिर्देशों के अनुसार कृमि-नाशक की दवाएं तथ्सस अत्यावश्यक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मुहैया कराने चाहिए।

सुझाव

1. राज्य से ब्लॉक स्तर पर संचालन व निगरानी समितियों का गठित किया जाना चाहिए प्रत्येक स्तर पर संबंधित प्रधान को बैठकों का नियमित रूप से आयोजन करने के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।

2. पकाया हुआ मध्याह्न भोजन के लिए खाद्यान्न का आवंटन करते समय सरकारी वितरण प्रणाली आपूर्तिकर्ताओं सरकारी वितरण प्रणाली योजना के दिशा निर्देशों में सौंपा जाना चाहिए।

3. जिला नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूरित अच्छे किस्म का खाद्यान अलग रखने इन बोरों पर विशेष पहचान निशान लगाने के लिए नागरिक आपूर्ति विभाग निर्देश जारी करने के लिए कह सकता है। संबंधित एफपीएस व्यापारियों को केवल इन विशेष रूप से निर्धारित बोरों की ही आपूर्ति की जानी चाहिए और कार्यान्वयन एजेंसी को निर्देश दिए जाने चाहिए कि केवल विशेष भिन्न रंग या निशान वाले बोरों को ही स्वीकार करें। इसके चलते पकाए हुए मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और मात्रा सुनिश्चित करने में काफी हद तक मदद मिलेगी।

4. उचित मूल्य की दुकान से स्कूलों तक ढुलाई लागत को वहन करने के लिए निधि निर्धारित किया जा सकता है क्योंकि राज्य के बजट में इसके लिए कोई अलग प्रावधान नहीं है इसलिए यह लागत भोजन पकाने की लागत से वहन की जा रही है।

5. ब्लॉक स्तर के अधिकारी द्वारा गांव शिक्षा समितियों को अपनी बैठकों में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि पकाया हुआ मध्याह्न भोजन योजना के प्रबंध में उनकी भूमिका स्पष्ट हो सके और उनकी जिम्मेदारी को दिशानिर्देशों में शामिल किया जा सके।

6. समुचित निगरानी के लिए, ब्लॉक स्तर पर संचालन-सह-निगरानी समिति के बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जानी चाहिए. बैठकों के कार्यवृत्त केंद्रीय, राज्य और जिला नोडल अधिकारियों को भेजे जाने चाहिए।

7. उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कार्यान्वयन एजेंसी को रूपांतरण शुल्क मंजूर करने के लिए ब्लॉक स्तरीय नोडल एजेंसी को अधिकार प्रदान करने संबंधी सरकारी

आदेशों को तत्काल लागू किया जाना चाहिए ताकि कार्यान्वयन एजेंसी को रूपांतरण शुल्क नियमित रूप से भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

8. सभी ब्लॉक स्तर नोडल अधिकारियों को नकद अग्रिम देने के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा स्कूल स्तर पर प्रस्तुत बिलों का निबटान एक पखवाड़े के भीतर किया सकता है। जिला अधिकारी को व्यय विवरणों की अपेक्षाओं के बिना पहली तिमाही के लिए निधि जारी कर सकते हैं।

9. भोजन स्कूल से निधियों/खाद्यान का उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक स्तर के अधिकारी द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना और जिला अधिकारी को भेजा जाना चाहिए ताकि निधिराशि शीघ्र जारी की जा सके।

सं क्षाक्षर

सीएमडीएम	पकाया हुआ मध्याह्न भोजन
एमडीएम	मध्याह्न भोजन
एनपी-एनएसपीई	प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम
ईजीएस	शिक्षा गारंटी स्कीम
एआईई	वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा
एफसीआई	भारतीय खाद्य निगम
एचटीएस	हिल परिवहन सब्सिडी
पीडीसी	प्रधान वितरण केन्द्र
पीपीपी	सरकारी निजी भागीदारी
एसएमसी	संचालन व निगरानी समिति
वीईसी	ग्राम शिक्षा समिति
पीटीए	शिक्षक अभिभावक संघ
एसजीआरवाई	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
एनएसडीपी	राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम
यूवाईईपी	शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एआरडब्ल्यूएसपी	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम
यूटी	संघ प्रदेश
एमएमई	प्रबंध, निगरानी और मूल्यांकन
पीईओ	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन
आरईओ	क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी
पीईओ	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एसडीएमसी	स्कूल प्रबंध और विकास समिति
बीईईओ	प्राथमिक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक
पीडीएस	सरकारी वितरण प्रणाली
एसवीएसएस	सरस्वती वाहिनी समिति संचलन
एनएमओ	दोपहर भोजन ऑर्गनाइज़र

बीडीओ	खंड विकास अधिकारी
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
पीआरआई	पंचायती राज संस्थाओं
एफपीएस	उचित मूल्य की दुकान
एमएसएचजी	माता स्वयं सहायता समूह
सीईओ	मुख्य शिक्षा अधिकारी
जेडईओ	जोनल शिक्षा अधिकारी
डीईओ	जिला शिक्षा अधिकारी
एनजीओ	गैर-सरकारी संगठन
सीएचटी	सेंटर हेड टीचर
यूसी	उपयोगिता प्रमाणपत्र
पीएचईडी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
यूनीसेफ	संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपात कोष
बीईपी	बिहार शिक्षा परियोजना
जीएलआर	ग्राउंड लेवल जलाशय
एडब्ल्यूपीएंडबी	वार्षिक कार्य योजना तथा बजटिंग

ग्रंथ-सूची

1. **खेड़ा आर,** *"मिड डे मील्स इन प्राइमरी स्कूल्स: एचीवमेंट्स एंड चैलेंजेज '*.आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक पत्र 2006; 41: 4742-4750.

2. मानव संसानिधि विकास मंत्रालय. *"प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के*दिशानिर्देश".2006; भारत सरकार: नई दिल्ली. पी. 37-39.

3. **ड्रेज़ जे, गोयल ए,** *"फ्यूचर ऑफ मिड डे मील्स ",* आर्थिक और राजनैतिक साप्ताहिक 2003 ; 38: 4673-4683.

4. **जैन जे, शाह** 2005 **एम.,** *"मध्य प्रदेश में अन्त्योदय अन्न योजना और मध्यान भोजन"* आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक, 40: 5076-5088.

5. **डी ए, शिमशोन एम., नोरोन्हा सी.** 2005 "टूवर्ड्स मोर बेनेफिट फ्रोम देहलीज मिड डे मील स्कीम" 1: 1-23.

6. राष्ट्रीय पोषाहार मॉनिटरिंग ब्यूरो. आहार और ग्रामीण आबादी की पोषण संबंधी स्थिति. हैदराबाद: राष्ट्रीय पोषण संस्थान, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, 2002.

7. ***थोराट*एस, ली जे,"कास्ट डिस्क्रीमिनकशन एंड फूड सिक्योरिटी"** आर्थिक और राजनैतिक 2005 साप्ताहिक; 40: 4198-4201.

8. **गोपालन सी.** *"फार्म्स टू फार्मेसिज: बिगनिंग्स ऑफ ए सैड डिक्लाइन"* आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक 2007, 42: 3535-3536.

9. **मित्रा देशपांडे, राजीव दासगुप्ता, राम बारू और अपर्णा,** *"द कैस ऑफ कुक्ड मिड डे मील: कनर्स्न रेगार्डिंग द प्रोपोज़्ड पॉलिसी शिफ्ट इन द मिड डे मील प्रोग्राम्स"*

10. **बेदी, दिलजीत सिंह और पटनायक, सत्यनारायण,** *यूनिवसैलाइजेशन ऑफ प्रामरी एज्यूकेशन-ए मिथ ओर रीयलिटी", कुरुक्षेत्र-खंड* XLV, No.12, 1997 सितम्बर.

11. संघ से अर्थशास्त्र में टीम जांच विकास केन्द्र के लिए: *"भारत में शिक्षा पर मूल रिपोर्ट सरकारी ",* ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, 1999

12. **डा. मिश्रा एस.एन., डा. बहड़ा, एम,** *के प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण का समर्थन* अप्रैल *योजना) में उड़ीसा और तमिलनाडु ", भोजन (मध्याह्न* 2000" *एक तुलनात्मक अध्ययन*

13. **थीवमनी आर** (1986) *ए स्टेडी ऑफ द इम्पेक्ट ऑफ मिड डे मील एंड रिटेंशन इन प्राइमरी एंड मिडल स्कूल्स इन त्रिचरापल्ली ",*

14. **यजाली जोसफिन** *"इम्पेक्ट ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम्स ऑन इनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन प्राइमरी स्कूल्स ऑफ वेस्ट गारो हिल्स इन मेधालय*

15. झा, ज्योत्स्ना तथा धीर झिंगरान: *इलेमेंटरी एज्युकेशन फॉर द पुअरेस्ट एंड अदर डिप्राइड ग्रुप्स*, सेंटर फॉर पॉलिसी रीसर्च, नई दिल्ली 110002

16. ए रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ देहली रेगार्डिंग कुक्ड मिड डे मील-2007

17. ब्रिंदा विश्वनाथन (फरवरी 2003) *हाउसहोल्ड फूड सिक्योरिटी एंड इंटिग्रेटिड चाइल्ड डेवल्पमेंट सर्विसेज इन इंडिया*

18. गिरिजा एस,, *"नून मील स्कीम्स इन तमिलनाडू: एन एनालिसीस ऑफ सम इश्यूज"*, 2002.

19. "डाइट एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ रूअरल पॉपुलेशन", 2002, टेक्नीकल रिपोर्ट 21 हैदराबाद

20. बासू आर.वी., दासगुप्ता आर.,देशपांडे एम.,मोहन्ती ए., *"फुल मील ओर पैकेज डील"* आर्थिक तथा राजनीतिक साप्ताहिक, जून 14, 2008

21. तमिलनाडु सरकार, 2002, *"तमिलनाडु स्टेट पॉलिसी ऑन न्यूट्रिशन 2002'03*, सामाज कल्याण विभाग एंड नून मील प्रोग्राम्स", चेन्नई

अनुलग्नक-I

चार्ट संख्या 1: प्रति वर्ष आयोजित राज्य स्तरीय एसएमसी बैठकें

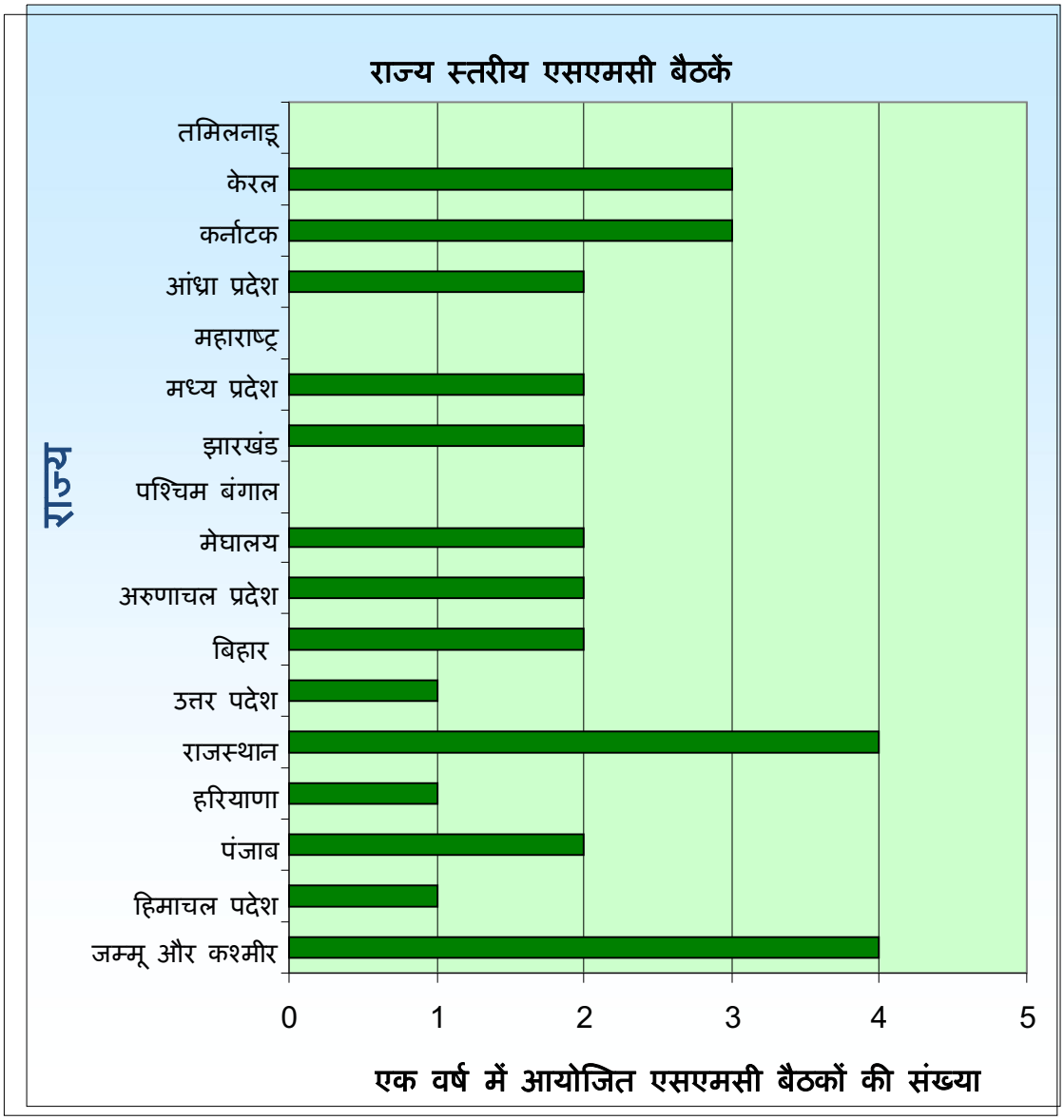

(नोट: राज्य स्तरीय अनुसूचियों के अनुसार)

तालिका 1: प्रति वर्ष आयोजित जिला वार नोडल एजेंसी और जिला स्तरीय एसएमसी बैठकों की संख्या

राज्य	जिले	नोडल एजेंसी	प्रति वर्ष आयोजित एसएमसी बैठकों की संख्या
जम्मू व कश्मीर	ऊधमपुर	शिक्षा विभाग जम्मू और कश्मीर	8
हिमाचल प्रदेश	कंगरा	उप निदेशक प्राथमिकशिक्षा कार्यालय	5
	कुल्लू	उपायुक्त (नोडल अधिकारी)	13
पंजाब	कपूरथला	प्राथमिक शिक्षा विभाग. पंजाब	22
	फिरोजपुर	शिक्षा विभाग फिरोजपुर	16
हरियाणा	हिसार	DEEO	0
	झज्जर	प्राथमिक शिक्षा विभाग	6
राजस्थान	बीकानेर	ग्रामीण विकास विभाग, जिला परिषद	8
	चुरू	जिला परिषद	9
	झुंझुनूं	जिला परिषद	4
	जैसलमेर	जिला परिषद जैसलमेर	2
उत्तर प्रदेश	बदायुं	जिला मजिस्ट्रेट	8
	सीतापुर	जिला मजिस्ट्रेट	13
	जालौन	जिला मजिस्ट्रेट	2
बिहार	पश्चिम चंपारण	मानव संसानिधि विकास मंत्रालय, बिहार सरकार	3
	मधुबनी	जिला प्राथमिक शिक्षा विभाग	10
	मधेपुरा	शिक्षा विभाग	3
	रोहतास	विभाग. प्राथमिक शिक्षा	3
अरुणाचल प्रदेश	लोहित	स्कूल शिक्षा विभाग	0
	तिरप	उप निदेशक स्कूल शिक्षा	0
मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	शिक्षा विभाग. (प्राथमिक एवं जनसंचार)	4
	जयंतिया हिल्स	शिक्षा विभाग. (प्राथमिक एवं जनसंचार)	4
पश्चिम बंगाल	बीरभूम	जिला मजिस्ट्रेट का कार्यालय	29
	24 उत्तर परगना	मध्याह्न भोजन कक्ष	1
	मेदिनीपुर	स्कूल शिक्षा विभाग	1

झारखंड	दुमका	विभाग. प्राथमिक शिक्षा का	14
	बोकारो	उपायुक्त , बोकारो	2
	रांची	डीआरडीए	1
मध्यप्रदेश	सागर	जिला पंचायत, सागर	3
	शहडोल	(डीआरडीए) जिला पंचायत शहडोल	4
	इंदौर	जिला पंचायत इंदोर (डीआरडीए)	14
	विदिशा	जिला पंचायत, विदिशा	5
महाराष्ट्र	वाशिम	जिला परिषद, वाशिम	2
	नागपुर	जिला शिक्षा अधिकारी	0
	शोलापुर	जिला शिक्षा (प्राथमिक) अधिकारी जिला परिषद	3
	सांगली	जिला शिक्षा कार्यालय (प्राथमिक)	3
आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	स्कूल शिक्षा विभाग	0
	श्रीकाकुलम	स्कूल शिक्षा विभाग	10
	पश्चिम गोदावरी		0
	अनंतपुर	स्कूल शिक्षा विभाग	4
कर्नाटक	बीजापुर	जिला पंचायत, बीजापुर	2
	बीदर	जिला पंचायत, बीदर	0
	टुमकुर	जिला पंचायत, तुमकुर	0
केरल	कन्नूर	सामान्य शिक्षा विभाग	2
	तिरूअनंतपुरम	सामान्य शिक्षा विभाग	0
तमिल नाडु	धर्मपुरी	जिला कलेक्टर	2
	विरुधुनगर	जिला कलेक्टर	0
	तिरुनेलवेली	कलेक्टोरेट	0

(नोट: राज्य स्तरीय अनुसूचियों के अनुसार)

चार्ट 3: जिला स्तर पर एसएमसी का गठन

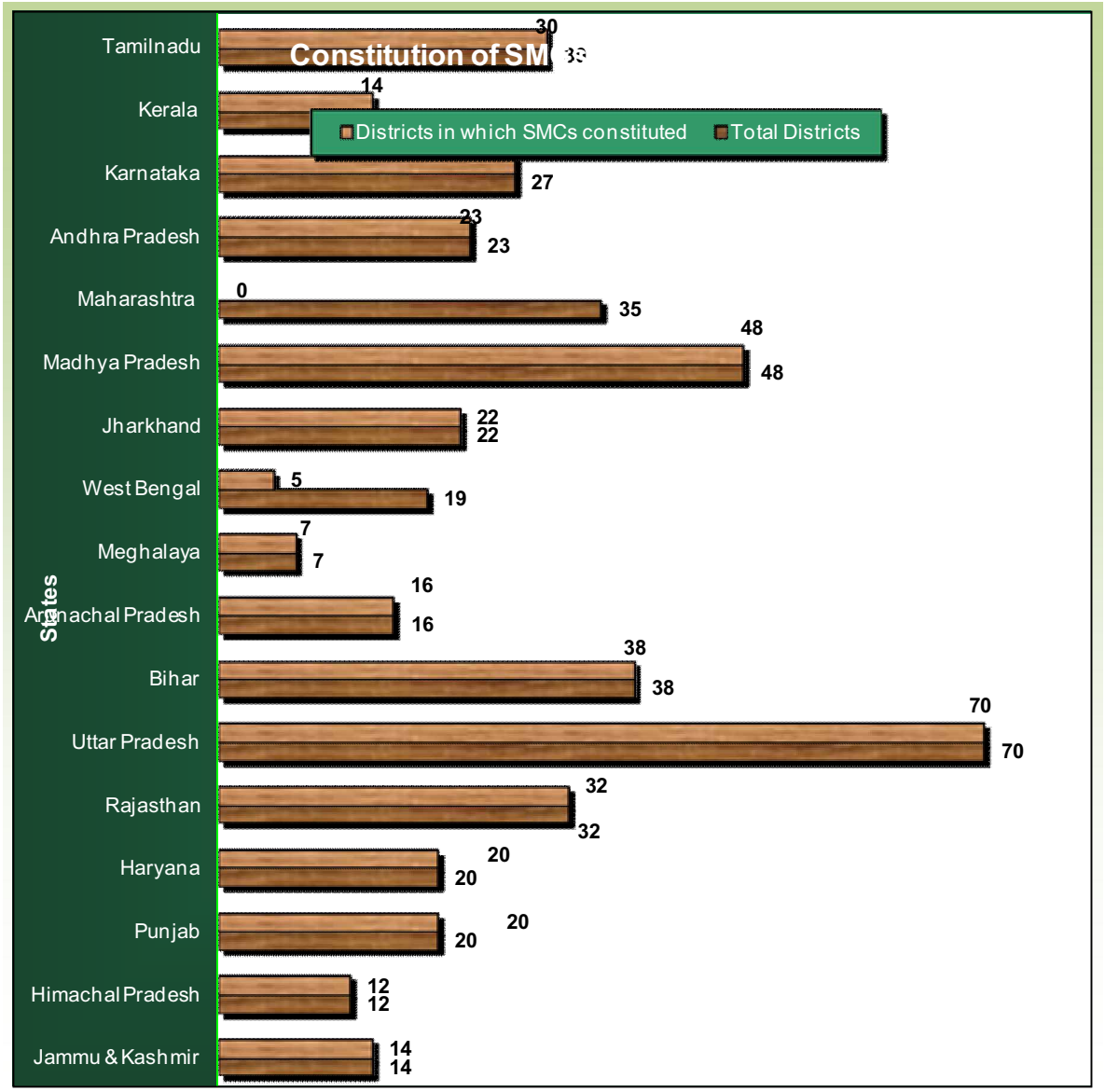

(नोट: राज्य स्तरीय अनुसूचियों के अनुसार)

चार्ट 4: ब्लॉक स्तर पर एसएमसी का गठन

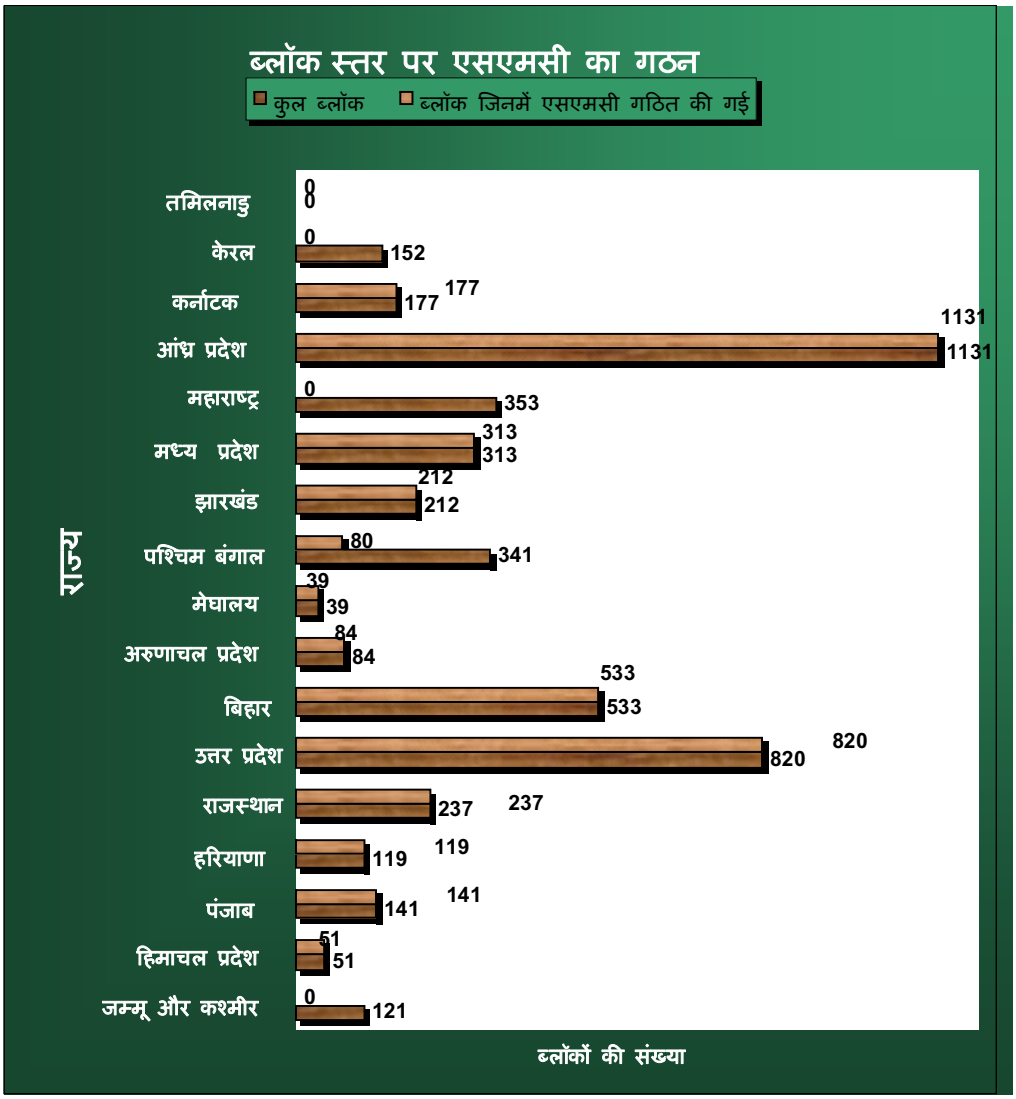

(नोट: राज्य स्तरीय अनुसूचियों के अनुसार)

चार्ट 5: ग्राम स्तर पर एसएमसी का गठन

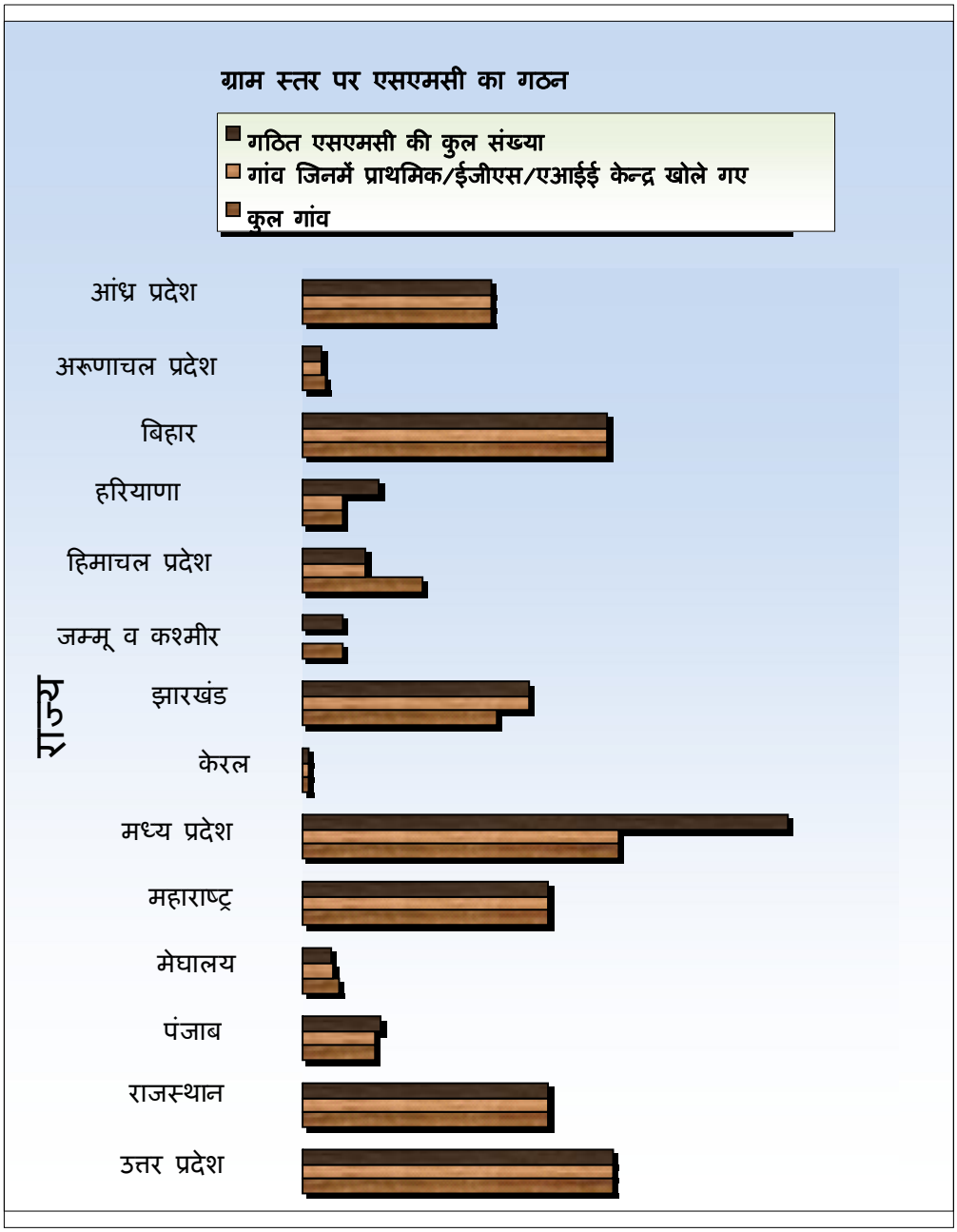

(टिप्पणी: राज्य स्तरीय अनुसूचियों से एकत्र सूचना के अनुसार, तमिलनाडु, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल राज्यों की जानकारी एकत्र नहीं की जा सकी है)

चार्ट 1 (बॉक्स आरेख): निधि की आवश्यकता, आबंटन और उपयोगिता का वितरण/फैलाव

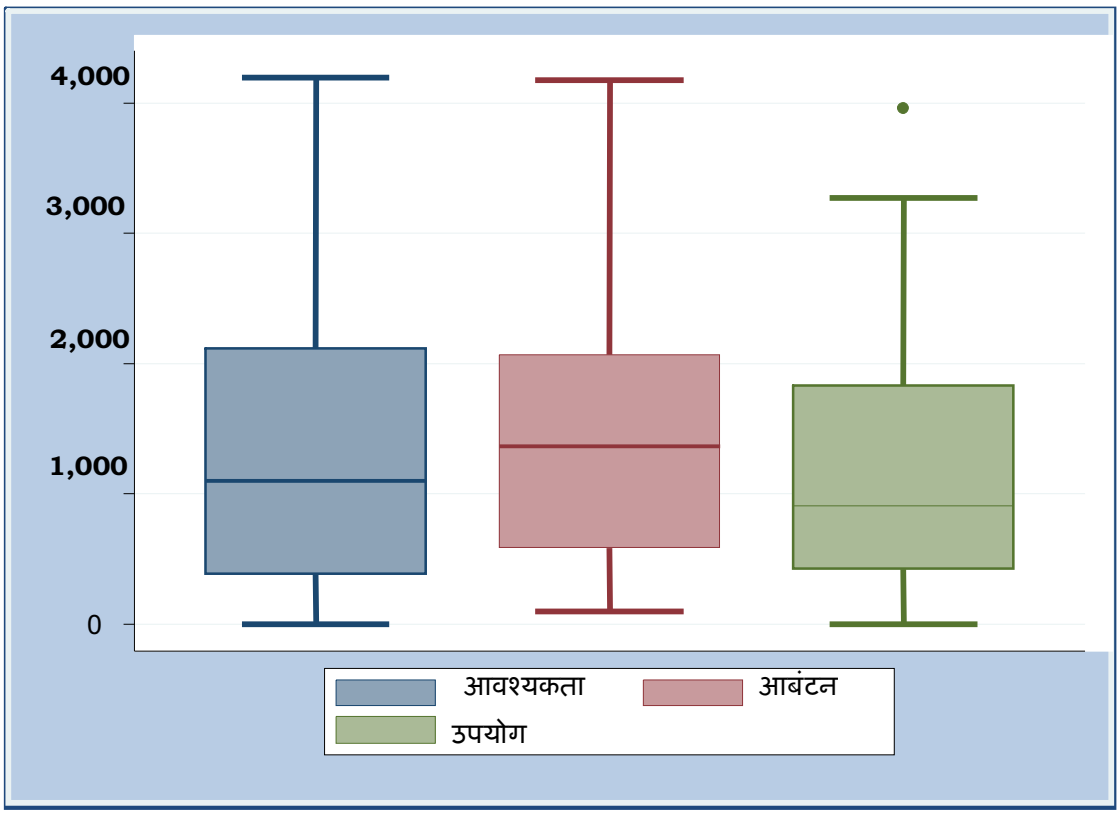

नोट: x-अक्ष और y-अक्ष पर फंड आंकड़े हैं(लाख रुपये में)

चार्ट में नमूना जिलों द्वारा निधिराशि की आवश्यकता, आवंटन और उपयोग में बदलाव को दिखाया गया है। छायांकित खानों में निधिराशि की मांग, आबंटन और उपयोग का जिला-वार मूल्य दर्शाया गया है जो 25 प्रतिशत से 75 प्रतिशत (अर्थात वे डाटा जिनका कोई सांख्यिकीय आधार नहीं है) के बीच है। सीमा के बाहर पड़ी डॉट्स, आउटलायर्स का संकेत हैं। श्रेणी में न्यूनतम और अधिकतम मूल्य को दर्शाया गया है। बक्से में काली रेखाएं चर के बीच के मधमा मान को दर्शाती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो बक्से मध्यमा रेखा द्वारा परस्पर कट नहीं रहे हैं उनके भीतर डेटा के विषम वितरण का संकेत हैं। कुल मिलाकर, यह आंकड़ा निधि की आवश्यकता के आवंटन और उपयोग का जिला स्तरीय डेटा की तुलना और सारांश है। बॉक्स प्लाट्स से जो बाते उभरकर सामने आती हैं, वे इस प्रकार हैं:

- निधि की आवश्यकता में औसतन उच्च स्तर की परिवर्तनशीलता दिखाई देती है जो निधि के नियतन और उपयोग संबंधी डेटा से मेल नहीं खाते। जैसा कि बॉक्स

क्षेत्रफल (छायांकित क्षेत्रफल) के विस्तार की तुलना करने से स्पष्ट है, बॉक्स का जितना अधिक विस्तार होगा, डाटा में उतना ही अंतर होगा।

- मंझला लाइनों में से एक के लेआउट के स्तरों पर एक नजर डालने से पता चलता है कि औसतन निधि का उपयोग आवंटन या आवश्यकता से कम है।

- इसके अलावा, हम देख सकते हैं कि उपलब्ध कराया गया निधि पर्याप्त था जैसा कि उपयोग तथा आवश्यकता का मध्यमा मान अधिक मध्यमा नियतन मान से देखा जा सकता है।

चार्ट 2: निधि की आवश्यकता, आबंटन और उपयोगिता के बीच सहसंबंध

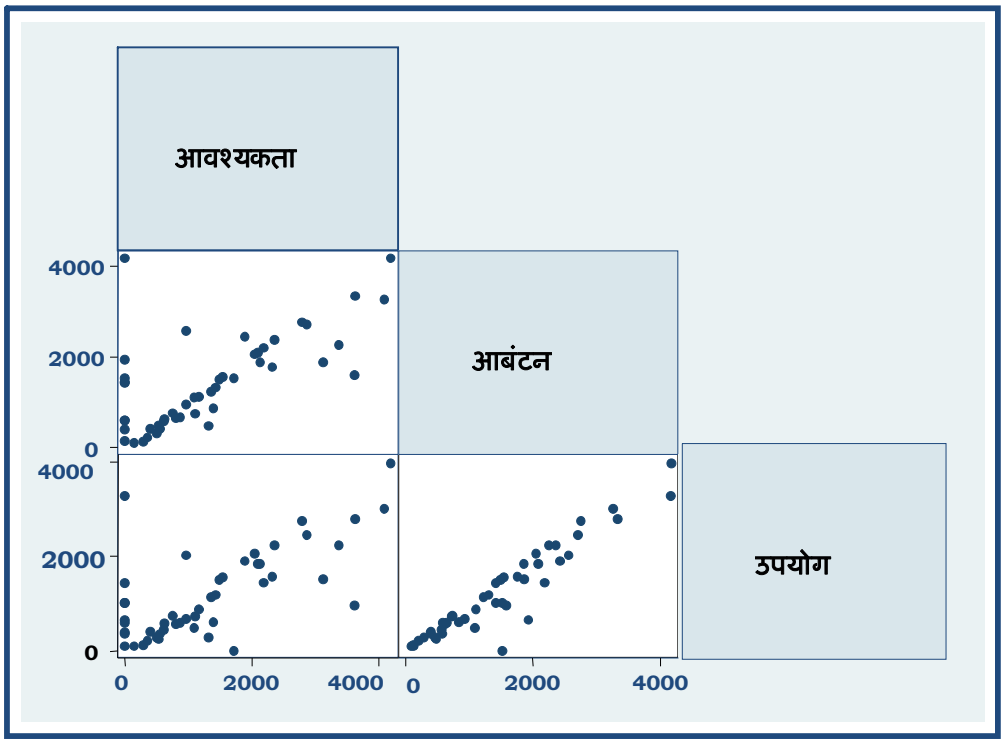

नोट: X-अक्ष और y-अक्ष पर फंड आंकड़े हैं(लाख रुपये में)

ग्राफ में निधि की उपयोगिता और आबंटन के बीच **सहसंबंध की डिग्री** को दर्शाया गया है। निम्नलिखित बातें उभरकर सामने आई हैं:

- "निधि की आवश्यकता तथा उपयोग" की तुलना में "निधि के आवंटन और उपयोग" के बीच उच्च डिग्री का सह-संबंध रहा है।

- "निधि की आवश्यकता और आवंटन" के बीच किया गया बहुत उच्च डिग्री का सहसंबंध रहा है। इससे यह पता चलता है कि जिलों की विशेष आवश्यकता के अनुसार निधि आवंटित किया गया है।